महानगर नई दिल्ली बुधवार 22 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

पुलवामा : सेना का जवान और एसपीओ शहीद

श्रीनगर, 21 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शहीद हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद खरियू में एक तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में विशेष पुलिस अधिकारी शाहबाज अहमद मौके पर ही शहीद हो गए और सेना का एक जवान घायल हो गया। बाद में जवान की मौत हो गई।

कश्मीर के लोगों से उनकी समस्याएं जानना चाहता है केंद्र : नकवी

श्रीनगर, 21 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र के जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य यहां के लोगों की समस्याओं के बारे में उन्हीं से जानना और फिर उनका समाधान करना है।

नकवी ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'इस संवाद का उद्देश्य लोगों के करीब जाना, उनकी समस्याएं व जरूरतें सुनना और उनकी समस्याओं का हल करने में सहयोग करना है।' शहर के बाहरी इलाके हारवां में एक विकास परियोजना की आधारशिला रखने वाले नकवी केंद्र के संपर्क कार्यक्रम के तहत कश्मीर की यात्रा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करने को इच्छुक हैं कि केंद्र सरकार के सकारात्मक बदलावों के फायदे जम्मू कश्मीर के बाकी पेज 8 पर

लखनऊ में आयोजित रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह

सीएए वापस नहीं होगा, जिसे विरोध करना है करे

लखनऊ, 21 जनवरी (जनसत्ता)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि जिसको विरोध करना है, करे लेकिन सीएए वापस नहीं होने वाला है। राम मंदिर के मुद्दे पर बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में तीन महीने के भव्य मंदिर बनेगा।

अयोध्या में तीन महीने में भव्य मंदिर बनाने का दावा

शाह ने सीएए के समर्थन में राजधानी के कथा पार्क में विशाल जनसभा में कहा- इस बिल को लोकसभा में मैंने पेश किया है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल पर सार्वजनिक रूप से चर्चा कर लो। अगर यह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता ले सकता है, तो उसे साबित कर दिखाओ। देश में सीएए के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। दंगे कराए जा रहे हैं। सीएए में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिसको विरोध करना है, करे, सीएए वापस नहीं होने वाला है।

गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर वोट बैंक की पट्टी बंधी है। उनहोंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि जिसमें भी हिम्मत है, वह इस पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ़ ले। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए गृह मंत्री ने कहा- आपकी पार्टी के पाप के कारण 16 जुलाई, 1947 को धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा- बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान में 30 फीसद और बाकी पेज 8 पर

विपक्ष पर वार

सीएए के मुद्दे पर दी विपक्ष को सार्वजनिक बहस की चुनौती

राहुल, अखिलेश, मायावती और ममता पर इमरान खान की भाषा बोलने का आरोप

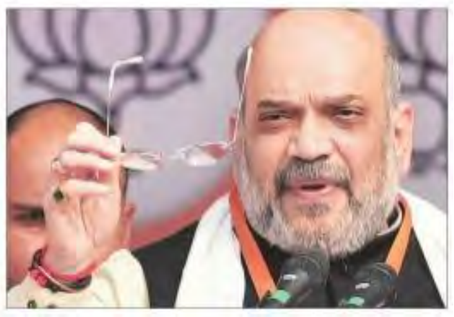

सीएए को चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट सीएए की संवैधानिक वैधता को परखने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने केंद्र को विभिन्न याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था और पीठ संभवतः 132 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में आइयूएमएल और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं हैं।

छात्रावास फीस बढ़ोतरी को कोर्ट में चुनौती दी जेएनयूएसयू ने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ ने इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (आइएचए) के छात्रावास नियमावली में संशोधन करने के फैसले को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस संशोधन में फीस में बढ़ोतरी का प्रावधान है। छात्र संघ ने यह याचिका जेएनयू प्रशासन के खिलाफ दायर की है। छात्र संघ की ओर से इस याचिका में जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी हाई कोर्ट से किया गया है।

जेएनयू सर्वर रूम में सीसीटीवी तोड़फोड़ जनवरी के पहले हफ्ते में नहीं हुई

खबर पेज 8 पर

याचिका छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष और उनके अन्य पदाधिकारियों साकेत मून, सतीश चंद्र यादव और मोहम्मद दानिश ने दाखिल की। याचिका में 28 अक्तूबर 2019 को जारी आइएचए की कार्यवाही के विवरण, 24 नवंबर, 2019 को गठित उच्चस्तरीय समिति के अधिकार क्षेत्र और उसकी सिफारिशों पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आइएचए के फैसले दुर्भावनापूर्ण, मनमाने, अवैध और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं।

लंबी कतार, छह घंटे का इंतजार (केजरीवाल ने पर्चा भरा)

खबर पेज 7 पर

नेपाल में संदिग्ध गैस रिसाव से आठ भारतीयों की मौत

मरनेवालों में चार बच्चे भी शामिल

सभी केरल के पर्यटक

संदिग्ध गैस रिसाव से मारे गए लोगों में शामिल एक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते पुलिसकर्मी।

काठमांडो/तिरुवनंतपुरम, 21 जनवरी (भाषा)।

नेपाल में एक रिजॉर्ट के कमरे में एक हीटर से संदिग्ध गैस रिसाव के कारण मंगलवार को चार बच्चों समेत आठ भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। सभी मृतक पर्यटक केरल राज्य से हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। उधर तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिख कर मृत मिले आठ मलयाली पर्यटकों के परिवारों को हर संभव सहायता पहुंचाने का अनुरोध किया।

पुलिस अधीक्षक सुशील सिंह राठौर ने बताया कि रिजॉर्ट के कमरे में बेहोश मिले इन भारतीय नागरिकों को एचएएमएस अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मकवानपुर पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के दम घुटने के कारण बेहोश होने की आशंका है।

काठमांडो में भारतीय दूतावास के सूत्रों ने बताया, सभी आठ लोगों को हवाई मार्ग से काठमांडो के एक अस्पताल लाया गया। भारतीय मिशन के एक चिकित्सक को भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तुरंत संबंधित अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा, हमें अब सूचित किया गया है कि सभी आठ मरीज जीवित नहीं है। मृतकों की पहचान प्रवीण कृष्णन बाकी पेज 8 पर

उद्घाटन नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (सबसे बाएं) और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (स्क्रीन पर) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से जोगबनी-विराटनगर एकीकृत निगरानी चौकी का उद्घाटन करते हुए।

दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत चौथा सबसे अच्छा बाजार

दावोस, 21 जनवरी (भाषा)।

दुनिया भर की कंपनियों के लिए वृद्धि के लिहाज से भारत चौथा सबसे अच्छा बाजार है। एक वैश्विक सर्वेक्षण में 9 फीसद कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) ने अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत को चौथा सबसे अच्छा बाजार माना है।

वहीं दूसरी ओर भारत के 40 फीसद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भरोसा जताया कि 2020 में उनकी कंपनी की आय में वृद्धि होगी। चीन में सबसे ज्यादा 45 फीसद अधिकारियों ने आय में वृद्धि की संभावनाएं जताई हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक के दौरान पीडब्ल्यूसी का यह वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण जारी किया गया। आने वाले साल में कंपनी की वृद्धि को बाकी पेज 8 पर

वैश्विक सर्वेक्षण में 83 देशों के 1,600 सीइओ शामिल

'अध्यक्ष के अधिकारों पर पुनर्विचार करे संसद'

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद से अनुरोध किया कि उसे सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर फैसला करने के अध्यक्ष के अधिकारों पर फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि इस पद पर आसीन निर्वाचित प्रतिनिधि भी 'एक राजनीतिक दल विशेष' का सदस्य होता है।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन के बाकी पेज 8 पर

सांसदों-विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का मसला

पीठ ने कहा, अयोग्यता के मामले में निर्णय के लिए संसद को संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष के स्थान पर एक स्वतंत्र और स्थाई अधिकरण गठित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट दूरसंचार कंपनियों की अपीलों पर सुनवाई को राजी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारती एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज समेत दूरसंचार कंपनियों की नई अपीलों को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। दूरसंचार कंपनियों ने दायर नई अपीलों में 1.47 लाख करोड़ रुपए के सांविधिक बकाए का भुगतान करने के लिए रखी गई समय सीमा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एएम सिंघवी और सीए सुंदरम समेत वरिष्ठ वकीलों की ओर से पेश दलीलें सुनीं और कहा कि वह नई याचिकाओं को अगले हफ्ते बाकी पेज 8 पर

कंपनियों ने कहा-ताजा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई हो

दरअसल

खुला खत — दिल्ली में भाजपा से गठबंधन पर उठाए सवाल — विचारधारा स्पष्ट करने के लिए कहा

पवन वर्मा की चिट्ठी में दिखीं नीतीश की आशंकाएं

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

जद (एकी) के नेता पवन वर्मा ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से दिल्ली चुनावों में गठबंधन के लिए विचारधारा स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने देश को चलाने में भगवा दल के तरीके पर बिहार के मुख्यमंत्री की निजी आशंकाओं का जिक्र भी किया।

वर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर दावा किया कि 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद भगवा पार्टी को लेकर नीतीश की निजी आशंकाएं और जिस तरीके से वह देश को खतरनाक स्थिति में ले जा रही है, नहीं बदली हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और जद (एकी) के महासचिव ने लिखा, 'मैं अकेले में आपकी स्वीकारोक्ति को याद कर रहा हूं कि भाजपा में वर्तमान नेतृत्व ने किस तरह से आपका अपमान किया। आपने कई बार कहा कि भाजपा देश को खतरनाक स्थिति में ले जा रही है।' सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस पत्र में उन्होंने कहा, 'आपने जैसा मुझे बताया, ये आपके निजी विचार थे कि भाजपा संस्थानों को नष्ट कर रही है और देश के अंदर लोकतांत्रिक एवं सामाजिक ताकतों को पुनर्गठित करने की जरूरत है और इस कार्य के लिए आपने पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकार को नियुक्त किया।' जद (एकी) या इसके अध्यक्ष ने वर्मा के दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जद (एकी) अध्यक्ष नीतीश कुमार मोदी सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं और अपनी पार्टी को उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा।

वर्मा ने कहा कि जद (एकी) को अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाने और दिल्ली चुनावों के लिए भाजपा से हाथ मिलाने से वह काफी बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि कुमार विचारधारा को स्पष्ट करें। बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, 'एक से अधिक अवसरों पर आपने भाजपा-आरएसएस गठबंधन को लेकर आशंकाएं जाहिर की हैं। अगर ये आपके वास्तविक विचार हैं तो मैं समझ नहीं पाया कि जद (एकी) कैसे बिहार के बाहर भाजपा से गठबंधन कर बाकी पेज 8 पर

> "*एक* से अधिक अवसरों पर आपने भाजपा-आरएसएस गठबंधन को लेकर आशंकाएं जाहिर की हैं। अगर ये आपके वास्तविक विचार हैं तो मैं समझ नहीं पाया कि जद (एकी) कैसे बिहार के बाहर भाजपा से गठबंधन कर रहा है जबकि अकाली दल जैसे भाजपा के पुराने सहयोगियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। खासकर ऐसे समय में जब भाजपा ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामाजिक विभाजनकारी एजंडा चला रखा है।
>
> *-पवन वर्मा, जद (एकी)*

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Sarika W/o Vinod Sharma Residing at D-6/37 St.No.6,Brijpuri Delhi-110094, inform that name of mine hasbeen wrongly written as Sonika Sharma in my Election I.Card No.XCN2559861.The actual name of mine is Sarika which may be amended accordingly. 0040528438-9

It is for general information that I, Mafeed S/O Suleman Ahmed R/O E-229 Gali no.71 Mahavir Enclave Part-3 West Delhi-110059, inform that name of my father has been wrongly written as Mohd. Suleman in my birth certificate, passport no.M0094003, Aadhar Card, Pan Card, Voter Identity card and all Educational Documents.The actual name of my father is Suleman Ahmed. Which may be amended accordingly. 0040528400-9

I,Sunil Yadav S/o Late Roop Chand Yadav R/o:A-307, Farkuddin-Apartment, Plot No-18, Sector-10, Dwarka, New Delhi-75. Have Changed My Name to Sunil Kumar Yadav. 0040528420-1

I,Sindhu G Nair W/o JC-383663A Sub KK Padmakumar R/o-PMO CIDSS DGIS Enclave,Rao Tula Ram Marg,New.Delhi-110010,have changed my name to Sindhu G. 0040528439-1

I,Satendra Pal Singh,S/o-Jai Singh Pal,R/o-A-15,Yadav Park Extn.,Najafgarh Road,Nagloi, New Delhi-110041,have changed my name to Satender Pal Singh,S/o-Jai Singh Pal Singh,for all future purposes. 0040528439-3

I,Reshmi Desgupta W/o-Shyamal Ghosh R/o-Diamond Park,4B-5 Diamond Tower,ESI Hospital,Thakurpukur,Joka Kolkata-700104,West Bengal,have changed my daughter's name Ruchhika Ghosh to Ruchhika Dasgupta. 0040528439-9

I,Mohak Masand S/o-Shri.Anil Masand,R/o-F-52,Second-Floor,Old Double Storey, Lajpat Nagar-IV,N.Delhi-110024,inform that in my passport.No.T1540537,my and my,father's name wrongly, written as Mohak Massand instead of Mohak Masand and my,father name Anil Kumar instead of Anil Masand. 0040528394-3

I,Kompal Khanna D/o J.N Khanna R/o-204, State Bank Colony, Paschim Vihar, N.Delhi-110063 have changed my name to Kkompal Khanna. 0040528400-7

I,Firoj Ahmad S/O Nousad Ahmad R/O-F-162, Gali No-6, Panchseel Colony Part-2, Amar Nagar Faridabad-121003. Changed My Name To Firoz Ahamad. 0040528446-3

I,Daljit Kaur W/o-Sh.Kuldeep Singh,R/o-10-B,Guru Nanak Vihar,Chander Vihar,Nilothi Extn.,Nangloi, Delhi-110041 , have changed my name to Kamaldeep Kaur after marriage for all,future purpose. 0040528439-7

I,Seema Rani d/o Kuldeep Kumar w/o Jitender Gambhir resident 44/7 FF Ashok Nagar Delhi 110018 have changed my name to Preeti Gambhir 0040528447-1

I, VISHNOO ANAND s/o INDRISH KUMAR r/o Alpine B-105, Grand Omaxe Society, Sector 93B, GB Nagar, UP-201305 have changed my name to known as VISHNU KUMAR VAISH. 0040528393-2

I, Umang Jain S/o Shashank Jain R/o-D-1/8 Lane.D-1 Block-D Krishna-Nagar Delhi-110051. changed my minor daughter's name Princee to Akshita For All Future Purpose. 0040528438-4

I, Sweta Ramba W/o Harish Kumar Sharma R/o-O-43, Senior Citizen Home-Complex, P-4, Greater Noida, UP have changed my name to Pooja Sharma. 0040528400-4

I, Swati D/o Krishan Kumar R/o-WZ-5, Gali No.1, Shiv Nagar, New Delhi-110058, have changed my name to Swati Tuteja Permanently. 0040528420-2

I, Suman Kumar Das S/O Tara Pada Das R/O-A-1,Main Road, Shardhanand Park, Bhalswa Dairy, Delhi-110042. Changed my Name to Suman Das. 0040528420-5

I, Shashi Aggarwal @ Poonam Gupta W/o Sh. Ajay Gupta R/o-H-12, New Seelam Pur, Delhi-110053, have changed my name to Poonam Gupta after marriage for all future purpose. 0040528396-1

I Harpal Kaur W/o Dalip Singh Sethi R/o-J-3/79 (F.F.) Rajouri-Garden New Delhi. have changed my name to Mohan Harpal Kaur Sethi. 0040528446-9

I Azhar Waris S/O Munna Khan R/O-B-348, Gali No-5, B-Block Near-Sunehry Masjid-Brijpuri Delhi-110094 Have Changed My Name To Azhar Warsi. 0040528420-10

I Ashwani Kumar S/o Karam Chand Mahajan R/o-H-82, Shivaji Park West Punjabi Bagh Delhi, have changed my name to Ashwani Kumar Mahajan 0040528446-8

व्यक्तिगत

I, Shahnawaz S/o Mohammad Isa H.No.F-14/1, Ground-Floor, AbulFazal-Enclave Part-2, Shaheen-Bagh, Jamia-Nagar, Delhi-110025. have changed my name to Shahnawaz Naqvi. 0040528400-5

I, Shahid Ali S/o Sughar Ali R/o-RZG-61, F/F, New Balaji-Apartment, Mandir-Marg, Mahavir-Enclave, Palam-Village, Delhi-110045 use Shahid Ali Khan as alternate name and both names belongs to me. 0040528438-8

I, Sayara Khatun W/o Mohd Sarfuddin Ansari H.No.E-12, Sector-B1, Tronica City, Loni, Ghaziabad have changed my name to Saera Khatoon. 0040528400-3

I, Satendra Sehrawat s/o Ravinder Singh Sehrawat r/o B-105, Mayank Apartments, Plot No.-21, Sector-6, Dwarka, Delhi-110075 have changed my name to SATENDER SEHRAWAT. 0040528399-1

I, Sanjeev Kumar R/O H NO - G - 191 /4, Street No - 4/26, West Karawal Nagar, Dayalpur, North East, Delhi, 110094 have changed my name to Sanjeev Kumar Lahiri. 0070693777-1

I, Sanjeet Kumar S/o Sant Lal Shah R/o B-90, B-Block, JJ-Colony, Inderpuri, N.Delhi-12 have changed my name to Sanjeet Gupta. 0040528438-7

I, Sanish Mittal S/O Jagminder Gupta R/O B-6/218, Block-B, Pkt-6, Sector-8, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Sanish Gupta. 0040528420-9

I, SARLA SINGH d/o BHAGIRATH SINGH r/o H-256, Shastri Nagar, Ghaziabad, UP- 201001 have changed my name to SHAGUN SINGH. 0040528410-2

I, Renu Bala Madaan W/o Anil Madaan R/o M-7/C, Gulmohar Apartments, Vikaspuri, Delhi-110018, have changed name to Renu Madaan. 0040528446-1

I, Rahul Kumar Jain S/o Rakesh Kumar Jain R/o-X/2735, Gali No.6B, Raghubar Pura.No.2, Gandhi-Nagar, Delhi-110031. have changed my name to Rahul Jain. 0040528400-6

I, R.Rajesh/Raghavan Rajesh S/O Major Tor Nambiar R/O-Rz-179, Shiv-Block Raghu Nagar Palam Village Delhi-110045. Changed My Name To Rajesh Nambiar. 0040528446-4

I, Noshad Khan S/O Mohammed Saeed H.No-2906, Gali Shankar Sitaram Bazar Delhi-110006. Changed My Name To Mohammed Noshad. 0040528446-7

I, Pinki Garg W/o Mukesh Garg R/o-SU-49, Pitampura Delhi-34, inform that my name has been wrongly written as Pinky Garg in the record of DIPS(School)Rohini,Delhi, where my minor Son namely Mayank Garg is studying in class-8th A.My correct and actual name is Pinki Garg 0040528358-1

I, Neha d/o Vijay Kumar Chaudhary r/o L-56, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059 have changed my name to Neha Chaudhary. 0040528409-1

I, Naveen Kumar S/O Shri. Prem Chand R/O-D-3/90, Second Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Naveen Garg. 0040528461-12

I, Nafisa W/o Fakhruddin R/o 2082, Katra Chhote Lal, Turkman Gate, Delhi-110006 have changed my name from Nafeesa to Nafisa for all future purposes. 0040528398-1

I, Mohd Sarfuddin S/o Sabdul Miyan H.No.E-12, Sector-B1, Tronica City, Loni, Ghaziabad have changed my name to Mohd Sarfuddin Ansari. 0040528400-2

I, Mohd Parvez S/o Mohd. Mursaleen R/o-G-11, Gaffar-Manzil Extension Part-II, Jamia-Nagar, Okhla, New Delhi-110025 that in my passport my and my father name has been wrongly written as Mohammad Pervez instead of Mohd. Parvez and Mohammad Mursleem instead of Mohd.Mursaleen 0040528461-2

I, Mohammad Vasif S/o Mr. Habibur Rahman R/o E-12/88, Hauz Rani Malviya Nagar Delhi-110017 have changed my name to Mohd. Vasif Salmani for all future purposes. 0040528380-1

I, Manju Bala W/O Arjun Mehta R/O Q-1/26, Phase-1, Budh Vihar, Delhi-110086. Have Changed My Name To Manju Mehta. 0040528420-8

I, Kumari Ritu W/o Ex Havaldar Dal Bahadur R/o-A-13, Shakurpur J.J.Colony, Delhi-110034, have changed my name to Reetu. 0040528446-2

I, Kiran Malik W/o Late Sh.Umesh Chander R/o B-12/9, Krishna Nagar, Delhi-110051 is also known as Kamlesh Malik. Both names are of one & the same person. 0040528360-1

I Harshool S/O Inderjit Singh R/O B-1A/56-B, Janak Puri, New Delhi-110058 Have Changed my Name to Harshool Chauhan. 0040528406-1

I Harshool S/O Inderjit Singh R/O B-1A/56-B, Janak Puri, New Delhi-110058 Have Changed my Name to Harshool Chauhan. 0040528406-1

I Sukhvir S/O Amar Singh Add-WZ-16, Jwala Heri Village, Paschim Vihar, New Delhi-110063, changed my name to Sukhbir. 0040528420-3

I, Kanica Sharma d/o Rajeev Sharma r/o 980, Shiv Colony, Old Faridabad, Haryana-121002 have changed my name to KANIKA SHARMA. 0040528407-1

I, KM Shabnoor Jahan W/o Tirlok Singh R/o-Flat No.1201 Tower No.A3 KLG-Heights Sector-15, Bahadurgarh Distt.Jhajjar (Haryana) changed my name to Shabnoor Kaur Rathor. 0040528406-7

I, Jyoti Kumari W/o Sh.Poonam Kumar R/o-612/20, Basai Road,Veer Nagar,Gurugram, Haryana,Have changed my name to Jyoti for all future purpose. 0040528439-8

I, Ishwar Devi Ahuja W/o Late Shri Madan Lal Ahuja R/o-N-37 First-Floor Sri Niwas Puri, New Delhi-110065,have Changed my name to Ishwar Devi for all purposes. 0040528374-1

I, Indu Shri W/O Neeraj Mahajan, Hno.326,Top Floor, Rishi Nagar, Ranibagh, Delhi-110034. Chaged My Name To Indu Mahajan. 0040528438-2

I, HIMANSHI alias HIMANSHI GUPTA d/o PAWAN KUMAR GUPTA r/o 769, Subhash Colony, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121004 have changed my name to AARTI AGGARWAL. 0040528391-1

I, Gunjesh Kumar Singh S/o Bharat Kumar Singh, R/O J-304, Microtek Greenburg, Sector-86, Gurgaon, Haryana-122004. Have Changed My Name To Gunjesh Kumar. 0040528406-8

I, Gobardhan S/o Ramdhan R/o Barwaripur, Kadipur, Sultan pur, U.P.-228145 have changed my name to Baburam permanently. 0040528438-6

I, Nitin S/O Sushil Kumar hno.153, Pkt-3, Janta Quators, Paschim Puri, Paschim Vihar, Delhi-110063. Changed my Nameto Nitin Kumar. 0040528420-7

I, Dheeraj S/O Rajveer Singh R/O D-22, Gali no.1, Sanjay Mohalla, Bhajanpura, Delhi-110053. Have Changed My Name To Dheeraj Rathore. 0040528420-6

I, Deepti Jain W/o Ekagra Aggarwal R/o No.9, Court Road Civil Lines, Delhi-110054 have changed my name Deepti Jain to Deepti Aggarwal for all future purposes. 0040528359-1

I, Daya Shankar S/o Late Shri Kamta Prasad R/o-MQ-827, Nigahi, Sector-10, Gopad-Banas, Sidhi, Madhya Pradesh-436884 that in the school record and Aadhar Card of my minor daughter aged about 10-Years Her name has been wrongly written as Chandrawati instead of Arushi Bharti. 0040528461-1

I, Charu Aggarwal D/o Naresh Aggarwal W/o Vikas Aggarwal R/o-C-130, 2ndFloor, Ramprastha-Colony, Ghaziabad U.P.-201011, have changed my name to Priyanshi Aggarwal for all purposes. 0040528406-6

I, Charanjit Singh s/o Mehar Singh R/o-136, 2nd Floor west MukherjeeNagar, Delhi-110009, have changed my name to Charanjeet Singh permanently. 0040528400-8

I, Bhavana D/o Shri.Vinod Dwivedi R/o-148, Surya-Niketan, Shakarpur, East-Delhi-110092. have changed my name from Bhavana to Bhavna Dubey, for all future purposes. 0040528406-5

I, Bhagwant Kaur W/o Late Shri Kala Singh, R/o-H.No.16, Shree-Nagar-Colony, Ashok-Vihar, Delhi-110052 inform that KALA SINGH and BALJEET SINGH, is the same and one person. 0040528438-1

I, Baban Kumar S/o Kailash Prasad Singh R/o-A-79, Krishna Enclave, Jharoda, Najafgarh,N.Delhi-110072,have changed my name to Babban Kumar. 0040528439-2

I, Archna Maheshwari w/o Rajeev Maheshwari r/o 1345, Mejestic, Mahagun Mascot, Crossing Republik, Ghaziabad, 201016, U.P. have changed my name to Archana Maheshwari for all future purposes. 0040528397-1

I, Anupam D/O Avdesh Ojha R/O-Flat No-162, Plot No-1. Heritage-Tower Appt Sec-3 Dwarka Delhi-110078. Changed My Name To Anupam Ojha. 0040528446-5

I, Ahmed Shaheed S/o Abdul Karim R/o 2422, Gali No.20, Rajiv Gandhi Nagar, New Mustafabad, Delhi-110094 have changed my name to Ahmad Shaheed 0040528395-1

I, Abhinandan Sethi S/o Ashok Kumar Sethi R/o-C-83, Block-C, Anoopnagar, Bindapur, Uttam-Nagar, Delhi-110059 inform that Ashok Sethi, Ashok Kumar and Ashok Kumar Sethi are the names of one and same person. 0040528461-11

I Rajeev Sharma S/O Ramesh Chand H.No-136 Ward No-8 Mohalla Farshkhana-Narnaul Mahendragarh Haryana-123001. Have Changed My Name To Rajeev Kumar. 0040528406-9

I Parshant Atri S/O, Mr. Brij Kishor Atri R/o House No. 213/325 F Block Rajendra Park Near Pnb Bank Gurgaon Haryana-122001 have changed my name to Prashant Atri 0040528424-1

व्यक्तिगत

सूचनार्थ मैंने अपना नाम नमिता माहेश्वरी से बदलकर नमिता रख लिया है, मुझे अब इसी नाम से जाना-पहचाना जायेगा। नमिता पत्नी सौरभ माहेश्वरी 228/73 भावना सिंह शिवाला रोड, राजाबाजार, लखनऊ

सूचनार्थ मैंने अपना नाम शालिनी बंसल से बदलकर अब शालिनी अग्रवाल रख लिये हैं। मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जायेगा। शालिनी अग्रवाल पत्नी मयंक गोयल 255क/57/51 कुण्ड्री रकाबगंज, लखनऊ

I, Abdul Rashied Naik S/o Sultan Naik R/O-H-133, Kanhai-Colony, Sector-44, Gurgaon, Haryana-122002 Have Changed My Name To Abdul Rashid Naik. 0040528438-3

I hitherto known as Isheeta Goel D/O Sh.Rohit Goel W/O Sh.Siddhant Sharma R/O-14/2 Tilak Marg New Delhi-110001 have changed my name and shall hereafter be known as Isheeta Sharma. 0040528400-1

I Yash Kaur Dahiya W/O Virender Dahiya, H.No-503/6, New Court-Road Ashok Vihar Sonipat Haryanan-131001,have changed my name to Yash Kaur. 0040528406-3

I Vishwajeet S/O Dhirendra Mishra, WZ-50, Back-side, Gali No.8, OmVihar Phase-3 , Uttamnagar, N.Delhi-110059 changed my name to Vishwajeet Mishra. 0040528420-4

I Shiv Ram Singh S/O, Ram Pratap Singh R/o 231, Batukji Cghs Ltd,plot No5b,sector 3, Delhi 110078 have changed my name to Shiv Ram for all purposes. 0040528415-1

I Shi Prakash Sharma S/o Dinesh Kumar Sharma R/o Gorigawa, Raepura, Muzaffar pur, Repura, Mahadeo, Bihar-843107, have changed my name to Sri Prakash Sharma 0070693773-1

I Shallu Trehan W/O. Rajesh Trehan R/O D-159, Fateh-Nagar, Jail-road, New Delhi-110018 after marriage have changed my name from Kanchan Dua to Shallu Trehan. Both are one and same person. 0040528438-5

I Rajni Priya Bachiraju W/O Satyanarayana Bachiraju H.No-217, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-2, Delhi-110091. Changed My Name To Rajani Priya Bachiraju. 0040528446-6

I Mansi Garg W/O Shishir Gupta R/O-C-28, S/F, Mayfair Garden N.Delhi-110016 changed my minor son'S name Anubhav Gupta to Rudr Anubhav Gupta. 0040528406-4

I Km Mohseena Khatoon W/o Anwar R/o-D-24, Shyam-Nagar, Khyala Road, Tilak-Nagar, New Delhi 110018 have changed my name to Mohseena. 0040528406-2

रिक्त स्थान

Cambridge College Of Education
Birar, Jhajjar, Haryana-124146
Ph. 9813134213
E-Mail: cambridge.birar@gmail.com
Require Teaching & Non Teaching Faculty for D.El.Ed. Course
- Principal - 01
- Perspective in Education-03
- Pedagogy Subjects-09 (Science, Social Sci., Maths, Language)
- Fine Art-02 • Physical Education-01
- All Non-Teaching Staff

Note: Qualification & Salary as per norms of NCTE & Haryana Education Board/Govt. Norms/SCERT.
Walk-In-Interview on 03/02/2020 at 9:00 am to 1:00 pm
Chairman

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण श्री रंजीत एवं उसकी पत्नी शकुन्तला देवी, निवासी – ग. नं. 21 ए., 22 शिव विहार, विकास नगर, उत्तम नगर वेस्ट, नई दिल्ली – 110059 में रहते हैं। यह कि मेरे मुवक्किलगणों ने आज तक शांति और पुत्रवधू मीनू को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे आगे सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी समस्त चल – अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरे मुवक्किलगणों का उपरोक्त बेटे व उसकी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। यदि भविष्य में इनके साथ कोई भी व्यक्ति लेन देन या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेवार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिये मेरे मुवक्किलगण व उसका परिवार जिम्मेवार नहीं होगा।
बृज लाल (अधिवक्ता)
चै.न. 810, साकेत कोर्ट, दिल्ली–17

सार्वजनिक सूचना
आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती रमिला पटेल ने बिक्री विलेख दिनांक 14.12.2018, दस्तावेज सं. 14246, एसआरओ–2 दिल्ली के माध्यम से गांव बसईदारापुर और अनुमोदित कॉलोनी मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली के रूप में ज्ञात, की राजस्व सम्पदा में स्थित सम्पूर्ण तीसरा तल (तीसरे तल के ऊपर छत के 25 प्रतिशत अविभाजित हिस्से के साथ) 'कथित फ्लोर', सम्पत्ति सं. 96 का भाग, परिमाप 238 वर्ग यार्ड, ब्लॉक–बी का मालिक एवं कब्जेदार होने का दावा किया है और अब श्रीमती रमिला पटेल ने वित्तीय सहायता के लिए आईसीआईसीआई बैंक के पास सम्पर्क किया है जिसके लिए उन्हें कथित सम्पत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होगा। उक्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा होने पर, इस सूचना के दिनांक से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त या परित्यक्त माना जाएगा और हमारी मुवक्किल उक्त संपत्ति पर ऋण के संवितरण और उसके संबंध में इसे बंधक रखने की प्रक्रिया करेगा।
Sunil Parsad (Advocate)
Juris NextGen Law Offices,E-56, Greater Kailash Enclave Part-1 New Delhi-110048

PUBLIC NOTICE
The public at large by means of present notice is hereby informed and intimated that my clients Sh. Jai Bhagwan S/o Late Sh. Zile Singh and Smt. Sarla Devi W/o Jai Bhagwan, Resident of Village Nilothi, Tehsil Bahadurgarh, District Jhajjar, Haryana - 124404, severed all her relation with her son Rahul Dahiya for all puspose being abusive and also being disrespect & disobedient and failed to perform their moral obligation towards their parents, my client disowned and disinherited her son from all of her immovable and movable properties / assets.
Now this is informed to the general public that the aforesaid son have no right, interest, libe or claim whatsoever in any of the movable and immovable properties / assets of my client and my client is not liable to anybody for their act and dead. Anybody dealing with them shall do so at his / her own risk, cost and consequences
NAVEEN DABAS (Advocate)
Ch. No. 728, Rohini Courts, Delhi-110085

खोया+पाया

I, SUARABH S/o Surender kumar R/o-kh.no-323, netaji st.no-3 vil-lag- karawalnagar Delhi-94 have lost my original/certificate class-10th year-2012 Rollno-8668448 CBSE DELHI. 0040528461-4

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main Senior Secondary Examination of Year-2017/ 2018, Roll.No.5880438,issued by CBSE,has been actually lost.Nikita Chauhan. #9810779126 0040528394-1

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main Senior Secondary Examination of Year-2017/2018, Roll.No.5880438, issued by CBSE,has been actually lost.Nikita Chauhan.#9810779126 0040528394-1

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of main Senior Secondary Examination of Year-2017/2018, Roll.No.5880439, issued by CBSE has been actually lost.Prachi Chauhan.#9810779126 0040528394-2

I, PRAVEEN Kumar S/o Kailash chand R/o-M-171,172 Raghubirnagar Delhi-27 have lost my original/certificate class-10th year-2011 Rollno-8719940 CBSE-Delhi 0040528461-3

Lost my DDA original Conveyance Deed against my House No.21/A, Pocket-D-6, Sector-6, Rohini, Delhi-110085. Finder may contact-Sangeeta Mehta at above noted address 0040528390-1

I Jasmeet Kaur have lost my Aadhar Card, Pan Card, Sim Card No.9711072388 and Cheque Book. Finder may Contact: 8860131622. 0040528438-10

I, Aditya Arora S/o Anil Arora have lost my passed 2nd MBBS marksheet,Enrollment No. 1204101993 year and batch 2012 issued from Subharti Medical College, Meerut. Finder contact 9818135189 0040528459-1

I, Bani raj S/o kalu ram berba h.no-33/57, Ds-park laxminagar Delhi. have lost my original/certificate class-10th year-2012 Rollno-8209548 cbse- delhi. 0040528461-5

I, Neelam Guglani W/o Shri Arun Kumar Guglani R/o Flat No.317-D, Pocket-II, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 have inform that I am the owner of Flat No.43-G. BL-B, Pocket SA B7, Kondli, Gharoli Mayur Vihar Phase-III, Delhi. I have lost original Conveyance Deed dated 02/01/2001 duly regd. as Document No.29, in Book No.1, Volume No.403 on pages 13 to 14 dated 03/01/2001 in the office of Sub-Registrar Delhi related to the above said flat. 0040528365-1

I, Nirmal Kumar Bhansali have lost my Original Property Documents of C-10 Jhandewalan-flatted Factory-Complex, New Delhi, having documents, Provisional Allotment-Letter, Handling over the Possession-Letter, Physical-Possession Letter, MC- Licence, DPCC-Licence, If anyone finds it, kindly contact-9899199499. 0040528446-10

Lost Original File of Property No.1364, M.I.E., Ph.-1, Bahadurgarh. Finder Contact Rakesh Kumar Jindal #9213090153. 0040528406-10

सूचना
सूचित हो कि हमारे पिता द्वारा खरीदी गई भूमि गाटा सं0 381, 382 एवं 385–क, क्षेत्रफल 0.3400 है0 जो कि मीरा रोड, पलिया कलां पर स्थित है के मूल बयनामे की प्रति कहीं खो गई है। जिसका उपयोग अवैध होगा।
अनूप कुमार गुप्ता,
पंकज कुमार गुप्ता,
अमर कुमार गुप्ता,
विमल कुमार गुप्ता
व नवनीत गुप्ता
पुत्रगण श्री नवीन चन्द्र गुप्ता
नि0 मो0 अहिरान 2, पलिया कलां जि0 खीरी उ0प्र0।

सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिल श्री दीपक सोनी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल निवासी: 162, विनोबापुरी, लाजपत नगर–2, दिल्ली–24 ने अपनी पुत्री दीपाली पत्नी कन्हैया लाल पुत्र राजु उर्फ राजवीर निवासी: धौरा पालन, थाना–घीन्डा, तहसील–कौल, जिला–अलीगढ को गलत व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर अपने सभी खूनी संबंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में उसके द्वारा किये किसी भी कार्य के लिये मेरे मुव्वकिल व मेरे मुव्वकिल के परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा।
एस. के. गुप्ता (अधिवक्ता)
चेम्बर नं. डी–209, कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना
मेरे मुवक्किल, श्रीमती निहाल देवी, उम्र 50 वर्ष तथा पति श्री रूम सिंह, उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री सोहन पाल सिंह, निवासी बी–1/2018, ब्लॉक– बी 1, गली नं. 9, न्यू अशोक नगर, वसुन्धरा इन्क्लेव, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110096 ने अपनी बेटी रेनू सिंह, उम्र 25 वर्ष (आधार नम्बर 535992575237) को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है। उसके किसी भी कार्य, लेन–देन व व्यवहार के लिये मेरे मुवक्किल या उसके परिजन जिम्मेदार नहीं होंगे।
हस्ता./–
हेमलता शर्मा,
एडवोकेट

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE
Be it known to all concerned that my clients Smt. Sneh Lata Kapoor W/o Sh. Shashi Kant Kapoor & Sh. Shashi Kant Kapoor S/o Late Sh. Baldev Sagar Kapor R/o E-198, 2nd Floor, Tagore Garden Extension, New Delhi-110027 have disowned / discarded their son namely Manish Kapoor presently R/o Mumbai, India from all their movable & immovable assets & have also ceased all their relations with him in every respect. It is further declared that any person/s whosoever deal with him will do entire at their own costs, risks & responsibility & my clients will not be responsible.
KHERA BHUPINDER SINGH (Advocate)
4, New Guru Nanak Market, New Delhi-15

PUBLIC NOTICE
My client MOHINI DEVI W/O LATE TULSI RAM R/o H. No.-36, New No. -B-1-36, Bharat Vihar, Kakrola, South West Delhi- 110078, do hereby serve all her relations and debar her son HARISH KUMAR and his wife MEGHA from all her movable & immovable properties due to their disobedience and cruel nature. My client shall not be responsible for any of their acts.
Sd/-
ASHOK KUMAR SHARMA (Advocate)
Reg. No. D193A/1981

PUBLIC NOTICE
This is to inform to public at large, that my clients Ashok Kumar, age 62 years, S/o Late Hukam Chand and Smt. Santosh, age 59 years, W/o Ashok Kumar, both R/o Flat No. 91, Amit Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, has discontinued all kind of relation with their son Krishan Mohan, age 31 years, S/o Ashok Kumar and daughter in law Smt. Rishu Gupta, due to the disobedience and frivolous attitude towards my clients and further willfully disown their above named son from all movable & immovable properties. Now he has no right, title or interest in any of my client's movable or immovable properties. My client shall not be responsible for any kind of act or Deeds done by him and his wife from now onwards.
Sd/-
SAURABH SHOKEEN (Advocate)
Ch.: 1220, 12th Floor, Lawyer's Chamber Block, Rohini District Courts, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE
Public at large hereby informed that my client Sh. Mahender Jain S/o Sh. Charnji Lal Jain and Smt. Krishna W/o Sh. Mahender Jain both R/o H.No. N-1/26, Phase-I, Budh Vihar, Delhi-110086, have debarred and disowned their Son namely Sandeep Jain S/o Sh. Mahender Jain, their Daughter-in-law Smt. Jyoti Jain and their grand-son namely master Hridhaan Jain from his/her all moveable and immoveable properties due to their adamant, arrogant and disrespectful behavior and also severed all his/her relations with them. If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risks, costs and consequences. My above said clients shall not in any manner be liable and responsible for the same.
Sd/-
Ghanshyam & Associates
Advocates & Solicitors

PUBLIC NOTICE
Public at large is informed that my clients **Rakesh Sehgal** son of Sh. Inder Raj Sehgal **& Sarla Sehgal** wife of Rakesh Sehgal both R/O New T-Block, Plot No-139, Upper Ground Floor, Matiala Bindapur Road, Uttam Nagar New Delhi- 110059, have disowned/debarred their elder son namely **SUNIL SEHGAL**, & his wife namely **SNEHA SEHGAL** from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.
Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE
Public at large is informed that my clients **Ashok Kumar** son of Sh. Jai Singh Rathi & **Guddy** wife of Ashok Kumar both R/o of H.No. 604, Side-1, Vikas Puri New Delhi-110018, have disowned/ debarred their son namely **SUNDEEP KUMAR**, & his wife namely **DIVYA SAINI** from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.
Sd/-
Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE
It is for general information that I, **Mohd. Akhtar Siddiqui** S/o Moinuddin Siddiqui, R/o 174/15 (Old H. No. 15), Ghaffar Manzil, Jamia Nagar, New Delhi- 110025 declare that name of mine/my father have been wrongly written as **Mohd. Akhtar & Moinuddin** in my XIth Class educational document/s. The actual names of mine/my father are **Mohd. Akhtar Siddiqui** and **Moinuddin Siddiqui** respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE
It is for general information that I Abbal Singh S/o Sh. Kripal Singh R/O H. No. 4180, B-Block, Gali No. 109, Sant Nagar, Burari, Delhi-84, declare that name of my daughter has been wrongly written as **Nikita** in my service record. The actual name of my daughter is **NIKITA NEGI**, and Nikita & Nikita Negi is the same person/lady, respective which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE
It is informed to the public at large that my client Sh. Sat Dev Sachdeva S/o Late Shri sundar Das and Pushpa Rani W/o Sh. Sat Dev Sachdeva both Residing at Resident of A-36, Vandana Apartments, Sector-13, Rohini Delhi- 110085 have severed all their relations with their son Azad sachdeva, Daughter in law namely Namita Gera Sachdeva and their children namely Aveer Sachdeva whether in present or born in future hereby debarred and disowned him and his family from all their moveable and immoveable properties and shall not be liable for any act and omission done by him, if any person deal with them, he/she shall do the same at their own risks, costs and responsibilities and my clients and their other family members shall not be liable for the same.
Sd/-
Sachin Batra (Advocate)
Chamber no - 256, Western Wing, Tis Hazari Court Delhi- 110054

PUBLIC NOTICE
Be it known to all concerned that my clients Sh. Intzar Ali, S/o Late Sh. Sardar Ali, & Smt. Nasra Khan, W/o Sh. Intzar Ali, living with their two son and daughters namely Mr Imran Khan, Ms. Tabassum Khan, Mr Fraz Khan, Ms. Urooj Khan all are residing at H. No. I-91, 4th Floor, Muradi Road, Batla House, Jamia Nagar, Delhi-110025 do hereby, with the present notice, has debarred from all their movable and immovable properties and has severed all the relationship with their elder son namely Sh. Imran Khan and his wife Smt. Sultana Saba along with their legal heirs, due to their unlawful acts, misconduct, disobedience and misbehavior attitude. Any person dealing with them shall be doing so at his/her own risk and my clients shall not be responsible for the same.
Sd/- **NAVED AZAM (Advocate)**
Ch. No. K-131, Tis Hazari Courts, Delhi-110054, M. 9968363291

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुअक्किल, श्री जोगिंदर पुत्र श्री कर्ण सिंह पता–1589/34, शीतल नगर झज्जर रॉड, रोहतक, ने अपनी पत्नी कविता (उम्र करीब 38 वर्ष), अपने दोनों बेटे श्री कपिल (उम्र–21 वर्ष) और तुषार (उम्र–19 वर्ष) को, व्यक्तिगत मतभेद और अनियमित व्यवहार के कारण अपने चल व अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य अधिनियम में पैसा, संपत्ति, भावनात्मक गतिविधि भी शामिल नहीं है। मेरे मुअक्किल किसी भी प्रकार के किसी भी दावे अथवा लेन–देन के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।
RITU VERMA (ADVOCATE)
Enrl No:- D/1126/92

स्थानीय नागरिक कल्याण समिति की अध्यक्ष कोमल के अनुरोध पर बुध विहार थाना अध्यक्ष केपी सिंह ने किरायेदार सत्यापन कैंप में रोहिणी सेक्टर–24 के लोगों को संबोधित किया। क्षेत्र के निवासियों ने उनके कार्यों को सराहा।

शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से मिले उपराज्यपाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनव

जहांगीरपुरी में चाकू से गला रेतकर मां और बेटे की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

जहांगीरपुरी में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मां-बेटे की चाकू से हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 36 साल की पूजा और उनके 12 साल के बेटे हर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पातल में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि पूजा अपने बेटे हर्ष के साथ जहांगीरपुरी स्थित के-ब्लॉक में रहती थीं। उनके पति की दो वर्ष पहले बीमारी चलते मौत हो गई थी। वह पहले निजी कंपनी में नौकरी करती थीं। लेकिन इन दिनों कोई काम नहीं कर रही थीं।

उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि जहांगीरपुरी इलाके में हुई हत्या

दो दिन से शव फ्लैट में बंद थे

में मां की पीठ पर और बेटे की चाकू से गला रेतकर हत्या की गई है। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। पुलिस हत्या, हत्या के बाद खुदकुशी, लूटपाट के बाद हत्या और आपसी रंजिश के अलावा अन्य बिंदुओं से भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस घटनास्थल और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मंगलवार सुबह 10 बजे पड़ोसियों से पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान से बदबू आ रही है। पुलिस दरवाजा तोड़कर जब अंदर गई तो उनके होश उड़ गए। घर में एक मासूम और उसकी मां खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। पुलिस को घर का सामान ज्यों का त्यों मिला है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे किसी जानकार के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। जांच में पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पिछले दो दिनों से यह फ्लैट बंद पड़ा था। पड़ोसियों ने मामले की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी। बच्चे हर्ष का शव बुरी तरह फूला हुआ मिला। शवों की हालत देखकर लग रहा था कि कातिलों ने दो दिन पहले ही मां-बेटे की हत्या कर कुंडी लगा दी। पूजा के पति के मौत के बाद से वह अपने बेटे के साथ अकेली घर में रहती थी। पति की मौत के बाद से उसके परिवार वाले उसकी सहायता कर रहे थे।

उस्मानपुर में पति पत्नी के शव मिले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के करतार नगर इलाके में सोमवार रात पति-पत्नी की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों कुछ समय पहले ही उस्मानपुर के करतार नगर में रहने आए थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारे गए दंपति की पहचान 29 साल के बलराम और 21 साल की पायली के रूप में की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले ही ये शादी कर-के करतार नगर में रहने आए थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि दोनों की मौत की वजह क्या है।

पर्यावरण, विकास, बापू और बोस की बात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

राजधानी महाविद्यालय में मंगलवार को दधीचि द कॉम्पटेटिव सोसायटी एवं गांधी स्वाध्याय मंडल की ओर से पर्यावरण और विकास एवं बापू और बोस पर व्याख्यान आयोजित किया गया। पहले सत्र का विषय पर्यावरण और विकास था, जिसमें वक्ता डॉ. सुभाष शर्मा, सेवानिवृत्त आइएएस रहे। प्राचार्य डॉ. राजेश गिरि ने विद्यार्थियों की विभिन्न सोसायटियों में प्रतिभागिता पर बात रखते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य पर उत्साह व्यक्त किया। दूसरे सत्र में बापू और बोस पर व्याख्यान के लिए डॉ. सौरभ बाजपेयी मुख्य मेहमान रहे।

विज्ञापन संख्या 06/2020
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
में
निदेशक (उत्पादन)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **9 मार्च, 2020** (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

विज्ञापन संख्या : 07/2020
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
में
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक-निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **26 मार्च, 2020 (15.00 बजे तक)** है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

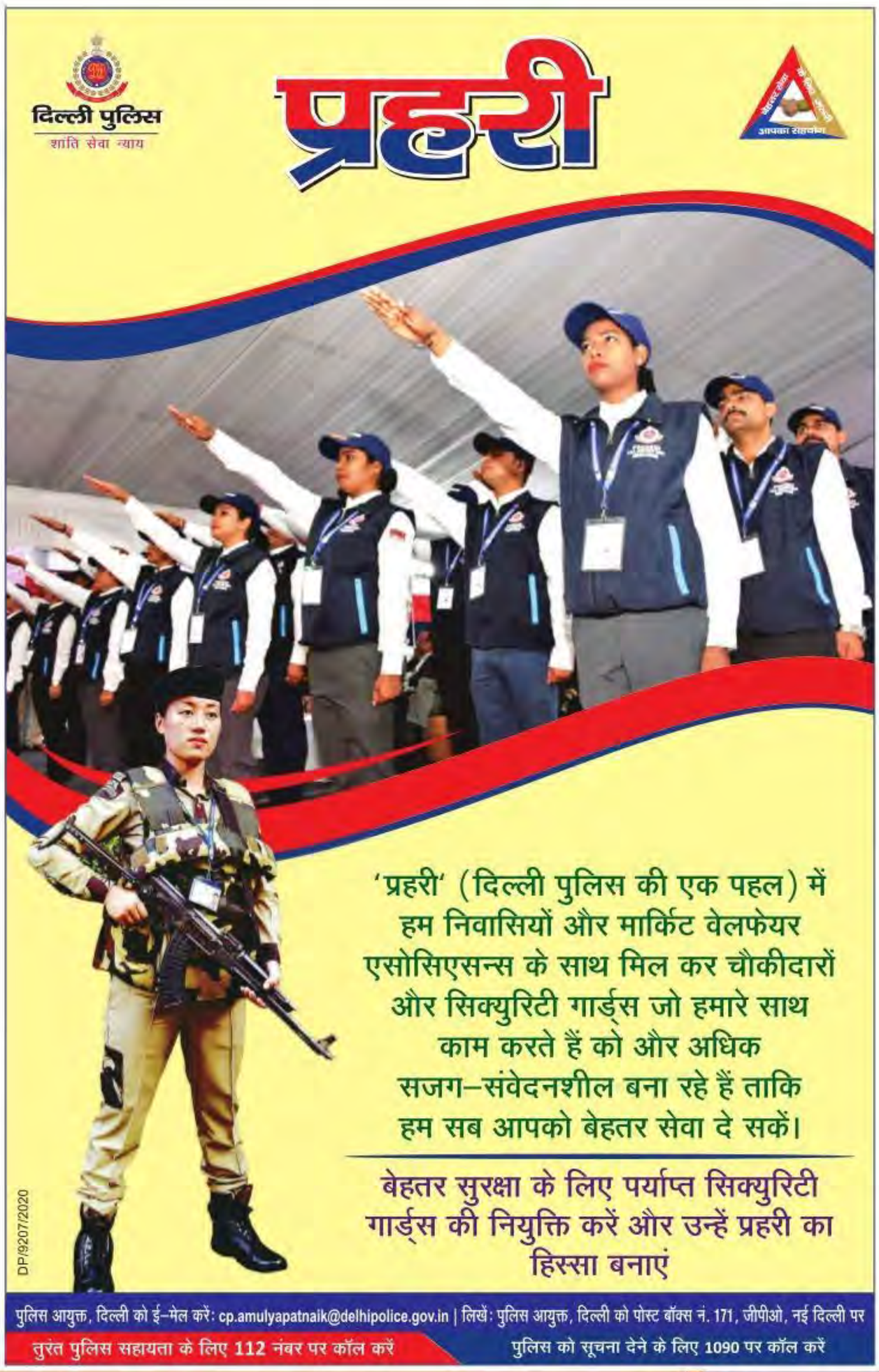

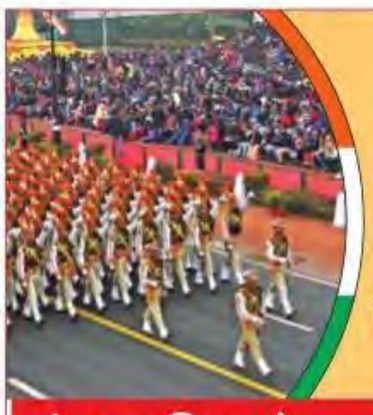

यातायात निर्देशिका

गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल

23 जनवरी, 2020

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

बेहतर सेवा के लिए प्रहरी आपका सहयोग

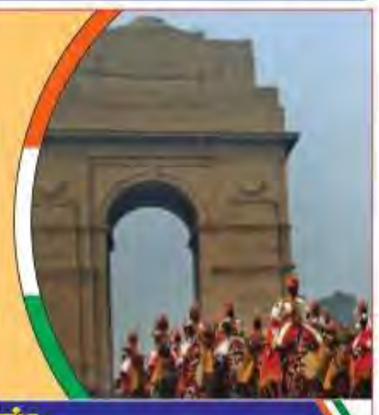

परेड रूट- विजय चौक - राजपथ - सी हेक्सागन - तिलक मार्ग - बहादुर शाह जफर मार्ग - नेताजी सुभाष मार्ग - लाल किला

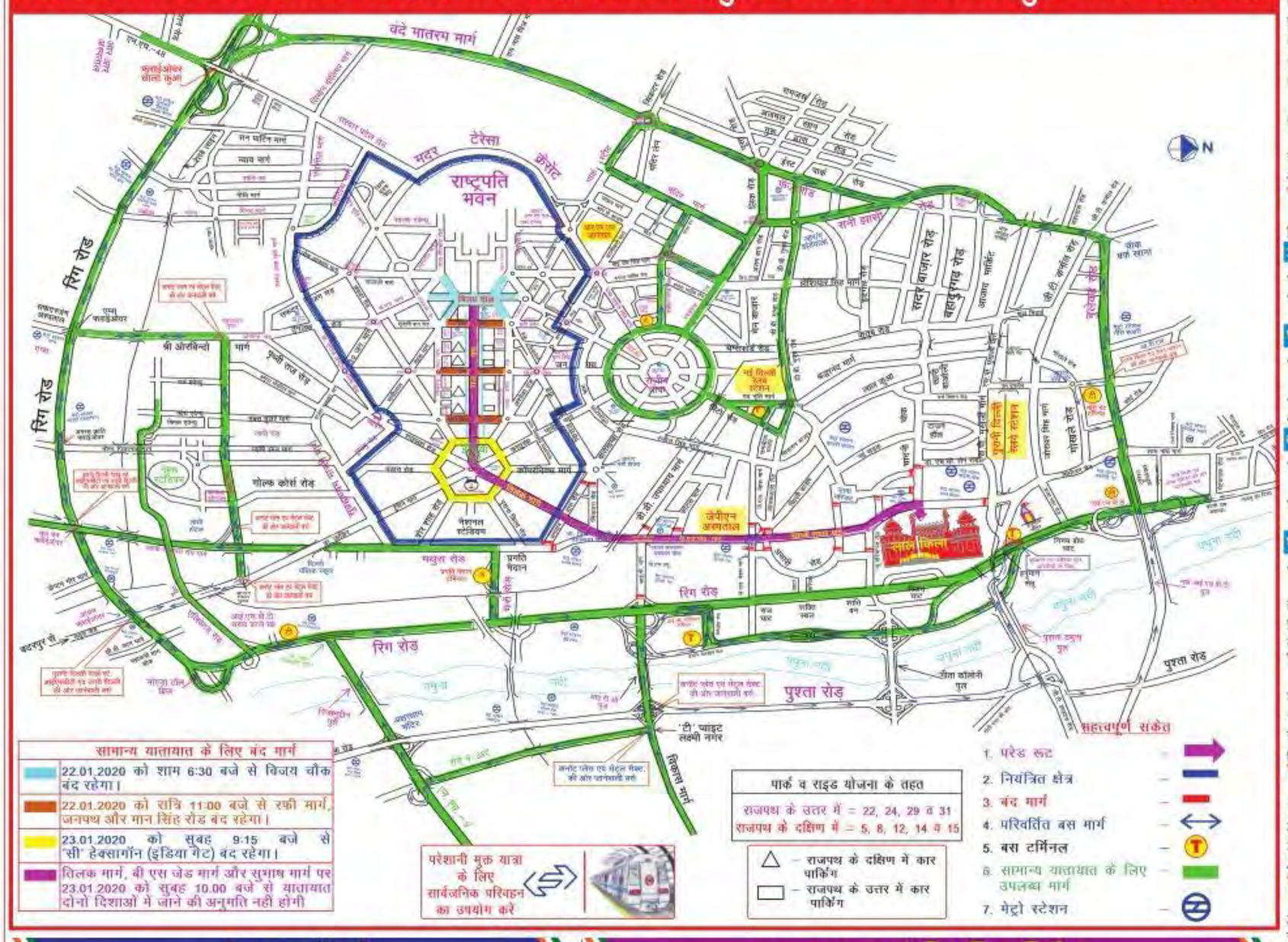

यातायात प्रतिबंध

परेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए परेड की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर यातायात के आवागमन को निम्नानुसार प्रतिबंधित किया जाएगा

(1) राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक 22.01.2020 को शाम 06.00 बजे से परेड के पूर्ण होने तक कोई यातायात नहीं।
(2) राजपथ पर रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड तक 22.01.2020 को रात्रि 11.00 बजे से परेड के पूर्ण होने तक कोई यातायात नहीं।
(3) 'सी' हेक्सागॉन – इंडिया गेट 23.01.2020 को सुबह 09.15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार कर जाने तक कोई यातायात नहीं।
(4) तिलक मार्ग, बी एस जेड मार्ग और सुभाष मार्ग पर 23.01.2020 को सुबह 10.00 बजे से यातायात दोनों दिशाओं में जाने की अनुमति नहीं होगी। आर पार के यातायात को केवल परेड के आगमन पर निर्भर करते हुए अनुमति दी जाएगी।

सड़क पर चलने वाले लोगों से अनुरोध है कि इसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, और अपनी सुविधा के अनुसार सुबह 0900 बजे से 1230 बजे तक परेड के रास्ते पर जाने से बचें।

वैकल्पिक मार्ग

फिर भी, अगर यात्रा अनिवार्य है तो सड़क उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित मार्गों के उपयोग करने की सलाह दी जाती है:-

उत्तर - दक्षिण कॉरिडोर

- रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खाँ – आईपी फ्लाईओवर – राज घाट – रिंग रोड
- मदरसा से – लोधी रोड टी प्वाइंट–अरबिंदो मार्ग –एम्स चौक – रिंग रोड धौला कुआँ – वन्देमातरम मार्ग – शंकर रोड – पार्क स्ट्रीट अथवा मंदिर मार्ग

पूर्व - पश्चिम कॉरिडोर

- रिंग रोड– भैरों रोड – मथुरा रोड – लोधी रोड – अरबिंदो मार्ग– एम्स चौक – रिंग रोड धौला कुआँ – वन्देमातरम मार्ग – शंकर रोड – पार्क स्ट्रीट अथवा मंदिर मार्ग
- रिंग रोड– बुलेवार्ड रोड –बर्फ खाना चौक – रानी झांसी फ्लाईओवर – फैज रोड – वन्देमातरम मार्ग – आर/ए शंकर रोड।
- रिंगरोड – आईएसबीटी – चंदगीराम अखाड़ा – आई.पी. कॉलेज – मॉल रोड – आजादपुर – पंजाबी बाग।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

- दक्षिणी दिल्ली से धौला कुआ – वन्देमातरम मार्ग – पंचकुइयां रोड – आउटर सर्किल कनॉट प्लेस – चेम्सफोर्ड रोड – पहाड़गंज साइड के लिए या अजमेरी गेट के लिए मिंटो रोड–भवभूति मार्ग।
- पूर्वी दिल्ली से आईएसबीटी ब्रिज से होते हुए बुलेवार्ड रोड – रानी झांसी फ्लाईओवर – आर/ए झंडेवालान – डी.बी. गुप्ता रोड – शीला सिनेमा रोड – पहाड़गंज पुल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

- दक्षिण दिल्ली से रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खाँ – रिंग रोड – राजघाट – रिंग रोड – यमुना बाजार चौक – एस.पी. मुखर्जी मार्ग – छत्ता रेल – कौड़िया पुल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे।

हालांकि उत्तरी दिल्ली के लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा फिर भी यह सलाह दी जाती है कि सम्भावित देरी से बचने के लिए वे अग्रिम में अपनी यात्रा की योजना बनाते हुए गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय रखें।

बसों के समापन बिन्दु

शहरी बसों का आवागन निम्नलिखित स्थानों पर समाप्त हो जाएगा :

1. पार्क स्ट्रीट/उद्यान मार्ग, **2.** आराम बाग (पहाड़गंज), **3.** आर/ए कमला मार्किट, **4.** दिल्ली सचिवालय (आईजी स्टेडियम) **5.** प्रगति मैदान (भैरों रोड) **6.** हनुमान मंदिर (यमुना बाजार) **7.** मोरी गेट **8.** आईएसबीटी कश्मीरी गेट **9.** आईएसबीटी सराय काले खाँ **10.** तीस हजारी कोर्ट

अंतर्राज्यीय बसें

1. गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम को आने वाली बस एनएच–24, रिंग रोड से होकर भैरो रोड पर समाप्त होगी
2. एनएच–24 से आने वाली बस रोड नं 56 पर दाहिने मुड़ेगी और आईएसबीटी आनन्द विहार पर समाप्त होंगी
3. गाजियाबाद की तरफ से आने वाली बसें मोहन नगर से भोपुरा चुंगी की तरफ से वजीराबाद की तरफ मोड़ दी जाएंगी।
4. धौला कुआं की ओर आने वाली अंतर्राज्यीय बसें धौला कुआं पर ही समाप्त होगी।

मेट्रो सेवाएं

23 जनवरी, 2020 को फुल ड्रेस रिहर्सल सेरेमनी के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध रहेगी। हालांकि, नीचे दिए गए स्टेशन पर बोर्डिंग/डी-बोर्डिंग को दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अनुमति नहीं दी जाएगी:

मेट्रो स्टेशन का नाम	बोर्डिंग /डी-बोर्डिंग की अनुमति
केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन	23.01.2020 को सुबह 5.00 बजे से दोपहर 1200 बजे तक नहीं रहेगी

DP/9209/2020

टीएसआर/टैक्सी

23.01.2020 को 0700 बजे के बाद किसी भी टीएसआर और टैक्सी को निम्नलिखित मार्गों पर प्रवेश या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

मदर टेरेसा क्रिसेंट – बाबा खड़क सिंह मार्ग – अशोका रोड आर/ए पटेल चौक तक – संसद मार्ग टॉलस्टॉय मार्ग तक – टॉलस्टॉय मार्ग कस्तूरबा गांधी मार्ग तक – कस्तूरबा गांधी मार्ग फिरोजशाह रोड तक – फिरोजशाह रोड से – आर/ए मंडी हाउस तक – भगवान दास रोड – मथुरा रोड – सुब्रह्मणयम भारती मार्ग – हुमायू रोड – ए.पी. जे. अब्दुल कलाम मार्ग – केमल अतातुर्क मार्ग – कोटिल्य मार्ग और सरदार पटेल रोड (छोड़कर)

आम जनता के लिए दिशा निर्देश:

किसी भी लावारिस सामान या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत ड्यूटी पर तैनात अपने नजदीकी पुलिसकर्मी को इसकी सूचना दें। 15 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म जैसे पैरा-ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट द्वारा चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर को उड़ाने या एयरक्राफ्ट आदि से पैरा जम्पिंग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आम जनता और वाहन चालकों से अनुरोध किया जाता है कि वे संयम बरतें और यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क पर अनुशासन बनाये रखें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। किसी भी असुविधा से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपनी यात्रा कि योजना बना लें।

एचटीवी/एलजीवी

22.01.2020 को 2200 बजे से परेड समाप्त होने तक किसी भी एचटीवी/एलजीवी को सीमाओं से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। 23.01.2020 को 0730 बजे से 1330 बजे तक रिंग रोड पर आई.एस.बी.टी सराय काले खां और आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट के बीच किसी भी एचटीवी/एलजीवी को चलने की अनुमति नहीं होगी।

ट्रैफिक प्रहरी बनें – एप डाउनलोड करें Google play या App Store
दिल्ली यातायात पुलिस हेल्पलाइन – 1095/011-25844444
तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 112
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

www.readwhere.com

भाजपा सहयोगियों के साथ उतरी मैदान में

जद (एकी), लोजपा को भी दी सीटें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

भाजपा दिल्ली की राजनीति में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में है। अब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी केवल अकाली दल के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती रही है। इस पहल से बिहार की राजनीति का असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव भाजपा, जद (जनता दल एकी) और लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) तीनों पार्टियों के साथ मिलकर दिल्ली में लड़ने जा रही है। सभी 67 सीटों पर जदयू और लोजपा का भाजपा के उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन मिलेगा।

मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में पहली बार जद (एकी), लोजपा एवं भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए प्रदेश कार्यालय से की जा रही है। राजग गठबंधन के तहत जद (एकी) दो सीटों पर बुराड़ी व संगम विहार सीट से चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी सीमापुरी विधानसभा से मैदान में है। बाकि 67 सीट पर ये पार्टियां भाजपा का समर्थन करेंगी। इस गठबंधन के लिए भाजपा ने जद (एकी) नेता नीतीश कुमार का और लोजपा नेता रामविलास पासवान व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता चिराग पासवान का धन्यवाद किया है।

जदयू के राष्ट्रीय महामंत्री संजय झा ने कहा कि जनता दल (एकी) का गठबंधन भाजपा के साथ है जो एक सकारात्मक विचारों का गठबंधन है। हम सभी मिलकर गठबंधन धर्म को आगे लेकर चल रहे है दिल्ली की जनता में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एके वाजपेयी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व दिल्ली के सह-प्रभारी तरुण चुघ, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय, राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख संजय मयूख, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ, सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी एवं प्रमुख अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।

रणनीति

बिहार की राजनीति को दिल्ली में जगह देने की बड़ी कोशिश

दिल्ली की 67 सीटों पर जदयू और लोजपा का भाजपा के उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन मिलेगा।

जनता दल (एकी) दो सीटों पर बुराड़ी व संगम विहार सीट से चुनाव लड़ेगी।

लोक जनशक्ति पार्टी सीमापुरी विधानसभा से मैदान में है।

छात्र राजनीति से निकलकर सीधे जनता के बीच

डूसू के छह पूर्व अध्यक्ष मैदान में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के छह पूर्व अध्यक्ष मैदान में उतरे हैं। इनमें तीन को कांग्रेस और तीन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा डूसू से संबंधित अन्य पदाधिकारी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी पढ़ाई के साथ-साथ देश को बेहतरीन राजनेता देने के लिए भी जाना जाता है। यहां के छात्र संघ से चुनाव लड़ने वाले कई विद्यार्थी आगे चलकर बड़े नेता बने। इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चांदनी चौक से अलका लांबा, मालवीय नगर से नीतू सिंह और राजेंद्र नगर से रॉकी तुसीद को टिकट दिया है। वहीं, भाजपा ने किराड़ी से अनिल झा, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता और जनकपुरी से आशीष सूद को उम्मीदवार बनाया है। ये सभी डूसू में अध्यक्ष रहे हैं। वहीं, डूसू के उपाध्यक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से भाजपा उम्मीदवार हैं।

कांग्रेस : चांदनी चौक से अलका लांबा, मालवीय नगर से नीतू सिंह, राजेंद्र नगर से रॉकी तुसीद

भाजपा : किराड़ी से अनिल झा, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, जनकपुरी से आशीष सूद

हमारे उम्मीदवार

साल 1995 में एनएसयूआइ की ओर से डूसू की अध्यक्ष चुनी गईं अलका लंबा पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से जीती थीं। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर अलका फिर से कांग्रेस से जुड़ी हैं और कांग्रेस ने उन्हें चांदनी चौक से ही उम्मीदवार बनाया है। 1996 में एबीवीपी की ओर से डूसू की अध्यक्ष चुनी गईं रेखा गुप्ता को भाजपा ने शालीमार बाग से चुनाव मैदान में उतारा है। 1997 में एबीवीपी की ओर से डूसू अध्यक्ष बने अनिल झा को भाजपा ने किराड़ी सीट और डूसू अध्यक्ष रहे आशीष सूद जनकपुरी से भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2001 में एनसीयूआइ की ओर से डूसू के अध्यक्ष पद पर विजयी रहीं नीतू वर्मा को कांग्रेस ने मालवीय नगर से टिकट दिया है। इसी क्रम में सबसे नया नाम है रॉकी तुसीद का। रॉकी 2017 में एनएसयूआइ की ओर से डूसू अध्यक्ष पद पर जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है।

मंत्री के पद तक पहुंचे कई छात्र

अरुण जेटली 1974 में डूसू के अध्यक्ष थे। वह देश के वित्त व कानून मंत्री रहे। विजय गोयल 1977 में डूसू अध्यक्ष बने और वर्तमान में वह राज्य सभा सांसद हैं। 1985 में डूसू के अध्यक्ष बने अजय माकन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 1980 में डूसू के अध्यक्ष रहे विजय जौली दिल्ली में विधायक रहे हैं। वर्ष 2008 में डूसू की अध्यक्ष रहीं नुपूर शर्मा भाजपा प्रवक्ता हैं और पिछले चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार थीं।

ऐ भाई...

कांग्रेस उम्मीदवार अरबिंद सिंह करावल नगर से मैदान में हैं।

आज से अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे पद यात्रा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी बुधवार से जमीन पर उतरकर लोगों से मिलेगी। इसके लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। शुरुआत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा से होगी। दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने यह जानकारी दी।

गोपाल राय ने कहा कि बुधवार से अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। यह बुराड़ी में सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो बादली से होते हुए आदर्श नगर में समाप्त होगा। इसके बाद शाम 4 बजे कृष्णा नगर से शाहदरा तक रोड शो होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर भाजपा के नजरिए में थोड़ी भी गुंजाइश बची है तो अपने मुख्यमंत्री प्रत्याशी का चेहरा सामने लाए।

उन्होंने बताया कि आज से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज मनीष सिसोदिया जंगपुरा, कालकाजी में संजय सिंह, लक्ष्मीनगर व विश्वास नगर में गोपाल राय प्रचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी संयोजक ने राजेन्द्र नगर व हरि नगर में भी सभाएं की हैं। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी से दिल्ली में टाउन हॉल मीटिंग शुरू होगी जो 30 जनवरी तक चलेगी। ऐसी कुल 8 बैठक होंगी। उन्होंने बताया कि जिन 8 विधानसभा में टाउन हॉल मीटिंग होगी, उन क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल रोड शो भी करेंगे।

मकसद आम जनता तक गारंटी कार्ड पहुंचाएगी। ऐसे 35 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य पार्टी ने रखा। आज गोपाल राय और संजय सिंह हाजी इशराक से मिले, वे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे

चुनाव में शराब परोसे जाने का खुलासा, एक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में शराब परोसे जाने वाले एक बड़े गिरोह का विकासपुरी पुलिस ने खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का नाम सोनू है। वह मोहन गार्डन का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने अवैध देसी शराब के आठ गत्ते बरामद किए हैं। उपायुक्त दीपक पुरोहित के मुताबिक चंदर विहार के पास अवरोधक लगाकर जांच करते हुए एक सफेद रंग की कार की तलाशी ली। कार में आठ गत्ते अवैध शराब बरामद की गई। गाड़ी के चालक के पास से पुलिस को शराब ले जाने का कोई लाइसेंस नहीं मिला और न ही गाड़ी का कोई कागज दिखा पाया।

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
फरीदाबाद सेक्टर-21सी
डीएसएस 31 से 32, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
टेलीफोन नं. 0129-2437110

कब्जा सूचना

{ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1)}
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 4.11.2019 जारी कर ऋणधारक मै. नेहा एण्टरप्राईजेज (प्रॉप. योगेश) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 21,66,771.50 (रुपए इक्कीस लाख छियासठ हजार सात सौ इकहत्तर एवं पैसे पचास मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारक पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिए आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः
भगवानी देवी के स्वामित्व में खसरा नं. 13/22/1, 24/1, 2, 3, मौजा समयपुर, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित आवासीय सम्पत्ति में स्थित भूमि एवं भवन-आवासीय माप लगभग 1800 वर्ग फीट। चौहद्दीः पूर्वः मेघ श्याम जी का मकान, पश्चिमः खुला प्लॉट, उत्तरः 20 फीट चौड़ा सड़क, दक्षिणः श्री रूप सिंह का मकान।

तिथिः 15.1.2020 — एजीएम/मुख्य प्रबंधक एंव प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः फरीदाबाद — आन्ध्रा बैंक

अंतिम दिन परचा भरने उमड़ा छोटे-बड़े नेताओं का सैलाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में परचा भरने के लिए अंतिम आखिरी तारीख पिछले सात दिनों पर भारी पड़ी। सात दिनों में जितने लोगों ने नामांकन भरा उससे ज्यादा लोग आखिरी दिन यानि मंगलवार को परचा भरने पहुंचे। चुनाव आयोग के मुताबिक 14 जनवरी से सोमवार तक 327 उम्मीदवारों ने परचा भरा था लेकिन मंगलवार को यह आकड़ा 600 को पार कर गया। जबकि प्रतिरूपी (डमी) उम्मीदवारों को शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 1473 को पार कर गई है। सोमवार तक डमी उम्मीदवारों को मिलाकर चुनाव लड़ने के दावेदारों की सूची 722 थी, जो एक ही दिन में मंगलवार को दोगुनी हो गई। परचा वापसी की तारीख 24 जनवरी है। इसके बाद चुनाव मौदान में डटने वाले उम्मीदवारों की अंतिम संख्या सामने आएगी।

मंगलवार 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक एसडीएम कार्यालयों में दाखिल हो चुके सभी नागरिकों के उम्मीदवारी के दावों को अधिकारियों ने स्वीकार किया। निर्वाचन अधिकारियों के यहां देर रात तक नामांकन प्रक्रिया चलती रही। कार्यालयों पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने की चलते नामांकन प्रक्रिया रात्रि 10 बजे तक जारी रही। हालात यह रहे कि दिल्ली चुनाव अधिकारी कार्यालय रात दस बजे तक सभी 70 सीटों का अंतिम आकड़ा मुहैया नहीं करा सका। चुनाव अधिकारी के मुताबिक 55 सीटों पर देर रात नौ बजे तक 592 लोग परचा भर चुके थे और प्रक्रिया जारी थी। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे।

साथ ही शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक डॉ एससी वत्स ने मंगलवार को कंझावला एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त ने भी मंगलवार को गुरुद्वारा सिंह साबिह कोटला मुबारकपुर से शुरू हुए एक ऐसिहासिक रोड शो के बाद कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। अभिषेक दत्त एंड्रयूजगंज से दो कार्यकाल से निगम पार्षद हैं। अभिषेक दत्त एक ऑटो रिक्शा पर एसडीएम कार्यालय महरौली पहुंचे।

करावल नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अरबिंद सिंह ने नंद नगरी एसडीएम कार्यालय में नामांकन किया। समर्थकों के साथ अरबिंद का काफिला करावल नगर से नंद नगरी एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके अरबिंद सिंह कांग्रेस के संगठन अखिल भारतीय संगठित कामकार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ ही नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा, जनता दल (एकी) और लोक जनशक्ति पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

बिधूड़ी मंगलवार सुबह अपने समर्थकों के साथ अपने घर से समर्थकों के हुजूम के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने निकले और सादगी के साथ संसदीय मार्ग स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। दिल्ली विधानसभा का तीन चुनाव जीत चुके बिधूड़ी भाजपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह नेताजी से हैं।

विश्वास नगर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरन सिंह राजू ने मंगलवार को नंदनगरी स्थित एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। मंगलवार सुबह प्रीत विहार स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद गुरचरन का काफिला मधुबन, निर्माण विहार, चित्रा विहार, विश्वास नगर, हरगोबिंद एन्क्लेव, एजीसीआर, आर्य नगर, आनंद विहार होते हुए नंद नगरी पहुंचा। गुरचरन सिंह ने कहा नगर निगम में भाजपा और केंद्र में बीजेपी तथा दिल्ली में जुमलेबाज की सरकार को लोगों ने देख लिया।

नामांकन

'अधिक नामांकन बता रहे जनता की नाराजगी'

भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में हो रहे बड़ी संख्या में निर्दलीय नामांकन बताता है कि जनता में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति आक्रोश का प्रमाण है। नई दिल्ली क्षेत्र की जनता गत 5 साल से मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा से त्रस्त है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग निर्दलीय नई दिल्ली से नामांकन कराने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नामांकन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल से चल रहा ड्रामा देख दिल्ली की जनता आश्रय चकित है। देरी की आने की वजह से उन्हें लाइन में लगना पड़ा। अब अगर वहां आपको 45 वेटिंग नंबर मिला तो यह मुख्यमंत्री की खुद की चाल है। वह चाहते तो सुबह 11 बजे पहुंचकर नामांकन पहले कर सकते हैं। यह सब केवल मीडिया में बने रहने के लिए किया गया।

प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार

पूर्व मंत्री तोमर की जगह उनकी पत्नी को 'आप' ने दिया टिकट

आम आदमी पार्टी ने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से अपने पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का टिकट काट कर उनकी पत्नी प्रीति तोमर को नया उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले पार्टी ने तोमर को त्रिनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। दरअसल पार्टी ने यह कदम अदालत के आदेश के बाद उठाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठी जानकारी देने पर उनका निर्वाचन दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तोमर को 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन जुलाई में उन्हें दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। भाजपा ने भी जितेंद्र सिंह तोमर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग आयोग से की थी।

कमांडो सुरेंद्र और फतेह सिंह राकांपा के उम्मीदवार

दिल्ली कैंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र के मंगलवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का दामन थाम लिया। उन्हें इसी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक फतेह सिंह को गोकुलपुर से उम्मीदवार मनाया है। पार्टी ने कुल सात उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी की ओर से दिल्ली के पर्यवेक्षक केके शर्मा और बृजमोहन श्रीवास्तव ने जानकारी दी। पार्टी की ओर से बाबरपुर से जाहिद अली, घोंडा से प्रशांत गौर, छतरपुर से राणा सुजीत सिंह, मुस्तफाबाद से मयुर भान और चांदनी चौक से असिम बेग को टिकट दिया गया है।

ऐक्सिस बैंक — **आधिपत्य नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

ऋणी/ सह-ऋणी/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
श्री मुकेश (ऋणी) पुत्र राम स्वरूप निवासी एम-18, डेलापीर, एकता नगर, डबल स्टोरी, बरेली, उ0प्र0 भारत 243122 एवं : निवासी ग्राम सरिंद नगला, पोस्ट एटा, निकट लाल गढ़ी, जिला एटा, उत्तर प्रदेश भारत 207001 एवं : द्वारा सफाई कर्मचारी वार्ड नं0 8, नगर निगम बरेली, उत्तर प्रदेश भारत 243001 श्री आनन्द कुमार वाल्मीकी (सह-ऋणी) पुत्र मुकेश वाल्मीकी निवासी एम-18, डेलापीर, एकता नगर, डबल स्टोरी, बरेली, उ0प्र0 भारत 243122 एवं : निवासी ग्राम सरिंद नगला, पोस्ट एटा, निकट लाल गढ़ी, जिला एटा, उत्तर प्रदेश भारत 207001	स्थित खसरा नं0 1017, ग्राम-बिहारमन नगला, पीलीभीत रोड, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, 243001 क्षेत्रफल-50.16 वर्गमी0 चौहद्दी : पूर्व : प्लाट शर्मा जी पश्चिम: रास्ता उत्तर : अन्य की भूमि दक्षिण: अन्य की भूमि	रू. 9,85,853.00 दिनांक 15.11.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे देय सूचना की तिथि 15.11.2019 कब्जा दिनांक 17.01.2020

दिनांक : 22.01.2020, स्थान : लखनऊ — (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

भाजयुमो के अध्यक्ष देंगे केजरीवाल को टक्कर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

नई दिल्ली सीट पर प्रत्याशी के चेहरे को लेकर मचे बवाल के बाद आखिर दौर में भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस बार भाजपा ने नई दिल्ली सीट के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के अध्यक्ष सुनील यादव को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मैदान में है।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने की सोमवार रात घोषणा की जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई। इसके बाद सीटों पर नामों की घोषणा होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली और प्रमुख दलों के नेता सुबह से ही नामांकन दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। इस सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। नागरिकता कानून (सीएए) पर शिअद की राय भिन्न है और इसी कारण पार्टी ने भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। भाजपा ने जिन नामों को अपनी आखिरी सूची में शामिल किया है। उसमें दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तेजेंदरपाल सिंह बग्गा हरि नगर से और पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के प्रमुख मनीष सिंह दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में भाजपा ने उन सभी चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जहां से विधानसभा चुनावों में शिअद के उम्मीदवार खड़े होते थे। इस बार पार्टी ने धर्मवीर सिंह को कालकाजी, पूर्व उप महापौर संजय गोयल को शाहदरा, रमेश खन्ना को राजौरी गार्डन, सुमनलता शौकीन को नांगलोई जाट, रविंद्र चौधरी को कस्तूरबा नगर, कुसुम खत्री को महरौली और अनिल गोयल को कृष्णा नगर से उम्मीदवार बनाया हैं। भाजपा ने तीन सीटें सहयोगी दल जद (एकी) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के लिए छोड़ी हैं। जद (एकी) बुराड़ी तथा संगम विहार, वहीं लोजपा सीमापुरी सीट से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान होगा और 11 को मतगणना होगी।

मुकाबला

इण्डियन ओवरसीज बैंक
ग्रेटर कैलाश- II शाखा
एम-82, मैन मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.11.2019 जारी कर ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों मै. नितिन इन्टरनेशनल (प्रॉप. श्री बलदेव सेठ) (यहां के बाद 'ऋणधारक' वर्णित) कार्यालय का पताः टी.ए. 250, तुगलकाबाद एक्स्टेंशन, कालकाजी, नई दिल्ली- 110019 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.10.2019 को रु. 1,50,85,004.86 (रुपए एक करोड़ पचास लाख पचासी हजार चार तथा पैसे छियासी मात्र) तथा वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 जनवरी, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद पुनर्भुगतान यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ 31.10.2019 को रु. 1,50,85,004.86/- (रुपए एक करोड़ पचास लाख पचासी हजार चार तथा पैसे छियासी मात्र) की राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 1,54,05,529.86- (रुपये एक करोड़ चौवन लाख पांच हजार पांच सौ उन्नतीस एवं पैसे छियासी मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

टीए-200, तुगलकाबाद एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110019 में स्थित नितिन इन्टरनेशनल, प्रॉप्राईटर श्री बलदेव सेठ, पुत्र ओ.पी. सेठ के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति का ई/एम।
चौहद्दीः पूर्वः सम्पत्ति सं. 248, पश्चिमः सम्पत्ति सं. 268, उत्तरः 20' चौड़ा रोड, दक्षिणः सर्विस लेन/ गली नं. 4

तिथिः 18.01.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — इंडियन ओवरसीज बैंक

सिब्बल ने सरकार के शीर्ष लोगों को दी बहस की चुनौती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर राजग सरकार के शीर्ष लोगों को बहस की चुनौती दी। इस नए कानून को लेकर गृह मंत्री शाह द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बहस करने की चुनौती देने के बाद सिब्बल ने यह पलटवार किया।

शाह ने लखनऊ की एक सभा में कहा कि वह राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मायावती को सीएए पर बहस की चुनौती देते हैं। सिब्बल ने राजग सरकार पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के संदर्भ में नौ झूठ बोलने का आरोप लगाया और सवाल किया कि देश की जनता इन पर कैसे विश्वास करेगी। पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश को बहस की चुनौती दी। लेकिन राहुल गांधी से पहले वे किसी भी चयनित जगह व समय पर खुद बहस को तैयार हैं।

सिब्बल ने आरोप लगाया कि सीएए को लेकर सरकार के नौ झूठ सामने रख रहा हूं। पहला झूठ यह कि यह कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। लगता है कि इन्होंने नागरिकता कानून नहीं पढ़ा है। पहली बार हमारे देश मे नागरिकता धर्म के आधार पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरा झूठ है कि

सीएए विरोध

राजग सरकार पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के संदर्भ में नौ झूठ बोलने का लगाया आरोप

सीएए का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि पहले यह कानून आएगा और फिर एनआरसी लाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि तीसरा झूठ यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि एनआरसी लागू की जाएगी। चौथा झूठ यह कि एनआरसी प्रक्रिया अधिसूचित नहीं है, जबकि यह प्रावधान पहले ही 2003 के कानून में है। उन्होंने कहा कि पांचवां झूठ यह कि एनआरसी की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। जबकि सरकार ने पिछले साल कहा कि एनपीआर के तहत एनआरसी के लिए डेटा एकत्र किए जाएंगे। छठा झूठ यह है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। एनपीआर के बिना एनआरसी नहीं हो सकता।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सातवां झूठ यह कि किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है। असम की एनआरसी से पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम गायब है। कारगिल में भाग लेने वाले सैनिक सनाउल्लाह का नाम भी एनआरसी में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि गरीब अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे, क्योंकि उनके पास कागजात नहीं है। सिब्बल ने कहा कि आठवां झूठ यह कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि छह डिटेंशन सेंटर पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा, नौवां झूठ यह कि प्रदर्शनकारियों पर कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 28 लोग मारे गए। यह कैसे हुआ?

एनपीआर में सूचना का खुलासा करना स्वैच्छिक : रेड्डी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

गैर-भाजपा शासित कुछ राज्यों के कड़े विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की कवायद में सूचना का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनपीआर पहली बार 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए द्वारा शुरू किया गया था और यह एक संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि एनपीआर में सूचना का खुलासा करना स्वैच्छिक है। रेड्डी ने कहा कि एनपीआर एक संवैधानिक दायित्व है, राज्यों को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एनपीआर के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक करेगी। एनपीआर की कवायद एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 के बीच की जाएगी।

कहा, एनपीआर एक संवैधानिक दायित्व है, राज्यों को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे एनपीआर कवायद में शामिल नहीं होंगी। उनका कहना है कि यह देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से पहले का चरण है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वोत्तर और गैर-भाजपा शासित राज्यों में अपने समकक्षों से एनपीआर प्रपत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की अपील की है। केरल सरकार ने घोषणा की है कि वह जनगणना की कवायद को लागू करेगा, लेकिन एनपीआर के साथ सहयोग नहीं करेगा।

राज्यसभा से बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ मंजूर

चंडीगढ़, 21 जनवरी (जनसत्ता)।

अपने बेटे को लोकसभा में भेजने के लिए मंत्री पद और पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। इसके साथ ही हरियाणा से अब राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर हरियाणा उपचुनाव होगा जबकि एक अन्य सीट पर छह साल के लिए चुनाव होगा।

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीरेंद्र सिंह ने अपने आइएएस बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिलवाने से पहले राज्यसभा पद छोड़ने का फैसला किया था। भाजपा में एक परिवार एक टिकट का फार्मूला है लेकिन पार्टी हाईकमान इस मामले में बीरेंद्र सिंह को लेकर हमेशा ही थोड़ा नरम रहा है।

एक समय ऐसा भी आया था जब बीरेंद्र सिंह राज्यसभा सांसद, उनके बेटे लोकसभा सांसद और पत्नी हरियाणा में विधायक थीं। काफी विवाद के बावजूद पार्टी ने प्रेमलता को उचाना से टिकट तो दिया लेकिन वे दुष्यंत चौटाला के हाथों चुनाव हार गईं।

बेटे और पत्नी को राजनीति में स्थापित करने के लिए बीरेंद्र सिंह ने पिछले साल नवंबर में राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। उनका यह इस्तीफा सोमवार को स्वीकार हुआ है।

दिलचस्प होगा राज्यसभा चुनाव

हरियाणा में करीब दो माह बाद राज्यसभा की एक और सीट खाली होने जा रही है। यह सीट कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कार्यकाल पूरा होने पर खाली होगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि तीनों सीटों के लिए हरियाणा में एक साथ ही चुनाव करवाए जाएं। एक सीट पर उपचुनाव होगा जबकि दो सीटों के लिए सामान्य चुनाव होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा का कार्यकाल नौ अप्रैल को पूरा हो रहा है। बीरेंद्र सिह का कार्यकाल चूंकि पहली अगस्त, 2022 तक था। इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं रामकुमार कश्यप और सैलजा की सीटों पर आमचुनाव होगा।

महाराष्ट्र के स्कूलों में 26 जनवरी से संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा जरूरी

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार के परिपत्र में कहा गया है कि प्रस्तावना का पाठ 'संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण' अभियान का हिस्सा है।

कांग्रेस विधायक और मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यहां संवाददाताओं को बताया, 'छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व जानें। सरकार का यह काफी पुराना प्रस्ताव है लेकिन हम इसे 26 जनवरी से लागू करेंगे।' इस संबंध में सरकार ने फरवरी, 2013 में परिपत्र जारी किया था। उस समय राज्य में कांग्रेस-राकांपा की सरकार थी।

ई टिकट का फर्जीवाड़ा पकड़ा, आतंकियों से जुड़े तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

भारतीय रेल में अवैध टिकट का बड़ा फर्जीवाड़ा रेलवे सुरक्षा पुलिस ने पकड़ा है। नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति को बंगलुरु आरपीएफ ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। रेलवे की अवैध टिकट कारोबार को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मंगलवार को प्रेसवार्ता में आरपीएफ महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि इस गिरोह के तार आंतकियों से भी जुड़े हुए है। इस पूरे मामले में रेलवे पुलिस जांच कर रही है। यह व्यक्ति मदरसे से पढ़ा है और सॉफ्टवेयर बनाना भी जानता है।

आरपीएफ ने गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार किया। यह झारखंड का रहने वाला है। इसके पास आइआरसीटीसी के 563 निजी आइडी हैं और उसके पास स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) की 2400 शाखाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 600 शाखाओं की सूची भी मिली, जहां उसके खाते होने के संदेह हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों से आइबी, स्पेशल ब्यूरो, ईडी, एनआइए और कर्नाटक पुलिस ने मुस्तफा से पूछताछ की है। इस मामले में धनशोधन और आतंकवादी वित्त पोषण का भी संदेह है। यह गिरोह प्रति माह करीब 10-15 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है।

अन्य आरोपी हामिद अशरफ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, जो 2019 में गोंडा के स्कूल में हुए बम कांड में संलिप्त था। आरपीएफ को संदेह है कि वह दुबई भाग गया है। इसके पास से बरामद किए गए लैपटॉप व मोबाइल की आरपीएफ जांच कर रही है। मामले के मास्टर माइंड गुरू जी की भी अभी रेलवे पुलिस को तलाश है। इस मामले के तार सिंगापुर से भी जुड़े मिले हैं। इस पर सिंगापुर पुलिस काम कर रही है। इस गिरोह में 18-20 लोग बतौर रीजनल कमांडो की तरह से काम कर रहे थे। ये लोग हवाला के माध्यम से पैसा भेजते थे। इस काम में लगे लोगों के लिए प्रति माह 28,000 रुपए का वेतन भी तय है।

फर्जीवाड़ा करने का प्रशिक्षण यू ट्यूब चैनल से दिया जाता था। इसके माध्यम से समयसीमा से पहले ही टिकट बुक करा लिए जाते थे। इस गिरोह के पास 563 आइआरसीटीसी आइडी मिले हैं। इस नेटवर्क का लिंक पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल से मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जांच प्रक्रिया के लिए 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक आरपीएफ ने केवल मुख्य श्रृंखला की जांच शुरू की है और जल्द ही इससे जुड़े अन्य लोगों की जांच की जाएगी। इसकी मदद से रेल टिकट का फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी।

पंजाब डीजीपी नियुक्ति मामला

हाई कोर्ट ने लगाई कैट के आदेश पर रोक

चंडीगढ़, 21 जनवरी (भाषा)।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता की राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।

पंजाब राज्य के साथ ही डीजीपी गुप्ता ने भी सोमवार को कैट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को यहां न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और न्यायमूर्ति संत प्रकाश के खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। डीजीपी गुप्ता के वकील पुनीत बाली ने कहा कि अदालत ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

कैट ने 17 जनवरी के आदेश में राज्य पुलिस प्रमुख के पद पर गुप्ता की नियुक्ति रद्द कर दी थी, जिसे पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। कैट के अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी और एम जमशेद के दो सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अपील पर यह आदेश सुनाया था।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 16,जनवरी, 2020** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम और पता	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)माग नोटिस की तिथि,माग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मंगल पांडे नगर, मेरठ	पल्टन राम पुत्र राम सिंह मकान नंबर 273/1 प्लॉट नंबर 31 खसरा नंबर 1048 और 1052 स्थित इंद्रा नगर, ब्रह्मपुरी मेरठ	पल्टन राम पुत्र राम सिंह मकान नंबर 273/1 प्लॉट नंबर 31 खसरा नंबर 1048 और 1052 स्थित इंद्रा नगर, ब्रह्मपुरी मेरठ	आवासीय मकान नं. 273/1 प्लॉट नंबर 31 खसरा नंबर 1048 और 1052 स्थित इंद्रा नगर, ब्रह्मपुरी मेरठ क्षेत्रफल 129.58 वर्ग मीटर। **स्वामित्व पल्टन राम, सीमायें:-** पूर्व: 25' महेन्द्र का मकान पश्चिम: 20' उसके बाद रास्ता 12' चौड़ा उत्तर: 62' राम किशन का मकान और गली दक्षिण: 62' शिव कुमार का मकान	22.10.2019 रु. 1736319.00 /- दिनांक 01.09.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	16.01.2020	श्री अविनाश कुमार, 9771430208

दिनांकः- 21.01.2020 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

कंपनी सूचना
श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि०
पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110 001
CIN : L29112DL1963PLC004084
PAN : AAACS0229G
फोन : 011 23315941
फैक्स : 011 23311203, E-Mail : compliance.officer@shrirampistons.com
Website : www.shrirampistons.com

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विनिमय, 47 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचिबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण) विनिमय, 2015 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशकों के मंडल की बैठक मंगलवार दिनांक 28 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में होगी, जिसमें दिसम्बर, 2019 को समाप्त अवधि के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार व पारित किये जायेंगे एवं लाभांश पर विचार किया जाएगा, यदि हो।

यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनीयों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 एवं सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के नियमन 42 के अनुसार, अंतरिम लाभांश भुगतान के प्रयोजन हेतु रिकॉर्ड तिथि, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, तो वह 6 फरवरी, 2020 होगी।

उक्त सूचना कम्पनी की उपरोक्त वेबसाईट से भी प्राप्त की जा सकती है।

हस्ता/- (आर. श्रीनिवासन)
स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव
दिनांक : 20.01.2020 F-4034

क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
ओवडिन इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 301, एम. जी. शॉपिंग सेंटर 3, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर दिल्ली, ईस्ट दिल्ली-110092 में स्थित है, के मामले में
.....याचिकाकर्ता
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **शुक्रवार 10 जनवरी, 2020** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित संकल्प के संबंध में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक आपत्ति प्रारुप फाइल कर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसके प्रति आवेदक कंपनी को उनके ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा:
मंडल की ओर से और उसके लिए
कृते ओवडिन इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
प्रवीन डोवर
तिथि : 21.01.2020 (निदेशक)
स्थान : दिल्ली डीआईएन : 07513231

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम - मिनी रत्न)
सीआईएन-L74899DL1999GOI101707
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
आईआरसीटीसी आमंत्रित करता है
1. खुली ई-निविदा सं. **2019/आईआरसीटीसी/सीओ/क्यूटीवाई/सीएसएस-19/20**, आईआरसीटीसी संचालित केटरिंग यूनिटों (अखिल भारत) में आयोजित किये जाने वाले **ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण** के लिए ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि: **03.02.2020 को 15:00 बजे तक**
2. खुली ई-निविदा सं. **सीओ/एनआईटी/एफपी-एफएफयू/2020/01**, फूड प्लाजा एवं **फास्ट फूड यूनिटों की स्थापना, प्रचालन** एवं **प्रबंधन** के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **18.02.2020 को 15:00 बजे** तक है।
अधिक जानकारी, डाउनलोडिंग एवं भागीदारी के लिए कृपया वेबसाइट **www.tenderwizard.com/IRCTC** देखें।
शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल **www.irctc.com** एवं **www.tenderwizard.com/IRCTC** पर प्रकाशित किया जाएगा।
कार्यालय पताः जीजीएम पीएंडडी, आईआरसीटीसी लिमिटेड, 11वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बी-148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23311263-64 फैक्स : 011-23311259

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda (A Govt. of India Undertaking)
जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
शुद्धि पत्र
दिनांक 21.01.2020 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स वैद इलेक्ट्रॉनिक्स** (क्र.सं. नं. 05) की ई-नीलामी तिथि, धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि और निरीक्षण तिथि इस प्रकार है:

ई-नीलामी की तिथि एवं समय	धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय
11-02-2020	10-02-2020	06.02.2020 और 07.02.2020
के स्थान		
25-02-2020 को अपरा. 01.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक	24-02-2020	20.02.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 02.00 बजे तक

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
शेष अन्य खाते/विवरण, नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।
स्थान : नई दिल्ली, दिनांक : 21-01-2020 प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

punjab national bank
शाखा कार्यालय-बैंक स्ट्रीट, करौल बाग, नई दिल्ली
फोन नं. 011-28721519,28721835, ईमेल- bo0119@pnb.co.in
परिशिष्ट IV
[नियम 8 (1) देखें]
आधिपत्य नोटिस
जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता, **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता (ऋणी/ जमानती/बंधककर्ता) **मैसर्स सांई इन्टरप्राईजेज (प्रो. श्री पाकल जाजोरिया), 3686/16, प्रथम तल, रैगर पुरा, हरध्यान सिंह रोड़, करौल बाग, दिल्ली-110005, श्री सेडू राम पुत्र श्री भोलाराम (बंधककर्ता), 382/381, जनता फ्लेट, पॉकेट-2, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली-110063, श्री पन्ना लाल जाजोरिया (बंधककर्ता) 5187/5, कृष्ण नगर,प्रथम तल, करौल बाग, नई दिल्ली-110005** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **08/06/2018 रूपये 31,24,533.34 (अक्षरे रूपयें इकतीस लाख चौबीस हजार पॉच सौ तेतीस व पैसा चौंतीस मात्र) दिनांक** 31.05.2018 तक व आगे से भविष्य का देय ब्याज व खर्चो सहित बकाया राशि को सूचना-पत्र की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिये निर्गमित किया। दिनांक 14/11/2018 को एन.पी.ए. से खाते को नीयमित श्रेणी में आन्तरित किया गया लेकिन खाता फिर से दिनांक 15.07.2019 को एन.पी.ए. हो गया।
ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य दिनांक 17 माह जनवरी वर्ष 2020 को ग्रहण कर लिया हैं।
"प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिय उपलब्ध समय के संदर्भ मे ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता हैं।"
ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार रू. 31,34,715.98 दिनांक 27.08.2019 तक व दिनांक 01/08/2019 से राशि व उस पर ब्याज व खर्चो के पूर्ण भुगतान तक के लिये पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।
स्थावर सम्पत्ति का विवरण
श्री सेडूराम की अचल सम्पत्ति सं. 381, भू-तल व द्वितीय तल, जनता फ्लेट, पश्चिमपुरी, मादीपुर, दिल्ली-110063 पर स्थित हैं। जिसमें भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।
दिनांक : 17/01/2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मादीपुर (दिल्ली) पंजाब नैशनल बैंक

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016
RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	NU TEK INDIA LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	06/07/1993
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Incorporated under the Companies Act 1956 And registered with Ministry of Corporate Affairs RoC- Delhi
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	L74899DL1993PLC054313
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A-213, Road No. 4 Gali No. 11 Mahipalpur DL 110037 IN
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	23.08.2019
7	Date of invitation of expression of interest	22.01.2020
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The Detailed EOI and the Eligibility Criteria are available at the website of the Corporate Debtor; www.nutek.in
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Website of the Corporate Debtor: www.nutek.in
10	Last date for receipt of expression of interest	06.02.2020
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	10.02.2020
12	Last date for submission of objections to provisional list	15.02.2020
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	20.02.2020
14	Date of issue of information memorandum, matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	15.02.2020
15	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution Professional will share the documents through Electronic Mail, eligibility under section 29A of IBC, 2016 and prequalification criteria, as approved by COC.
16	Last date for submission of resolution plans	23.03.2020
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed Envelope or through electronic mail as mentioned in the request for resolution plans.
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	05.04.2020
19	Name and registration number of the resolution professional	Mr. Vineet Aggarwal Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00475/2017-18/10818
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Mr. Vineet Aggarwal Address: 2, Sampurna nand Nagar,Sigra, Varanasi 221010 Email Id: vntg631@gmail.com
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address: B,-165, Jangpura B New Delhi-110014 Email Id: vntg631@gmail.com
22	Further Details are available at or with	Mr. Vineet Aggarwal Email Id: vntg631@gmail.com Website: www.nutek.in
23	Date of publication of Form G	22.01.2020

Mr. Vineet Aggarwal
Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00475/2017-18/10818
Reg. Add: 2, Sampurna nand Nagar,Sigra, Varanasi 221010
Resolution Professional for Nu Tek India Limited
Date: 22.01.2020
Place: New Delhi

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

गणतंत्र दिवस 2020

बेहतर सेवा के लिए हमेशा आपका साथ

Public visiting the Republic Day 2020 function at the Rajpath are requested not to bring the following prohibited items:
जनता से अनुरोध है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस 2020 के समारोह में निम्नलिखित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ में न लाएं:

Prohibited Items	प्रतिबंधित वस्तुएं
Photo/फोटो Particulars / विवरण	Photo/फोटो Particulars / विवरण
Eatables खाने-पीने की चीजें	Cigarettes, Bidies, Lighter सिगरेट, बीड़ी, लाईटर
Bag, Briefcase थैला, ब्रीफकेस	Alcohol, Perfumes, Spray शराब, इत्र, स्प्रे
Radio, Transistor, Tape Recorder, CD, DVD, MP3 Players रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी, एमपी3 प्लेयर	Dagger, Sword, Cutting Material, Sharp/Pointed Edged Material, Screw Drivers नुकीला हथियार, चाकू, पेंचकस
Camera, Binocular, Handycam कैमरा, दूरबीन, हैण्डीकैम	Umbrella, Replica Fire Arms, Toy Gun or Toys छाता, आग्नेयास्त्र, खिलौना पिस्तौल और खिलौने
Thermos Flasks, Water Bottles, Cans थर्मस, पानी की बोतल, कैन	Knives, Scissors, Razors, Blades, Wire, Pluckers चाकू, कैंची, रेज़र, ब्लेड, तार, प्लकर
Inflammable Items, Match Boxes ज्वलनशील पदार्थ, दियासलाई	Arms & Ammunition, Fireworks, Crackers Explosive etc. हथियार और गोला बारूद, पटाखे आदि
Various Electronic Gadgets, Devices e.g. I-Pad, I-Pod, Palm Top/Laptop, Computer, Tablets, Power Bank etc. विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे आई-पैड, आई-पोड, पाम टॉप/लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैब्लेट, पावर बैंक इत्यादि	Avoid keeping Mobile Phones, Remote Controlled Car Keys as it may delay your entry due to checking मोबाईल फोन, रिमोट कंट्रोल कार चाबी रखने से बचें क्योंकि इससे जांच के दौरान आपके प्रवेश में देरी हो सकती है।

Any unidentified object, if noticed, may be brought to the notice of the nearest Police Personnel.
यदि, कोई लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो निकटतम पुलिसकर्मी के नोटिस में लाएं।

Please co-operate with the police for searching/frisking.
कृप्या तलाशी देने में पुलिस के साथ सहयोग करें।

Please be alert to your surroundings.
कृप्या अपने आस-पास नज़र रखें।

पुलिस आयुक्त दिल्ली को ई-मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in
लिखें: पुलिस आयुक्त दिल्ली को पोस्ट बॉक

जनसत्ता

22 जनवरी, 2020

चिंता की बात

भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर पिछले कुछ समय में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, रेटिंग एजेंसियों, वैश्विक वित्तीय संस्थानों और भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अनुमान जारी किए हैं, वे अर्थव्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत पिछले साल-डेढ़ साल से आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की हर तिमाही के आंकड़े गिरावट के रुख को बताते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालात इतने विकट हो गए हैं कि अर्थशास्त्रियों ने साल-दो साल तक मंदी के प्रभाव से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी है। अभी तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर पांच फीसद के आसपास रहने के अनुमान आए हैं। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अपना अनुमान घटाते हुए इसे 4.8 फीसद कर दिया है। जाहिर है, भारत के आर्थिक हालात अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और विश्व बैंक, आइएमएफ जैसे वैश्विक संस्थानों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। मुद्रा कोष का मानना है कि अगर भारत ने व्यापार व्यवस्था में सुधार नहीं किए तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि भारत की खराब अर्थव्यवस्था का असर दूसरी देशों को भी प्रभावित कर सकता है, और फिर इसका प्रभाव वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर भी बिना दिखे नहीं रहेगा।

आर्थिक वृद्धि को लेकर आइएमएफ की ये चेतावनी स्विटजरलैंड के शहर दावोस में होने जा रहे विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन से ठीक पहले आई है। हर साल होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेता और उद्योगपति हिस्सा लेते हैं। जाहिर है, ऐसे में भारत की गिरती अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को लेकर दुनियाभर में सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा। यही कारण है कि निवेशक भारत में आने से बिदक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आने वाले साल-दो साल में अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं आने वाला। अर्थव्यवस्था को लेकर यही खौफ भारत के भीतर भी है, मौजूदा उद्योग तक कारोबार बढ़ाने और नए कारोबार शुरू करने से हिचक रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट बता रही है कि मांग नहीं होने से उद्योगों के समक्ष संकट गहराता जा रहा है। लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। आमद के साधन बंद हो गए हैं। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रहीं। इस सबका मिलाजुला असर आमद में भारी कमी के रूप में देखने को मिला है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो वे खर्च क्या करेंगे? आमद-खर्च, खपत और उत्पादन में जो असंतुलन पैदा हो गया है, वह आर्थिक वृद्धि दर गिरने की मूल वजह बन गया है।

आइएमएफ की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार लंबे समय से दावे करती रही है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और मंदी का संकट थोड़े समय का है। लेकिन मौजूदा हालात इसकी उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय दफ्तर के समय-समय पर जारी आंकड़े हकीकत की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त हैं। जब बाजार में मांग नहीं है, उत्पादन न्यूनतम स्तर पर जा रहा है, लोगों की आमद बढ़ नहीं रही, ग्रामीण क्षेत्र की आय में गिरावट आ रही है, महंगाई नित नए रिकार्ड बना रही है, तो आर्थिकी की बुनियाद मजबूत होने का दावा करना जनता की आंखों में धूल झोंकने से कम नहीं है। आखिर क्यों उद्योग बैंकों से कर्ज नहीं ले रहे हैं? क्यों बैंकों की उधारी दर में कमी आई है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। विश्व बैंक, आइएमएफ जैसी संस्थाओं से लेकर देश-दुनिया के अर्थशास्त्री इस हकीकत को समझ रहे हैं और इसीलिए आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में गिरावट की बात कर रहे हैं।

विषमता का विकास

पिछले कई सालों से एक जो नारा सबसे ज्यादा प्रचारित रहा है वह है 'सबका साथ सबका विकास'! चूंकि खुद भाजपा सरकार की ओर से यह नारा सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया है, इसलिए कायदे से अपेक्षा यह थी कि देश के सभी तबकों के लोगों को विकास के तमाम अवसरों में बराबर की सहभागिता मिलती और इस तरह विकास ज्यादा समावेशी होता। लेकिन यह बेहद निराशाजनक तस्वीर है कि बीते कुछ सालों से विकास की कसौटी पर जिस तरह की अर्थनीतियां लागू रहीं, उसका हासिल 'सबका विकास' के बिल्कुल उलट रहा। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन- ऑक्सफेम के संपत्ति पर नियंत्रण के मामले पर आए अध्ययन के मुताबिक विकास और अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति रही है, उसमें देश के एक खास तबके के पास संपत्ति का बेहद असंतुलित केंद्रीकरण हुआ। 'टाइम टू केयर' नाम से जारी इस अध्ययन के मुताबिक देश के एक फीसद सबसे अमीर लोगों के पास देश की कम आय वाली सत्तर फीसद आबादी की तुलना में चार गुना से ज्यादा संपत्ति है। क्या यह तथ्य अपने आप में बताने के लिए काफी नहीं है कि विकास का दायरा बढ़ाने के दावे के बीच देश के संसाधन और संपत्ति महज कुछ लोगों के हाथ में सिमटती गई है?

करीब दो साल पहले इसी संगठन की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक भारत की अट्ठावन फीसद संपत्ति देश के एक फीसद लोगों के पास थी। इस साल के आंकड़े की तल्ख हकीकत यह है कि देश में निचले तबके के सत्तर फीसद लोगों के पास जितनी कुल जायदाद है, उससे चार गुना ज्यादा संपत्ति इन महज एक फीसद लोगों के पास सिमटी हुई है। इस दौरान देश के इन शीर्ष एक फीसद अमीरों की संपत्ति में उनचालीस फीसद की बढ़ोतरी हुई। सवाल है कि महज तीन सालों के भीतर अगर देश की कुल संपत्ति के कुछ लोगों के बीच सिमटने की रफ्तार इतनी तेज रही तो आखिर यह किस तरह की विकास नीतियों का हासिल है? विषम विकास नीतियों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारतीय अरबपतियों के पास देश के एक साल के कुल बजट से भी ज्यादा संपत्ति है। इन अमीरों की संपत्ति में बढ़ोतरी के बीच अगर करीब तीन-चौथाई आबादी की स्थिति कमजोर होती गई है तो क्या इसे एक असंतुलित विकास के पर्याय के रूप में नहीं देखा जाएगा?

यों भी किसी देश की संपत्ति के चंद हाथों में सिमटते जाने का सीधा असर बाकी जनता और सभी क्षेत्रों में विकास पर पड़ता है। एक ओर मुनाफा आधारित कारोबार की वजह से संपत्ति पर कब्जा जमाए लोगों की स्थिति और मजबूत होती जाती है, दूसरी ओर संसाधनों से वंचित लोगों और तबकों के पांव और भी कमजोर होते जाते हैं। जबकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में विकास उसी कसौटी पर होता है जहां देश के कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने के मकसद से नीतियां बनाई जाती हैं। समस्या यह है कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों ने संपत्ति के विकेंद्रीकरण की स्थितियों के निर्माण के बजाय उसके कुछ हाथों में सिमटने के ही हालात तैयार किए। जब तक नीतियों के स्तर पर दृढ़ फैसलों के जरिए अमीर और गरीब के बीच की खाई को नहीं पाटा जाता, तब तक असमानता और देश के कमजोर हालात को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। यों भी अगर देश के आम लोगों की कीमत पर यहां के अरबपतियों और बड़ी कंपनियों की झोली और ज्यादा भरी जा रही हो, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था और नीतियों की दिशा को समझना मुश्किल नहीं है। आखिर इस सबसे बनी तस्वीर में 'सबका विकास' के नारे के लिए क्या जगह होगी?

कल्पमेधा

ऐश्वर्य उपाधि या पुरस्कार में नहीं बल्कि इस चेतना में है कि हम उसके योग्य हैं।

-अरस्तू

कैसे सुधरे किसानों की हालत

रवि शंकर

बेशक, हमारा देश आज भी कृषि प्रधान है, बावजूद इसके शहरीकरण और औद्योगीकरण के चलते खेती का रकबा लगातार घटता जा रहा है। यही वजह है कि हमारी कृषि गहरे संकट में फंसती जा रही है। किसानों की आत्महत्या के बढ़ते सरकारी आंकड़े भी इस हकीकत को बयां करते हैं। सवाल उठता है कि खेती-बाड़ी पर निर्भर लोग क्यों मौत को गले लगा रहे हैं और यह सिलसिला आखिर क्यों नहीं थम पा रहा है?

आजादी के सात दशक बाद भी भारत के किसानों की दशा में कोई बड़ा कांतिक्रारी बदलाव देखने को नहीं मिला है। बल्कि देश में किसान और खेती दोनों ही संकट के दलदल में धंसते जा रहे हैं। जिन अच्छे, समृद्ध किसानों की बात की जाती है, उनकी गिनती तो बहुत ही कम है। लेकिन ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक है जो आज भी हाशिये का जीवन जीने को मजबूर हैं। किसान हमेशा से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। लेकिन यही आधार जब कमजोर पड़ने लगेगा तो हमारी कृषि का क्या होगा, यह गंभीर सवाल है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है।

किसानों की दुर्दशा को हम लंबे समय से देखते-सुनते आ रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले दो दशक में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यही कारण है कि आज जगह-जगह किसानों के उग्र आंदोलन हो रहे हैं। कम आय, खेती की बढ़ती लागत और सरकारी उपेक्षा ने कृषि संस्कृति को संकट में डाल दिया है। पिछले कई सालों से खेती करने की लागत जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में किसानों को मिलने वाले फसलों के दाम बहुत ही कम बढ़े हैं।

भले प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया हो, लेकिन सरकार के अब तक के प्रयासों में ऐसी कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है, जिससे यह संकेत नजर आते हों कि आने वाले वक्त में किसान खुशहाल दिखने लगेगा। सरकार ने फसलों की कीमत को डेढ़ गुना करने का अपना वादा निभाने का प्रयास भर किया है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने से अब तक परहेज ही किया है। वर्तमान लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के तहत ए-2 एफ-एल को आधार बना कर फसलों के लागत मूल्य के अनुपातिक एमएसपी बढ़ाया गया है, जबकि किसान संगठनों की मांग रही है कि सी-2 प्रणाली को आधार बना कर लागत मूल्य निर्धारित किया जाए और इस पर पचास फीसद का अतिरिक्त लाभ दिया जाए। स्पष्ट है कि गतिरोध लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर ही है। प्रक्रिया ए-2 एफ-एल के तहत खेती में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, मशीनों का किराया और पारिवारिक श्रम जैसी मदें शामिल होती हैं, जबकि सी-2 व्यवस्था में अन्य लागतों के साथ भूमि का किराया भी जोड़ा जाता है। इसके तहत लागत मूल्य निर्धारण से किसानों को मिलने वाले दाम और मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले दाम में बड़ा अंतर है।

शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि मात्र छह प्रतिशत किसानों को एमएसपी का फायदा मिल पाता है। इसका असर यह पड़ा है कि प्रतिवर्ष खेती का रकबा घट रहा है। किसान खेती को छोड़ कर मजदूरी जैसे काम में लग रहे हैं। रोजगार की तलाश में गांवों से पलायन जोरों पर है। जाहिर है, देश अपने किसानों को खो रहा है। ये संकेत भी मिल रहे हैं कि बहुत से ग्रामीण बेरोजगार होने के बावजूद खेती में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है।

सातवें दशक में ग्रामीण परिवार की तीन चौथाई आय का स्रोत कृषि हुआ करती थी। इसके पैंतालीस साल बाद 2015 में यह एक तिहाई से भी कम रह गई है। अब अधिकांश ग्रामीण परिवार गैर कृषि कार्यों से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। बेशक, हमारा देश आज भी कृषि प्रधान है, बावजूद इसके शहरीकरण और औद्योगीकरण के चलते खेती का रकबा लगातार घटता जा रहा है। यही वजह है कि हमारी कृषि गहरे संकट में फंसती जा रही है। किसानों की आत्महत्या के बढ़ते सरकारी आंकड़े भी इस हकीकत को बयां करते हैं। सवाल उठता है कि खेती-बाड़ी पर निर्भर लोग क्यों मौत को गले लगा रहे हैं और यह सिलसिला आखिर क्यों नहीं थम पा रहा है?

दरअसल, इस त्रासदी की जड़ें कृषि संकट में ही छिपी हैं। अलबत्ता प्रतिकूल मौसम की मार से इस संकट की तीव्रता बढ़ जाती है। दरअसल, खेती कभी मुनाफे का धंधा हुआ करती थी, लेकिन अब वह घाटे का कारोबार हो गई है। इस स्थिति के लिए सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं जिनमें खेती-बाड़ी

को देश के विकास की मुख्यधारा का मानक मानने की न्यूनतम समझदारी भी कभी नहीं दिखाई गई। जब भी किसानों को संकट से उबारने की बात होती है, तो सस्ती ब्याज दर पर कृषि-ऋण मुहैया कराने के अलावा सरकारों को और कुछ नहीं सूझता। लेकिन कर्ज के रूप में ये मदद मरहम के बजाय जख्म ही साबित होती है।

एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में करीब पंद्रह करोड़ किसान परिवार हैं। इनमें से बारह करोड़ लघु एवं सीमांत किसान हैं। 2019-20 में खेती-किसानी के लिए कृषि मंत्रालय का एक लाख तीस हजार चार सौ पिच्यासी करोड़ रुपए का बजट है। सरकार की कई बड़ी योजनाओं का एलान भी किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में कृषि संबंधी जो भी सरकारी लाभ हैं, वे भू-स्वामी यानी खेत के मालिक को ही मिलते हैं। उसके खेत पर फसल पैदा करने वाले मेहनतकश और भूमिहीन किसान को कृषि संबंधी कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती।

एक समस्या यह भी है कि किसान को हर हाल में घाटे का सामना करना पड़ता है। उत्पादन अच्छा हो तब भी और न हो तब भी। लगभग प्रत्येक वर्ष आलू, प्याज, टमाटर और मौसमी सब्जियां आदि औने-पौने दामों पर बेच दी जाती हैं और जब वह दाम भी नहीं मिलता है तो रोष स्वरूप किसान उन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं। भारत में अभी भी साठ फीसद से ज्यादा किसान परंपरागत तरीकों से ही खेती कर रहे हैं। सरकार उद्योगों को हर तरह से बढ़ावा देती है, लेकिन कृषि में सिर्फ लोकलुभावन घोषणाएं करके ही जिम्मेदारी पूरी समझ लेती है। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जो सिफारिशें की थीं, उन्हें भी सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। सरकारें बदलती गईं, लेकिन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो पाया। इसका एक ही मुख्य कारण है- सरकार की इच्छाशक्ति में कमी।

आज भी किसान की औसत वार्षिक आय बीस हजार रुपए ही है। अभी तक किसानों के कल्याण की जो योजनाएं बनाई गई हैं और जिस तरह से उनका क्रियान्वयन किया गया है, वह सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रख कर किया गया है। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक कृषि कराहती रहेगी, ग्रामीण युवा खेती-किसानी से पलायन करते रहेंगे और किसान आत्महत्या करते रहेंगे। इसलिए दम तोड़ती खेती को बचाना और उसे सुगम बनाना सरकारों का सबसे बड़ा आर्थिक सरोकार होना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब सत्ता में बैठे लोग विकास योजनाएं तय करते समय खेती और किसानी का खास ध्यान रखें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, यह हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन नीतियों के क्रियान्वयन में शिथिलता अर्थव्यवस्था के इस अहम केंद्र की जड़ें कमजोर ही करती जा रही है। इस दिशा में समुचित प्रयास नहीं किए गए तो खेती-बाड़ी से किसानों का मोहभंग होता जाएगा। इसलिए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को कई स्तरों पर नए सिरे से सुधार करने की जरूरत है।

दावानल में जलता जीवन

अंजलि ओझा 'लेखनी'

दुनिया मेरे आगे

अनादि काल से ही जल और जंगल जीवन का पालना रहे हैं। नदी, तालाबों के किनारे उगी वनस्पतियां धीरे-धीरे विशाल वन में बदल गईं। मनुष्य ने जल के निकट आश्रय लेना शुरू किया और उससे प्यास बुझाई, वन से भूख मिटाई, लकड़ियां एकत्र कीं, औषधि प्राप्त की, छाया का आनंद उठाया। नदी किनारे पलने वाली आदिम सभ्यताएं समय के साथ बुद्धि के उच्च स्तर पर पहुंच गईं और फिर उन्हीं जंगलों को नष्ट कर कृषि की शुरुआत की। भोजन, औषधि, ईंधन और छाया देने वाले तथा हरीतिमा से धरती को रंगने वाले पेड़-पौधे अब विकासशील मानव के लिए आवश्यकता से अधिक विवशता हो गए। मानव जाति की उपेक्षा और अन्यमनस्कता ने प्रकृति को विध्वंसक रूप लेने पर विवश कर दिया है।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले चार महीने से फैला भीषण दावानल धरती से हजारों वर्ग किलोमीटर की वन संपदा को भस्म कर चुका है। हजारों हेक्टेयर में लगातार आग के भयंकर तांडव में न जाने कितनी ही बहुमूल्य हरी और नम वृक्ष राशियां जल कर राख हो चुकी हैं। आग की परिधि में साउथ वेल्स के रिहायशी क्षेत्र भी आ चुके हैं। नागरिकों तक पहुंच रही अग्नि की लपटें शायद ऑस्ट्रेलियाई सरकार को गहरी नींद से नहीं जगा सकीं और आग की भयावहता बढ़ती गई। यही मिसाल तब देखने को मिली थी, जब ब्राजील के अमेजन जंगलों में आठ हजार से अधिक आग की घटनाएं घटीं थीं। वहां के प्रधानमंत्री जायरेकी बोलोनसरो ने अन्य राष्ट्रों से सहायता लेने से इनकार कर दिया था। नतीजतन, धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन वन धधकते रहे... धरती से अमूल्य जैव विविधता नष्ट होती रही... आसमान धुएं से काला होता रहा... ऑक्सीजन के स्रोत जलते रहे। अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने वाला इंसान मूकदर्शक बन महीनों बैठा रहा। यही भूल साउथ वेल्स में दोहराई गई। चार महीनों से जंगल को अपने आगोश में समेट रही आग पर काबू पाने के सभी उपायों को प्रयोग में नहीं लाया गया। अब आंकड़ों में वन संपत्ति और जंतुओं की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है।

दुखद है, इन भयंकर अग्निकांडों में वन संपदा ही नहीं नष्ट होती, वनों के आश्रय में रहने वाले निरीह जीव-जंतुओं और पशु-पक्षियों पर आग की लपटें मृत्यु का ग्रास बन कर टूटती हैं। भोले-भाले, बेबस जंगलीय जीव आग में स्वाहा हो जाते हैं। सांप, बिच्छू, हिरण, हाथी, जंगली सुअर, शेर, बाघ, बिल्लियां और वृक्षों पर घोंसला बना कर रहने वाले रंग-बिरंगे पक्षी, जिनका अन्य कोई ठिकाना नहीं, जिनके पास मनुष्य की भांति बुद्धि नहीं, तकनीक नहीं, सामर्थ्य नहीं, उनकी नियति ही है धधकते वनों के साथ राख हो जाना। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा शिकार वनवासी जीव ही होते हैं। जंगल की आग उन जीवों के समूचे कुनबे पर कहर बन कर टूटती है। अमेजन जंगलों के अगणित जीवों के जीवित दाह के बाद हम आस्ट्रेलियाई वनों की आग में पचास करोड़ के आसपास जीवों को खो चुके हैं। कोआला जैसे मासूम, खूबसूरत, भोले जीव के लिए प्रसिद्ध आस्ट्रेलिया का जंगल, आज कोआला की लाशों पर आंसू बहा रहा है। कोआला की आधी आबादी जल कर समाप्त हो चुकी है।

यह हृदय विदारक घटना सहनीय नहीं है। मन को अत्यंत पीड़ा हो रही है। अगर यह क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब जैव-विविधता की सभी की स्टोन प्रजातियां प्रकृति के कोप का भाजन बन जाएंगी। जंगलों में सांस लेते, विचरते विशाल से लेकर लघु जीव धरती से लुप्त हो जाएंगे। हम पहले ही जैव समृद्धि का अधिकांश अंश खो चुके हैं। जंगल तक मनुष्य की पैठ ने जीवों के लिए आवास और भोजन की दुर्धर्ष स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, जिस पर प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार का प्रभाव भी सबसे अधिक उन्हीं पर पड़ता है। ऐसे में सृष्टि के अमूल्य उपहार रूपी इन जीवों पर अस्तित्व का विकराल संकट मंडरा रहा है।

गहन विचार का मुद्दा है कि हम उन्नत तकनीकियों से लैस होकर भी लाचार जीवों की कोई सहायता नहीं कर पाते। मनुष्य के दुष्कृत्यों का भाजन निर्दोष पशु-पक्षी बनते हैं। प्रकृति का दोहन मनुष्य ने किया, जीव लुप्त हुए, पारिस्थितिकी शृंखला टूटी, वातावरण परिवर्तित हुआ, ऋतु विपर्यय हुआ, यह चक्र प्रकृति के विध्वंसक चरण तक आ पहुंचा है। आए दिन प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति ने समूची धरती को आग में झोक दिया है। भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल, आग, महामारी आदि के बढ़ते प्रभाव से मनुष्य हतप्रभ है। उसकी बुद्धि इससे निपटने में सक्षम नहीं है। इसी असमर्थता की ओर संकेत करता है, मैड्रिड का असफल पर्यावरण सम्मेलन। जितनी शीघ्रता से प्रकृति के क्रियाकलापों में परिवर्तन हो रहा है, उतनी शीघ्रता इन संकटों से निपटने में नहीं दिख रही है। मनुष्य की दुर्दम्य लालसाओं की पूर्ति प्रकृति के मूल्य पर हो चुकी है और हो भी रही है। अब प्रकृति की बारी है। हमें ऐसे और झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। मन को दृढ़ बनाना चाहिए, अबोध, निरीह जीवों की जली-कटी लाशें देखने के लिए। अग्निकुंड में बदलती धरती के साथ जलने के लिए। किंचित मनुष्य के प्रकृति के साथ किए गए दुर्व्यवहार का यही दंड होना चाहिए।

जल बिन कल

जल तो है सोना, इसे कभी नहीं खोना। धरती पर निवास करने वाली सभी प्रजातियों के लिए प्रकृति की सबसे महत्त्वपूर्ण देन जल है। इस देन को हमें संभाल कर रखना होगा और इसके संरक्षण के लिए हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह प्रयास करते रहना चाहिए। सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायु के बाद पानी दूसरा सबसे जरूरी पदार्थ है।

जीवन की शुरुआत से ही पानी इतना महत्त्वपूर्ण है कि दुनिया में सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के पास ही विकसित हुईं। भारत में भी प्रमुख शहरों को विकसित करने में नदियों की अहम भूमिका रही है क्योंकि नदियों के माध्यम से परिवहन बहुत आसान रहा है। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हवा में कुछ जमे हुए पानी के कण और नमी यानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्त्व मिला था।

जल की इतनी महत्ता के बावजूद हमारी भूलों का ही परिणाम है कि आज धरती पर जल संकट खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण और जल के संचय का अभाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ कर लिया और इसके गंभीर परिणाम हमें अब धीरे-धीरे देखने को मिल रहे हैं। हमारी धरती के जल स्रोत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह है बढ़ता हुआ प्रदूषण। नदियों में बेरोक-टोक प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा, कारखानों और फैक्टरियों का गंदा पानी डालने आदि से उनका पानी भी अशुद्ध हो गया है। इतना ही नहीं, जल को प्रदूषित करने के कारण नदियां सूख भी रही हैं। अगर इसी प्रकार हम नदियों-तालाबों आदि को प्रदूषित करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब नदियों का आस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा।

पानी को बचाने के प्रयासों के बिना एक दिन पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। पानी की असली कीमत तो वही आदमी बता सकता है जो रेगिस्तान की तपती धूप से निकल कर आया हो। इसलिए जल संरक्षण की अहमियत सभी को समझनी होगी और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा।

● *अनु मिश्रा, बिठुना, सिवान*

दो चेहरे

गुस्सा और शर्म इंसानी जज्बातों के दो चेहरे हैं मगर कई बार नतीजे एक जैसे दे जाते हैं। सामाजिक मोर्चों से राजनीतिक जंगों तक बेलगाम इस्तेमाल होते फूहड़ जुमले सुन कर शर्म भी आती है और गुस्सा भी। देश के कानून निर्माताओं द्वारा हिंदुस्तान के वोटरों को 'वोट बैंक' कहा जाना किसी व्यक्ति या समूह के संवैधानिक अस्तित्व पर राजनीतिक हमला है। इन अभद्र बयानों से क्या संविधान के मूलभूत सिद्धांत की धज्जियां नहीं उड़तीं? बेशक धज्जियां उड़ती हैं मगर बहू-बेटियों की आबरू की जब उनके लिए 'लड़की सप्लाई' जैसे जुमले गढ़ लिए जाते हैं। यकीनन, राजनीति के मैदान में उछाला गया यह कीचड़ देश की आधी आबादी के चेहरे पर कालिख पोत जाता है। राजनीतिक चश्मे का रंग इतना गहरा कतई नहीं हो सकता कि इंसान और सामान में फर्क ही न दिखाई दे। 'हम भारत के लोग' सियासत के हाथों क्या इस हद तक गूंगे बना दिए गए कि हमारा वजूद ललकारा जाए और हम उफ न करें!

● *एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनागर, रातू, रांची*

चीन की राह

क्या रूस का मतलब अब पुतिन और पुतिन का मतलब रूस हो गया है? क्या पुतिन रूस पर ताउम्र अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं? ये सारे सवाल उस वक्त जेहन में उठने लगे जब रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और उनके समूचे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टीन को प्रधानमंत्री बनाया।

इससे रूस चीन की राह पर चलता दिख रहा है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संविधान में बदलाव किया और चीन पर जिंदगी भर राज करने का अधिकार हासिल कर लिया। अब व्लादीमिर पुतिन ने भी संविधान में बदलाव कर सबको हैरान कर दिया है। जब पुतिन ने संविधान में बदलाव के प्रस्ताव रखे तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हैरानी न हो। इन प्रस्तावों में राष्ट्रपति की शक्तियां संसद को दिए जाने, राष्ट्रपति के लिए अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा तय किए जाने, महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के लिए निचले सदन को शक्तियां देने और स्टेट काउंसिल का दर्जा बढ़ाने की बात थी। पुतिन का कार्यकाल 2024 को पूरा हो रहा है जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा।

हालांकि उन्होंने सुधार पर जनमत संग्रह करने को कहा है। अब तक यह तो साफ नहीं है कि राष्ट्रपति की योजना कैसे अमल में आएगी, लेकिन जो साफ है वो यह कि पुतिन जानते हैं कि बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा और वे यह तय करने के लिए काम कर रहे हैं कि उनका प्रभाव और ताकत कई सालों तक बनी रहे। रूस के निचले सदन (ड्यूमा) की शक्तियां बढ़ाने को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 2024 के बाद पुतिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।

● *मो. ताबिश, जामिया मिल्लिया इस्लामिया*

हिंदी का भविष्य

अपनी भाषा की प्रगति के लिए उससे 'मनसा वाचा कर्मणा' यानी मन, वाणी और कर्म से लगाव होना बेहद जरूरी है। अपनी भाषा हिंदी को लेकर मेरा अनुभव है कि वाणी के स्तर पर बहुत से लोग इसे विश्व की प्रमुख भाषा बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों में वे भी शामिल हैं जो मन के स्तर पर हिंदी के भविष्य को लेकर ऊहापोह की स्थिति में फंसे रहते हैं। फलस्वरूप, वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं। कर्म के स्तर पर हिंदी के उन्नयन के लिए ठोस कार्य करने वालों की संख्या तो और भी कम है।

आप देश की किसी भी प्रयोगशाला या उच्च शिक्षण संस्थान में जाएं तो देखेंगे कि वहां अधिकांश शोध कार्य अंग्रेजी में होता है। पूरे देश में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ हजारों में होगी जिनकी बैंक की पासबुक में उनका नाम हिंदी में लिखा होगा। एक सौ सैंतीस करोड़ की आबादी वाले देश में मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास ऐसा पासपोर्ट होगा जिसमें सब कुछ हिंदी में लिखा हो। ऐसी परिस्थितियों के चलते समझ नहीं आता है कि हम हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बना कर क्या हासिल करना चाहते हैं?

● *सुभाष चंद्र लखेड़ा, द्वारका, नई दिल्ली*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

लंबी कतार, छह घंटे का इंतजार

पंकज रोहिला

नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नई दिल्ली प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने छह घंटे के भी अधिक समय तक इंतजार के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के लिए केजरीवाल अपने पिता के साथ 12:30 बजे नामांकन केंद्र पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल का 45वां नंबर था। इस कारण छह घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

मंगलवार को अरविंद केजरीवाल का काफिला समय से पहले ही नामांकन केंद्र तक पहुंच गया था। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने के लिए नई दिल्ली उपायुक्त कार्यालय, जाम नगर में पर्चा भरा। वे नामांकन केंद्र तक एक खुली गाड़ी से पहुंचे थे। अधिक समय लगने की वजह से उनके पिता पहले ही नामांकन केंद्र से चले गए थे। केजरीवाल के साथ आप नेता पंकज गुप्ता व उनके समर्थक मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार इस प्रकार का गठबंधन देखने को मिला है। इन सब का केवल एक ही मकसद है कि किस प्रकार से उनको इस चुनाव में हराया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि एक तरफ भाजपा, जद (एकी), लोजपा, जजपा, कांग्रेस व राजद हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल, अस्पताल, पानी-बिजली, मुफ्त बस सेवा और जनता है। मेरा मकसद है- भ्रष्टाचार को हराने और दिल्ली को आगे ले जाना। उनका मकसद है मुझे हराना।

अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा

मुख्यमंत्री केजरीवाल के नामांकन से ठीक पहले जामनगर केंद्र पर हंगामा हुआ। इस वजह से मुख्य अधिकारी को बाहर आना पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों की शिकायत थी कि चुनाव अधिकारी पहले आए लोगों को छोड़कर उनका पर्चा भरवा रहे हैं। इसके विरोध में कुछ लोग परिसर में धरने पर भी बैठ गए। बाद में चुनाव अधिकारी के आने के बाद आगे की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई।

बाद में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अपना नामांकन पत्र भरने का इंतजार कर रहा हूं। मेरा टोकन नंबर 45 है। यहां नामांकन दाखिल करने के लिए अनेक लोग हैं। मुझे खुशी है कि इतने अधिक लोग लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं।

आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को अपना नामांकन पत्र सोमवार को दाखिल करना था, लेकिन अपने रोड शो के कारण विलंब के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। वहीं, इस मामले में दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय ने बताया कि आज अचानक बिना कागज के लोग जाकर लाइन में खड़े हो गए थे। इससे मन में प्रश्न आ रहा है कि इसके पीछे कोई सोचा समझा खेल है कि इसपर वह कहावत सटीक बैठती है कि जिसमें कहा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कुछ करने की हालत नहीं बची है तो चलो इतना ही सही। कोई नहीं अब एक बजे की जगह नामांकन छह बजे होगा, लेकिन नामांकन तो होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नामांकन भरने के लिए जामनगर पहुंचे।

अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठेगा

अमलेश राजू

दिल्ली में शायद उस दिन सभी की आंखें फटी रह गईं जब 22 हजार शिक्षक और उनके परिजन बाल मुंडवाकरआत्मदाह की धमकी देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देने के लिए बीते साल सड़क पर उतर गए। वे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी भी खाने में पीछे नहीं रहे। आनन फानन में केजरीवाल ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और 22 हजार अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया।

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इन शिक्षकों के बारे में आगे की योजना के बारे में जानकारी ली। अतिथि शिक्षकों ने हरियाणा सरकार की तरह 58 साल की पालिसी की मांग को लेकर मुंडन कराया। पीड़ित शिक्षकों में शामिल अरुण डेरा का कहना था कि कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो घर में अकेले कमाने वाले हैं। उनके पास आत्मदाह के सिवा कोई चारा नहीं है। आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने बताया था कि लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार को ज्ञापन दिया गया और जब कोई परिणाम नहीं निकला तो शिक्षक सड़क पर उतर गए और स्थिति यहां तक पहुंच गई।

यही स्थिति दिल्ली नगर निगमों की भी है। निगम में भी साल 2001 से इसी प्रकार के अनुबंधिक शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तो स्थिति और भी विकट है। करीब ढाई हजार शिक्षकों के इस परिवार में आठ हजार वोट हैं। वे इस चुनाव में अपने फैसले को चुनावी मुद्दा बनाने पर आमदा हैं।

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के शिक्षकों की संस्था अनुबंधित शिक्षक एकता मंच के प्रधान प्रवीण कुमार कहते हैं कि यह कितना दुर्भाग्य है कि जिस शिक्षा के पेशे को लोग इतना महत्त्वपूर्ण और बच्चों के भविष्य बनाने के रूप में देखते हैं उसी शिक्षक की हालत कितनी दयनी बनी हुई है। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी निगम में इस प्रकार के करीब ढाई हजार शिक्षक हैं जो साल 2001 से अपने अनुबंध को लेकर एक नीति बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पहले तो दस महीने का अनुबंध दिया जाता था लेकिन अब तो निगम ने हद ही कर दी। उन्हें दो महीने और तीन महीने के टुकड़ों में अनुंबध पर नौकरी दी जा रही है।

साल 2015 में वे लोग निगम को घेरने के लिए जमा हुए थे और तब पुलिस भी बुलानी पड़ी थी। आखिर उनके लिए 58 साल की नीति क्यों नहीं बनाई जा रही ताकि वे अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ कर सकें। प्रवीण कुमार कहते हैं कि इस बार चुनाव में वे अपने इसी मुद्दे को लेकर फैसला लेने वाले हैं। वे अपने शिक्षकों की बैठककर यह तय करेंगे कि जो सरकार उनकी मांग नहीं मान रही उसे वोट दिया जाए या फिर जो सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहें है, उन्हें सबक सिखाया जाए।

दिल्ली सरकार के स्कूलों से एक जुलाई 2019 को बाहर किए जा चुके करीब 1500 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को सरकार ने एक और मौका देने का ऐलान किया था। आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने उन्हें वापस स्कूलों में ज्वाइनिंग को लेकर दिल्ली सरकार और सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात कर उन्हें नन सीआईईटी को मौका देने कहा था। आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा का कहना था कि लंबे समय से संगठन 60 साल की पालिसी की मांग कर रहा है। साथ ही नन सीआईईटी गेस्ट टीचर्स को कम से कम दो बार सीटेट करने का मौका दिया जाने को संघर्षरत था। बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में तकरीबन 22 हजार गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे थे। एसोसिएशन के नेता प्रवीण तोबड़िया ने कहा था कि 'आप' अतिथि शिक्षकों को पक्का करने के वादे को लेकर सत्ता में आई थी लेकिन उसने इस पूरा नहीं किया।

दिल्ली सरकार को बस दिल्ली की जनता को फ्री में बांटने से फुरसत नही है। सरकार को 22 हजार परिवारों के चूल्हे नजर नहीं आ रहे। एसोसिएशन ने मांग की है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो फिर चुनाव में उन्हें भी कोई फैसला लेने को मजबूर होना पड़ेगा।

एक भी पहाड़वासी को आप ने नहीं बनाया उम्मीदवार

आशीष दुबे

12 से अधिक सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले पहाड़ी मतदाताओं की दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी की अनदेखी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को संघर्ष की स्थिति में ला सकती है। समझा जाता है कि पटपड़गंज इलाके से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहाड़ी मतदाताओं की उपेक्षा करना नाराजगी का सबब बन सकता है। दिल्ली में 20 लाख से ज्यादा पहाड़ के रहने वाले मतदाताओं की संख्या बताई जाती है। ऐसी 12 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जहां पर पहाड़ी मतदाता नतीजों के अंतर में फर्क डाल सकते हैं।

सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने किसी भी सीट से पहाड़ी प्रत्याशी नहीं उतारा है। उप सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में 24 फीसद मतदाता पहाड़ के रहने वाले हैं। यहां से कांग्रेस ने लक्ष्मण रावत और भाजपा ने रवि नेगी को बतौर प्रत्याशी उतारा है।

मतदाताओं की संख्या के आधार पर भाजपा व कांग्रेस ने प्रत्याशी चुने हैं। लक्ष्मण रावत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि रवि नेगी विनोद नगर से पार्षद रहे हैं।

पटपड़गंज की तरह बदरपुर, उत्तम नगर, लक्ष्मीनगर कुछ विधानसभा सीटे ऐसी हैं, जहां पर पहाड़ी मतदाताओं की काफी संख्या है। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी दल द्वारा किसी भी सीट पर पहाड़ी प्रत्याशी को घोषित नहीं करने के मुद्दे को विरोधी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में है। खास तौर पर ऐसे इलाकों पर पार्टी कैडर इस मुद्दे का जोरशोर से प्रचार कर सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, सत्ताधारी दल से जुड़े नेता ऐसे प्रचार की काट तैयार करने का दावा कर रहे हैं।

चांदनी चौक : चेहरे वही, चोला नया

प्रियरंजन

पुरानी दिल्ली में चुनावी लड़ाई पुरानी ही रहने वाली है। चांदनी चौक सहित बल्लिमारान, मटियामहल आदि विधानसभा सीटों पर इस बार चेहरे वही पुराने हैं लेकिन उनकी रंगत नई हो गई है। मसलन चांदनी चौक में इस बार फिर अलका लांबा चेहरा बनी हैं तो मटियामहल में शोएब इकबाल। बस उन्होंने इस बार चोला नया पहना है। उनके पुराने पर नई रंगत है और नया तेवर है।

चांदनी चौक में इस बार अलका लांबा कांगेसी बनकर वोट मांग रही है। पिछली बार आम आदमी पार्टी की झाड़ू चला रही थीं।

हारून यूसुफ

अलका लांबा

इमरान हुसैन

बदलाव के लिए वोट मांग रही थीं। भाजपा से सुमन गुप्ता तब भी मैदान में थे और इस बार भी हैं। पिछली बार जिसे ईमानदार बता रही थीं उसे इस बार बेईमान बता कर वोट मांग रहीं है। आप ने यहां से प्रहलाद सिंह साहनी को मैदान में उतार कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। पिछली बार यही साहनी कांग्रेसी झंडा थामे हाथ के साथ खड़े थे। इस बार उन्होंने केजरीवाल का हाथ पकड़ लिया।

पाला बदलने वाले नेताओं से यहां के लोगों में निराशा है। वे भ्रमित भी हैं कि इस बार वे किसे वोट दें क्योंकि जिन्हें आप का टिकट थमाया है, वे लगातार चार बार इसी सीट से विधायक रहे थे और उनके कामकाज से निराश होकर ही यहां के लोगों ने उनके खिलाफ आप को मतदान किया था। वहीं, लांबा जिस पार्टी के खिलाफ लड़ीं थीं, इस बार उसी के लिए वोट मांगने उतरी हैं।

चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में इतना तय है कि यहां मुकाबला कांग्रेस बनाम आप होने जा रहा है। यही हाल बल्लिमारान का है। यह क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ होता था। हारून युसूफ ने इस सीट से लगातार पांच बार जीत हासिल की थी। वे 1993 से 2013 तक जीतते रहे। लेकिन 2015 के चुनाव में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। आप के इमरान हुसैन ने भाजपा के श्याम लाल मोरवाल को हराया था। जीत हार का अंतर 33,877 मतों का रहा था।

वामपंथी पार्टियों के सामने 'एक हजार' चुनौती

सुशील राघव

दिल्ली विधानसभा चुनाव में छह वामपंथी पार्टियों ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन आठों उम्मीदवारों के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती अपने मतों की संख्या को 'एक हजार' से अधिक ले जाना है।

2015 के चुनाव में सात वामपंथी पार्टियों ने कुल 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे लेकिन एक भी उम्मीदवार एक हजार मत पाने में सफल नहीं रहा था। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की ओर से बादली से चुनाव लड़ने वाले राकेश कुमार को सबसे अधिक 947 मत मिले थे। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में वामपंथी पार्टियों ने एक भी सीट नहीं जीती है। जबकि 1993 से पहले दिल्ली महानगर परिषद में भाकपा के तीन सदस्य होते थे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल कम से कम 18 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भाकपा (माले), फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और नेशनल पावर पार्टी (एनपीपी) शामिल हैं।

भाकपा के दिल्ली प्रदेश सचिव प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय ने बताया कि उनकी पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें पालम से दिलीप कुमार, तिमारपुर से संजीव कुमार राणा और बवाना से अभीप्सा चौहान शामिल हैं। माकपा करावलनगर, वजीरपुर और बदरपुर से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके अलावा भाकपा (माले) दो, फॉरवर्ड ब्लॉक तीन, आरएसपी एक और एनपीपी छह उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।

> *प्रोफेसर* वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव में उतर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे परिणाम पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर होंगे। उन्होंने बताया कि 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी की ओर एकतरफा हो गया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हम सभी पार्टी को बेहतर तरीके से टक्कर देंगे।

प्रोफेसर वार्ष्णेय ने बताया कि वे दिल्ली की खस्ता परिवहन व्यवस्था, मेट्रो का अधिक किराया, प्रदूषण, ठेका मजदूरों को नियमित न करने, दिल्ली के विद्यार्थियों को दिल्ली में दाखिला नहीं मिलने, सरकारी कॉलेजों की संख्या कम होने और महिला सुरक्षा की कमी को अपना मुद्दा बना रहे हैं।

पिछले चुनाव में माकपा के करावल नगर से उम्मीदवार रंजीत तिवारी को 712 मत मिले थे जबकि भाकपा के बल्लीमारान से उम्मीदवार अब्दुल जब्बर को 644 मत मिले थे। वहीं, सीपीआइ के ही तिमारपुर से उम्मीदवार संजीव कुमार राणा को 542 मत मिले थे। अन्य सीटों पर वामपंथी उम्मीदवार 500 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। ऑल इंडिया फॉडवर्ड ब्लॉक के मुंडका से उम्मीदवार राकेश शर्मा को मात्र 52 मत मिले थे।

टिकट बंटवारे में सावधानी से कांग्रेस ने खेला दांव

निर्भय कुमार पांडेय

दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते कांग्रेस ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी विरोध-प्रदर्शन शुरू होने के पहले ही दिन अपना रुख साफ कर दिया था। कांग्रेस के नेता प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए धरनास्थल और हिरासत में लिए गए लोगों से मिलने के लिए थाने पर पहुंचे थे। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने टिकटों का बंटवारा करते वक्त अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर ऐसे चेहर उतारे हैं, जो पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं।

कांग्रेस ने बल्लीमारान सीट से पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ को मैदान में उतारा है। यूसुफ इस सीट से लगातार पांच बार चुनाव जीते हैं। वे शीला दीक्षित सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं।

इसी प्रकार सीलमपुर सीट से चौधरी मतीन अहमद को मैदान में उतारा गया है। मतीन अहमद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बीते महीने सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कथिततौर पर संलिप्त होने का मामला भी दर्ज किया है। मतीन अहमद ने जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंचकर वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन देने का ऐलान किया था। अहमद भी साल 1993 से कांग्रेस से सीलमपुर विधानसभा सीट जीतते रहे हैं। साल 2013 तक वह भी पांच बार सीलमपुर विधानसभा से अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं। इसी प्रकार ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपने वरिष्ठ नेता अहमद हसन के बेटे अली मेहंदी को उम्मीदवार बनाया है। अहमद हसन इस सीट से साल 2008 में जीते थे। उसके बाद साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में दोबारा से जीते थे। हालांकि, साल 2015 अहसन अहमद भाजपा उम्मीदवार जगदीश प्रधान से चुनाव हार गए थे। उन्हें करीब 31 फीसद वोट मिले थे, जबकि जगदीश प्रधान करीब 35 फीसद वोट लाने में कामयाब रहे थे। इस पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव हार गए थे। वहीं, कांग्रेस नेता शोएब इकबाल टिकटों की घोषणा से कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब पार्टी ने मटियामहल सीट से कांग्रेस ने युवा नेता मिर्जा जावेद अली को मैदान में उतार कर वहां के मतदातों को साधने की भरसक कोशिश की है।

मतीन अहमद

अली मेहंदी

कांग्रेस का रहा है कब्जा

दिल्ली के अल्पसंख्यक सीटों पर काफी समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। बल्लीमारान और सीमलपुर दो ऐसी विधानसभा सीट हैं, जिस पर कांग्रेस लागतार पांच बार चुनाव जीत चुकी है। इसी प्रकार मुस्तफबाद सीट पर दो बार कब्जा जमाने में सफल रही है। इसी प्रकार ओखला सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। साल 2015 में हुए विधानसभा से पूर्व मटियामहल विधानसभा से तत्कालीन कांग्रेस नेता शोएब इकबाल चुनाव जीते थे। चांदनी चौक से विधानसभा सीट से प्रहलाद सिंह साहनी साल 1998 से 2013 तक विधानसभा चुनाव जीते थे। हालांकि, साल 2015 में वह अलका लंबा से चुनाव हार गए थे।

शीला युग के अंत का संकेत है यह चुनाव

अजय पांडेय

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले साल अस्सी की उम्र में शीला दीक्षित को कांग्रेस की कमान सौंपकर जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने की पहल की थी, वहीं यह भी सोच थी कि पार्टी दिल्ली विधानसभा में भी जोरदार तरीके से वापसी करेगी। दीक्षित की अगुआई में लड़े गए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पछाड़कर जब दूसरी जगह पाई तो इस संभावना बल मिला। लेकिन दीक्षित के निधन के बाद यह संकेत भी मिल रहा है कि सूबे की सियासत से शीला दीक्षित युग का अंत हो गया है।

सोनिया गांधी ने वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में दीक्षित को यूपी से लाकर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया और उस चुनाव में दीक्षित की हार के बावजूद उनको विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। दीक्षित ने अपने पार्टी प्रमुख के फैसले को सही साबित करते हुए विधानसभा चुनाव में सूबे की सत्ता भाजपा के हाथों से ले ली। उसके बाद न केवल कांग्रेस, बल्कि समूची दिल्ली की सियासत में उनका दबदबा कायम हो गया। वर्ष 1998 की उस जीत के बाद 2013 की हार तक दीक्षित ने डेढ़ दशक तक दिल्ली में हुकूमत चलाई।

कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव के लिए 'कांग्रेस वाली दिल्ली' का नारा दिया और शीला सरकार द्वारा हासिल उपलब्धियों का ही जिक्र किया। पार्टी यह चुनाव दिल्लीवालों को अपने पुराने शासन की याद दिलाकर लड़ रही है लेकिन अपने प्रचार प्रसार में वह शीला दीक्षित को शो केश करने से बचती हुई दिखाई दे रही है। उसके चुनाव प्रचार में उसकी डेढ़ दशक की हुकूमत को थीम जरूर बनाया गया है लेकिन समूचे प्रचार से दीक्षित की धमक गायब होती जान पड़ रही है। कांग्रेस ने इस बार टिकटों के बंटवारे में दीक्षित के करीबी और उनकी सरकार में मंत्री रह चुके मंगतराम सिंघल, रमाकांत गोस्वामी, किरण वालिया आदि नेताओं को टिकट नहीं मिल दिया है। दीक्षित के अपने परिवार से भी कोई चुनाव मैदान में नहीं उतरा। दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली से चुनाव लड़ने को लेकर पूछने पर दीक्षित की बेटी लतिका ने कहा कि यह मामला उनके और पार्टी हाईकमान के बीच का है और वे इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताना चाहतीं। उन्हें चुनाव लड़ाने की चर्चा जोरदार थी लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने आखिरकार पार्टी ने रमेश सब्बरवाल को टिकट दे दिया। लतिका या उनके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं बताया गया।

जानकारों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के क्रम में शीला दीक्षित की अगुआई वाली सरकार ने राजधानी को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंग रोड बाईपास, बारापुला एलिवेटिड रोड, एअरपोर्ट का नवीनीकरण, कनॉट प्लेस का सौंदर्यीकरण सहित कई ऐसे काम हुए जिसने दिल्ली को नई पहचान दी। राष्ट्रमंडल खेलों के शुभारंभ के लिए हुए जलसे में दीक्षित के नाम पर कई बार तालियां बजाई गईं। लेकिन खेलों के आयोजन के बाद 2013 में हुए चुनाव में दीक्षित और उनकी अगुआई में कांग्रेस की हार के बाद उनके करिश्मे पर सवाल उठे। केजरीवाल ने न केवल दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली पर कब्जा जमा लिया, बल्कि दिल्ली की सियासत के भी पर्यायवाची हो गए। इस चुनाव में कांग्रेस का रुख भी यही संकेत दे रहा है कि सूबे की सियासत से शीला युग का अंत हो गया है।

झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के प्रदूषण में मामूली कमी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

झारखंड का झरिया देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, वहीं दिल्ली ने हवा में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मामूली सुधार किया है। यह जानकारी मंगलवार को ग्रीनपीस इंडिया के जरिए जारी रिपोर्ट में दी गई।

इस वर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली भारत का दसवां सबसे प्रदूषित शहर है। एक साल पहले राजधानी इस मामले में आठवें स्थान पर थी। झरिया देश के सबसे बड़े कोयला स्रोतों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार झरिया में पीएम 10 पार्टिकुलेट मैटर का औसत सालाना स्तर 2018 में 322 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था जो 0-60 की सुरक्षित सीमा से छह गुना से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड राज्य का ही धनबाद, भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, जिसे उसके कोयला भंडार और उद्योगों के लिए जाना जाता है। देश भर के 287 शहरों से पीएम 10 डेटा के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

गोवा विधानसभा में मेरे प्रश्नों को हटाया गया : निर्दलीय विधायक

पणजी, 21 जनवरी (भाषा)।

गोवा के निर्दलीय विधायक रोहन खौंटे ने राज्य के विधायी कार्य विभाग को पत्र लिखकर दावा किया कि आगामी सत्र में पूछने के लिए उन्होंने जो प्रश्न सौंपे थे, उनमें से कुछ प्रश्नों को प्रश्नपत्र से हटा दिया गया। गोवा विधानसभा का बजट सत्र तीन से सात फरवरी तक चलेगा।

खौंटे ने विधायी कार्य विभाग के सचिव को लिखे पत्र में कहा, 'मैं आपका ध्यान वित्त और शिक्षा से संबंधित उन तारांकित प्रश्नों पर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिन पर मुख्यमंत्री को जवाब देना है। उन प्रश्नों को विधानसभा के ग्यारहवें सत्र 2020 के तारांकित प्रश्नों की सूची से बिना किसी सूचना के हटा दिया गया है।' पूर्व राजस्व मंत्री ने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों की सूची इस महीने की शुरुआत में सौंप दी थी।

जेएनयू कुलपति को हटाने की मांग उचित नहीं : पोखरियाल

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों की मूल मांग मान ली गई है और अब कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाने की मांग उचित नहीं है।

पोखरियाल ने साक्षात्कार में कहा कि विश्वविद्यालय में स्थिति अब सामान्य हो रही है। पिछले साल अक्तूबर में जेएनयू प्रशासन ने छात्रावास की फीस बढ़ोतरी और साथ ही सेवा व उपयोगिता शुल्क लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद छात्रों ने इस फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। एचआरडी मंत्रालय ने परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के मकसद से आंदोलनकारी छात्रों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता करने के लिए तीन सदस्यों का पैनल बनाया। पोखरियाल ने बताया, 'छात्रावास फीस बढ़ोतरी के बारे में छात्रों की मूल मांग मान ली गई है। जेएनयू के वीसी को हटाने की मांग अब उचित नहीं है।' उन्होंने कहा, 'जेएनयू के करीब 80 फीसद छात्रों ने अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करा लिया है। किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं। अगर हमारे विश्वविद्यालय को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता हासिल करनी है तो इन मुद्दों से ऊपर उठना होगा।' फीस बढ़ोतरी सहित हॉस्टल मैनुअल में संशोधन के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ के अदालत में जाने और सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया के बहिष्कार के सवाल पर उन्होंने कहा, 'इस पर आगे क्या कदम उठाना है, यह विश्वविद्यालय को तय करना है।' जेएनयू छात्र संघ ने इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (आइएचए) के हॉस्टल मैनुअल में संशोधन करने के फैसले को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस संशोधन में फीस में बढ़ोतरी का प्रावधान है।

पोखरियाल ने कहा कि अकादमिक मसले को सुलझा दिया गया है और विश्वविद्यालय में स्थिति सामान्य हो रही है। जहां तक हिंसा की बात है तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रों को अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेएनयू एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छात्रों के लिए उत्कृष्ट वातावरण बना रहे।

मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को युद्ध का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम विश्वविद्यालयों में अराजकता नहीं चाहते हैं, हम शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण चाहते हैं। हम अपने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर ले जाने के लिए अनुसंधान में अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं।' पोखरियाल ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का उद्देश्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं है। साथ ही उन्होंने छात्रों से उन लोगों को यह बात समझाने की अपील की, जो इस मामले पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और तुच्छ राजनीति में लिप्त हैं।

उन्होंने कहा, 'चूंकि इस कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, इसलिए देश की छवि खराब हुई और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस बारे में स्थिति साफ करने में छात्र भूमिका निभा सकते हैं।'

छात्रों की मूल मांग मान ली गई

विश्वविद्यालय को युद्ध का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा। हम विश्वविद्यालयों में अराजकता नहीं चाहते हैं, हम शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण चाहते हैं। हम अपने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर ले जाने के लिए अनुसंधान में अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर चिदंबरम ने सरकार को घेरा

गीता गोपीनाथ पर हमले करने वाले हैं सरकार के मंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की ओर से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर को कम किए जाने के अनुमान को लेकर मंगलवार को सरकार को घेरा। पूर्व वित्त मंत्री ने कटाक्ष किया कि अब हमें आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ पर मंत्रियों के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए।

चिदंबरम ने ट्वीट किया कि आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ नोटबंदी की सबसे पहले निंदा करने वालों में से एक थीं। मुझे लगता है कि हमें आइएमएफ और डॉ. गीता गोपीनाथ पर सरकार के मंत्रियों के हमले के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। उन्होंने लिखा-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का रियलिटी चेक। साल 2019-20 में वृद्धि दर पांच फीसद से कम 4.8 फीसदी होगी। कुछ कदमों के बाद भी विकास दर 4.8 फीसद है। अगर यह और भी कम हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।

दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आइएमएफ ने भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटाकर 4.8 फीसद कर दिया है। उसका कहना है कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। दरअसल, आइएमएफ ने सोमवार को भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि परिदृश्य के अपने अनुमान को संशोधित किया। इसके साथ ही उसने व्यापार व्यवस्था में सुधार के बुनियादी मुद्दों को भी उठाया। संगठन के ताजा अनुमान के मुताबिक साल 2019 में वैश्विक वृद्धि दर 2.9 फीसद, 2020 में 3.3 फीसद और 2021 में 3.4 फीसद रहेगी। मुद्राकोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम करके 2019 के लिए 4.8 फीसद कर दिया है। उसने 2020 और 2021 में इसके क्रमशः 5.8 फीसद और 6.5 फीसद रहने का अनुमान जताया है।

जेएनयू सर्वर रूम में सीसीटीवी तोड़फोड़ जनवरी के पहले हफ्ते में नहीं हुई

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सर्वर रूम में बायोमीट्रिक प्रणाली और सीसीटीवी संबंधी तोड़फोड़ जनवरी के पहले सप्ताह में नहीं हुई थी। विश्वविद्यालय ने यह बात एक आरटीआइ आवेदन के जवाब में कही है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन के उन दावों के विपरीत है जिनमें कहा गया था कि छात्रों ने तीन जनवरी को बायोमीट्रिक प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था।

'नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन' के सदस्य सौरव दास ने आरटीआइ के तहत आवेदन दायर कर यह जानकारी मांगी थी। विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआइएस) में जेएनयू का मुख्य सर्वर तीन जनवरी को बंद हुआ था और अगले दिन यह विद्युत आपूर्ति में बाधा की वजह से ठप हो गया।

जवाब में यह भी कहा गया है कि पांच जनवरी को अपराह्न तीन बजे से रात 11 बजे तक जेएनयू परिसर के उत्तरी/मुख्य द्वार पर लगे कैमरों की कोई पूरी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, जिस दिन नकाबपोश लोगों ने परिसर में प्रवेश किया था और छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला किया था। जेएनयू प्रशासन ने तीन जनवरी को दावा किया था कि नकाब पहने छात्रों के एक समूह ने सीआइएस में जबरन प्रवेश किया और बिजली आपूर्ति बंद कर दी जिससे सर्वर, सीसीटीवी निगरानी, बायोमीट्रिक उपस्थिति और इंटरनेट सेवाएं निष्क्रिय हो गईं।

आरटीआइ आवेदन के जवाब में कहा गया, 'जेएनयू का मुख्य सर्वर तीन जनवरी को बंद हुआ और अगले दिन बिजली आपूर्ति ठप होने से ठप हो गया।' इसमें कहा गया, '30 दिसंबर 2019 से आठ जनवरी 2020 के बीच कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं टूटा।' जवाब में यह भी कहा गया कि चार जनवरी को दोपहर एक बजे 17 फाइबर ऑप्टीकल केबल नष्ट हुईं। 30 दिसंबर 2019 से आठ जनवरी 2020 के बीच कोई बायोमीट्रिक प्रणाली नहीं टूटी।

आरटीआइ आवेदन में यह भी पूछा गया कि क्या जेएनयू परिसर में सीआइएस कार्यालय के भीतर या आसपास सीसीटीवी कैमरों के सर्वर हैं। इसके जवाब में कहा गया कि सीसीटीवी कैमरों के सर्वर डेटा सेंटर में हैं, न कि सीआइएस कार्यालय में। इसमें यह भी कहा गया, 'सीसीटीवी कैमरों की अवस्थिति का विवरण सुरक्षा कारणों से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।' आवेदन में यह भी पूछा गया कि 25 दिसंबर 2019 से आठ जनवरी 2020 तक तकनीकी खामी या समस्या की वजह से जेएनयू की वेबसाइट कितनी बार बंद हुई। इसके जवाब में कहा गया कि इस अवधि में वेबसाइट वैकल्पिक बैकअप प्रबंधों की वजह से लगातार चलती रही। विश्वविद्यालय से इस बारे में तत्काल कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं हुई है।

आरटीआइ खुलासा

- आरटीआइ आवेदन में आया जवाब जेएनयू प्रशासन के उन दावों के विपरीत है जिनमें कहा गया था कि छात्रों ने तीन जनवरी को बायोमीट्रिक प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था।

सुप्रीम कोर्ट दूरसंचार कंपनियों की अपीलों पर सुनवाई को राजी

पेज 1 का बाकी

किसी समय उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगी, जिसने इस मामले में सुनवाई की है। नई अर्जियों पर सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ में होगी। सुंदरम ने अदालत को बताया कि कंपनियां अपनी ओर से किए जाने वाले भुगतान को लेकर विरोध नहीं कर रही हैं बल्कि हम भुगतान के लिए तारीख में बदलाव चाहते हैं। पीठ में न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी हैं।

दूरसंचार कंपनियों ने कहा- वे चाहती हैं कि उनकी ताजा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा- खुली अदालत या फिर चेंबर में सुनवाई पर फैसला संबंधित पीठ लेगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपए के सांविधिक बकाए की रकम 23 जनवरी तक जमा करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाएं 16 जनवरी को खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा कि उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नजर नहीं आया। शीर्ष अदालत ने 24 अक्तूबर, 2019 को अपनी व्यवस्था में कहा था कि वैधानिक बकाए की गणना के लिए दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व में उनके दूरसंचार सेवाओं से इतर राजस्व को शामिल किया जाना कानून के अनुसार ही है। शीर्ष अदालत ने दूरसंचार विभाग द्वारा समायोजित सकल राजस्व को परिभाषित करने का फार्मूला बरकरार रखते हुए संचार सेवा प्रदाताओं की आपत्तियों को थोथा करार दिया।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले साल नवंबर में संसद को बताया था कि भारती एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और दूसरी दूरसंचार कंपनियों पर वैधानिक राशि के रूप में 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है।

पवन वर्मा की चिट्ठी में दिखीं नीतीश की आशंकाएं

पेज 1 का बाकी

रहा है जबकि अकाली दल जैसे भाजपा के पुराने सहयोगियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। खासकर ऐसे समय में जब भाजपा ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामाजिक विभाजनकारी एजंडा चला रखा है।' पत्र में उन्होंने लिखा, 'जिस तरह की राजनीति आपने हमें करने के लिए जोर दिया है वह सिद्धांतों को लेकर है।'

सीएए वापस नहीं होगा, जिसे विरोध करना है करे

पेज 1 का बाकी

पश्चिमी पाकिस्तान में 23 फीसद हिंदू, सिख बौद्ध और जैन थे। अब वहां वे सिर्फ सात और तीन फीसद ही रह गए हैं। बाकी कहां गए? वे या तो मार दिए गए या उनका धर्म परिवर्तन किया या उन्होंने भारत में शरण ली।

शाह ने सीएए और अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सारी चीजों में राहुल, अखिलेश, मायावती और ममता की भाषा और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा एक है।

उन्होंने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सरकार की उपलब्धि की तरह पेश करते हुए दावा किया कि अयोध्या में तीन महीने के अंदर आसमान छूता हुआ मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों ने 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया। उसके बाद लाखों लोग आंदोलित हुए, कई ने शहादत दी। मगर कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते श्रीराम का मंदिर नहीं बनने दिया।

कश्मीर के लोगों से उनकी समस्याएं जानना चाहता है केंद्र : नकवी

पेज 1 का बाकी

लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, 'लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदें पूरी नहीं हुईं और भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर की हालत बिगाड़ दी। कुछ लोगों ने अपने को फायदा पहुंचाया लेकिन हम सभी की समृद्धि चाहते हैं।' जब उनसे यह पूछा गया कि जम्मू में 31 मंत्री भेजे जा रहे हैं जबकि कश्मीर में पांच ही, ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम तो महज शुरुआत है। उन्होंने कहा, 'लोगों के लिए विकास योजनाओं के फायदे उठाने का समय है। जम्मू कश्मीर भारत की विकास गाथा का हिस्सा होना चाहिए। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी भी विकास कार्यक्रम के पहले लाभार्थी के रूप में देखना चाहती है।'

राज्य को नुकसान से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुई कांग्रेस : चव्हाण

औरंगाबाद, 21 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वो कथित रूप से यह कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में 'मुसलिम समुदाय' के 'जोर देने' पर शामिल हुई जिससे भाजपा को सत्ता में वापस आने से रोका जा सके।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री ने कथित रूप से यह टिप्पणी हाल ही में प्रदेश के मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हाल में आयोजित रैली में की। चव्हाण ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने अपने भाषण में खासतौर पर मुसलमानों का जिक्र नहीं किया है। चव्हाण ने हिंदी में कहा, 'राज्य में हमारी (गठबंधन) सरकार है। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने का फैसला इसलिए किया ताकि राज्य को बीते पांच साल (जब भाजपा सत्ता में थी) में हुए नुकसान (के दोहराव) से बचाया जा सके। हमारे मुसलिम भाइयों ने भी जोर दिया कि हम सबसे बड़े दुश्मन भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए सरकार में शामिल हों।'

प्रदेश में दिसंबर, 2008 से नवंबर, 2010 तक मुख्यमंत्री रह चुके चव्हाण ने यह भी कहा कि जब तक मौजूदा सरकार प्रदेश में है तब तक यहां संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश में शिवसेना और राकांपा के साथ महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमवीए) का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'धर्मनिरपेक्षता हमारा आधार है। कानून (सीएए) संविधान पर आधारित होना चाहिए।' संपर्क किए जाने पर चव्हाण ने कहा, 'मैंने खासतौर पर मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ यह कहा था कि सभी समुदायों ने हमारी पार्टी को सरकार में शामिल होने के लिए कहा।'

सोशल मीडिया पर वायरल टिप्पणी, कांग्रेस सरकार में शामिल हुई क्योंकि मुसलिम भाजपा को बाहर रखने पर जोर दे रहे थे

मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री ने जोगबनी-विराटनगर चौकी का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली के साथ सोमवार को सीमा के निकट जोगबनी-विराटनगर एकीकृत निगरानी चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित इस निगरानी चौकी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया।

भारत की सहायता से निर्मित यह संयुक्त चौकी 260 एकड़ में फैली है और दैनिक आधार पर 500 ट्रकों के परिवहन में सक्षम है। 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना से दोनों देशों की जनता के स्तर पर संपर्क बढ़ेगा तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जोगबनी-विराटनगर एकीकृत निगरानी चौकी इस तरह की दूसरी चौकी है। पहली एकीकृत निगरानी चौकी का निर्माण 2018 में रक्सौल-बीरगंज में हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एकीकृत निगरानी चौकी के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत पड़ोस में स्थित सभी मित्र देशों के साथ यातायात को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही कारोबार, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बीच संपर्क और बढ़ाने को लेकर भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल सड़क, रेल और पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनों जैसी कई संपर्क परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

मोदी ने कहा, 'सीमा के प्रमुख बिंदुओं पर एकीकृत निगरानी चौकियों से हमारे देशों के बीच परस्पर आवाजाही और कारोबार को काफी सुविधा मिलेगी।' कार्यक्रम में दोनों प्रधानमंत्रियों ने 2015 के भूकम्प के बाद भारत की सहायता से नेपाल में बनाए जा रहे मकानों की प्रगति भी देखी। भारत ने गोरखा और नुवाकोट जिलों में 50 हजार घरों के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसमें से 45 हजार घर पूरे कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि बाकी बचे घरों का निर्माण भी जल्द पूरा हो जाएगा।'

वीडियो के जरिये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओली ने मोदी को नेपाल के दौरे के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस साल पड़ोसी देश की यात्रा को लेकर आशावान हैं।

'अध्यक्ष के अधिकारों पर पुनर्विचार करे संसद'

पेज 1 का बाकी

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अयोग्यता के मामले में निर्णय के लिए संसद को संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष के स्थान पर एक स्वतंत्र और स्थाई अधिकरण गठित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्थाई अधिकरण बनाने या कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर विचार करना चाहिए जिसमें तेजी से और निष्पक्षता से फैसले हों सकें।

पीठ ने सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर फैसले में अध्यक्ष की भूमिका और इसमें अत्यधिक विलंब का संज्ञान लिया। पीठ ने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष से कहा कि वह भाजपा के विधायक और मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार को अयोग्य घोषित करने के लिए कांग्रेस नेता की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें।राज्य विधानसभा के 2017 के चुनावों में श्यामकुमार कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे लेकिन बाद में वह भाजपा सरकार में शामिल हो गए। श्यामकुमार को अयोग्य घोषित करने के लिए दायर याचिका अभी भी अध्यक्ष के पास लंबित है।

पीठ ने कहा कि चार सप्ताह बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस कार्यवाही से संबद्ध कोई भी पक्षकार इस मामले में आगे निर्देश या राहत के लिए न्यायालय आ सकता है। पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि संसद को पुनः विचार करना चाहिए कि क्या संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए दायर याचिकाओं पर निर्णय का दायित्व अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए जबकि ऐसे अध्यक्ष राजनीतिक दल विशेष के ही सदस्य होते हैं।

पीठ ने कहा कि संसद 10वीं अनुसूची के तहत आने वाले अयोग्यता से संबंधित विवादों में पंचाट के रूप में लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष के स्थान पर शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थाई अधिकरण या कोई अन्य स्वतंत्र व्यवस्था बनाने के बारे में गंभीरता से विचार करे ताकि ऐसे विवादों का तत्परता और निष्पक्षता से निर्णय हो सके। इस तरह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को असली अधिकार मिलेंगे जो हमारे लोकतंत्र के सही तरीके से काम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता कीशम मेघचंद्र सिंह की अपील पर यह व्यवस्था दी।

मुंबई में 13 व 14 फरवरी को जहाजरानी उद्योग पर संगोष्ठी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (जनसत्ता)।

जहाजरानी उद्योग के सतत विकास के लिए अनुसंधान पर जोर देने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति की खातिर मुंबई में एक संगोष्ठी 13 और 14 फरवरी को हो रही है। इसका आयोजन वर्ष 2000 में स्थापित पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इनर सर्च फाउंडेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम रिसर्च कॉन्फ्लुएंस (आइएमआरसी) कर रहे हैं। इसके लिए संगोष्ठी के जरिए एक दशक (2020-2030) लंबी परियोजना शुरू की जा रही है।

आइएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (डब्लूडब्लूडब्लूडॉटआइआइआरई) की अध्यक्ष डॉ पूनम कपूर ने इस संगोष्ठी के बारे में कहा-'संपोषित विकास सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में हमारे सामने है। जहाजरानी सेक्टर में इस सोच को बढ़ावा देने एवं उद्योग और शिक्षाविदों को साथ लाकर प्रभावी संवाद शुरू करने की यह एक प्रमुख पहल है।' उन्होंने कहा कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से स्थापित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देने और तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने की चुनौती हमने स्वीकारी है। डॉ. सुरेश भारद्वाज (रेसिडेंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल, एमएएसएसए मैरीटाइम एकेडमी चेन्नई) ने कहा- 'यह उद्योग जगत के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम है।'

आइएमआरसी की संयोजक योग्यता कपूर ने बताया कि संगोष्ठी में नौवहन के सभी क्षेत्रों के पेशेवर और शिक्षाविदों जैसे कि शिप-ओनर्स, शिप-यार्ड, पोर्ट, टर्मिनल प्राधिकरण, शिप मैनेजर, एचएसएसईक्यू पेशेवर, डिजाइनर, इंजीनियर, शोधकर्ता और समुद्री प्राधिकरण भी शिरकत करेंगे।

नेपाल में संदिग्ध गैस रिसाव से आठ भारतीयों की मौत

पेज 1 का बाकी

नायर, शरन्या शशि, श्रीभद्र प्रवीण, आरचा प्रवीण, अभिनव शरन्या नायर, रंजीत कुमार, आदथोल पुनाथिल, इंदु लक्ष्मी पीतांबरन रागलथा और वैष्णव रंजीत के रूप में हुई है। दो दंपति और चार बच्चे, 15 लोगों के उस समूह का हिस्सा थे जो केरल से पोखरा गया था। वे अपने घर वापस लौट रहे थे और सोमवार की रात मकवानपुर जिले के दमन में एवरेस्ट पैनोरमा रिजॉर्ट में रुके थे।

रिजॉर्ट के प्रबंधक के अनुसार, ये लोग एक कमरे में रुके थे और उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए गैस हीटर चालू किया। प्रबंधक ने बताया कि पर्यटकों ने कुल चार कमरे बुक किए थे और उनमें से आठ लोग एक कमरे में रुके हुए थे और शेष अन्य कमरे में ठहरे थे। उन्होंने बताया कि कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। भारतीय मिशन ने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यक मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

उधर तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नेपाल में मलयाली पर्यटकों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उनके कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने पीड़ितों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने के वास्ते कदम उठाए हैं। विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिख कर नेपाल के रिजॉर्ट में मृत मिले केरल के आठ पर्यटकों के परिवारों को हर संभव सहायता पहुंचाने का अनुरोध किया। पत्र में विजयन ने कहा, हमने नेपाल गए केरल के आठ लोगों की मौत की चौंकानेवाली खबर सुनी। उन्होंने कहा मैं आपके मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि कृपया दखल दें और पीड़ितों के परिवारों और मित्रों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाए। केरल सरकार ने कहा कि सभी शवों को जल्द से जल्द राज्य में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नोरका (केरल के प्रवासी मामलों का विभाग) के अधिकारी नेपाल में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। इसमें कहा गया कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद कल तक राज्य में लाया जा सकता है।

दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत चौथा सबसे अच्छा बाजार

पेज 1 का बाकी

लेकर ज्यादातर कार्यकारी अधिकारियों का रुख हालांकि बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है। केवल 27 फीसद सीईओ ने माना कि वे अगले 12 महीने में कंपनी की वृद्धि को लेकर वह बहुत आश्वस्त हैं।

सामान्य तौर पर कारोबार वृद्धि को लेकर अधिकारियों का भरोसा कमजोर पड़ा है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चीन और भारत ने आय में वृद्धि को लेकर सबसे ज्यादा क्रमशः 45 और 40 फीसद भरोसा व्यक्त किया है। अमेरिका में 36 फीसद अधिकारी अपनी कंपनी की वृद्धि को लेकर आशांवित है। ब्रिटेन में यह स्तर 26 फीसद, जर्मनी में 20 फीसद, फ्रांस में 18 फीसद है। वहीं 2020 में कंपनी का राजस्व बढ़ने को लेकर जापान में सबसे कम (11 फीसद) अधिकारियों ने ही उम्मीद जताई है। सर्वेक्षण में 83 देशों के करीब 1,600 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है।

पीडब्ल्यूसी ने कहा कि 30 फीसद सीईओ का मानना है कि अमेरिका अगले 12 महीनों में वृद्धि के लिहाज से शीर्ष बाजार है जबकि चीन इससे सिर्फ एक अंक 29 फीसद पर है। इनके अलावा शीर्ष पांच देशों में जर्मनी (13 फीसद), भारत (9 फीसद) और ब्रिटेन (9 फीसद) है।

www.readwhere.com

इंटरपोल के पूर्व प्रमुख को 13 साल कैद की सजा

बेजिंग, 21 जनवरी (एएफपी)।

इंटरपोल के पूर्व प्रमुख मेंग होंगवेई को रिश्वत लेने के जुर्म में मंगलवार को 13 साल से अधिक की कैद की सजा सुनाई गई। तिएंजिन की फर्स्ट इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने कहा कि मेंग को 13 साल छह माह कैद और 2.90 लाख डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तियानजिन अदालत में मेंग ने अपना गुनाह कबूला और कहा कि वे अपील नहीं करेंगे। फैसले में कहा गया कि जांच में पाया गया कि 2005 से 2017 के बीच मेंग ने कारोबार में कुछ संस्थानों और लोगों फायदा पहुंचाने की खातिर अपने विभिन्न पदों का लाभ उठाया।

फैसले में कहा गया कि बदले में उन्होंने 1.446 करोड़ युआन से अधिक का धन और तोहफा कबूल किया। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ के अनुसार अदालत ने कहा कि मेंग ने अपने अपराधों के बारे में अतिरिक्त सूचना प्रदान की, गुनाह कबूला और पछतावा जाहिर किया, लेकिन उसकी अवैध कमाई और संपत्ति का एक हिस्सा जब्त नहीं किया गया।

चीन के पूर्व उप सुरक्षा मंत्री मेंग चीन की ओर से नामित किए जाने के बाद इंटरपोल के मुखिया बने थे।

साइबेरिया में आग लगने से 11 कर्मचारियों की मौत

मॉस्को, 21 जनवरी (एएफपी)।

साइबेरिया के एक दूरस्थ गांव में एक मंजिला लकड़ी की झोपड़ी में आग लगने से उज्बेक के दस कर्मचारियों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा, '11 लोगों के शव बरामद हुए हैं।' प्राथमिक जानकारी का हवाला देते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में से दस उज्बेक के नागरिक हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आग आरा मिल के पास स्थित लकड़ी की झोपड़ी में लगी। कर्मचारी उसके खराब स्थिति में होने के बावजूद उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्षेत्रीय गवर्नर ने मौके पर पहुंच स्थिति का मुआयना किया। अधिकारी पूरे इलाके में आग सुरक्षा संबंधी जांच कर रहे हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि लापरवाही से हुई हत्या के मामले में उन्होंने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। मध्य एशिया से आए कई प्रवासी रूस में रहते हैं, जहां वे अक्सर लचर सुरक्षा स्थितियों में और कम वेतन पर काम करते हैं।

चीन में विषाणु के सत्यापित तीन सौ मामले

बेजिंग, 21 जनवरी (एएफपी)।

चीन में सार्स जैसे किसी नए विषाणु से संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार को बढ़ कर 291 हो गई। स्वास्थ्य प्रशासन ने यह जानकारी दी। नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि इस विषाणु के करीब 80 नए सत्यापित मामले सामने आए हैं। एनएचसी के अनुसार, यह विषाणु अब तक चार लोगों की जान ले चुका है और 900 से अधिक लोग अब भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

ईरान ने माना, यूक्रेन के विमान पर दागी गई थीं दो मिसाइलें

तेहरान, 21 जनवरी (एएफपी)।

ईरान ने मान लिया है कि यूक्रेन के विमान पर दो मिसाइलें दागी गई थीं। इस घटना में विमान में सवार सभी 176 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकार ने यह भी कहा कि उसने मार गिराए गए विमान के ब्लैक बॉक्स से जानकारियां जुटाने के लिए फ्रांस और अमेरिका से तकनीकी सहायता मांगी है लेकिन उसे अब तक उनका सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

आठ जनवरी को तेहरान के खमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कीव के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एअरलाइंस के विमान को मार गिराया गया था। इस घटना की पूर्ण और पारदर्शी जांच करने का ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव है।

ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने सोमवार देर शाम अपनी वेबसाइट पर प्रारंभिक रिपोर्ट डालते हुए कहा, 'जांचकर्ताओं...ने यह पता लगाया है कि दो टोर-एम1 मिसाइलें...विमान पर दागी गईं।' रिपोर्ट में कहा गया कि मामले की जांच जारी है।

पाक में तीन तालिबानी आतंकवादी गिरफ्तार

लाहौर, 21 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को एक विशेष सूचना के आधार पर आतंकवाद रोधी अधिकारियों ने तीन तालिबानी आतंकवादियों को गिरफ्तार करके आतंकवादी हमले की कोशिश नाकाम करने का दावा किया। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने एक बयान में कहा कि ये आतंकवादी बहावलनगर में एक संवेदनशील प्रतिष्ठान पर हमले का षडयंत्र रच रहे थे।

NEWGEN

OUR SOFTWARE PRODUCTS
DRIVE DIGITAL TRANSFORMATION

Key Highlights – Q3 FY'20

Revenue growth of 15% YoY | PAT growth of 33% YoY | SaaS Revenues up 61% YoY

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिये अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	समेकित (राशि रू लाख में)			
		समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही	
		31 दिसंबर, 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2018 (अनंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2019 (अनंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	18,495.10	16,054.05	46,991.45	41,667.48
2.	अवधि के लिये निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदें)	3,268.57	2,666.09	4,238.16	5,486.40
3.	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ /(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	3,268.57	2,666.09	4,238.16	5,486.40
4.	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ /(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2,396.22	1,805.88	3,126.80	3,969.67
5.	अवधि के लिये कुल समग्र आय [अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित]	2,547.33	1,645.55	3,281.05	4,106.47
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रू का अंकित मूल्य)	6,907.97	6,809.28	6,907.97	6,809.28
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है.	42,824.90	33,733.85	42,824.90	33,733.85
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 10/- की) (जारी और बंद प्रचालनों के लिये) –				
	1. बेसिक ईपीएस	3.48	2.66	4.55	5.84
	2. डाइल्यूटिड ईपीएस	3.46	2.60	4.51	5.71

टिप्पणी:
1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति ने 21 जनवरी, 2020 को आयोजित बैठक में समीक्षा कर ली है और निदेशक मंडल ने 21 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।
2. लेखा परीक्षकों ने 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिये कंपनी के एकल और समेकित परिणामों की सीमित समीक्षा कर ली है। इन वित्तीय परिणामों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई गुणावगुण नहीं है।
3. महत्वपूर्ण एकल वित्तीय सूचना (राशि रू लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही	
	31 दिसंबर, 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2018 (अनंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिसंबर, 2018 (अनंकेक्षित)
प्रचालनों से राजस्व	16,132.90	13,771.96	40,602.64	36,405.50
कर पूर्व लाभ	3,168.44	2,276.28	3,810.00	4,922.42
कर पश्चात लाभ	2,373.52	1,486.31	2,870.09	3,550.30

4. कंपनी ने, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 को अपनाया है और मानदंड के आरंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव के साथ, पूर्व तिथि से अपनी लीजों में मानदंड लागू किया है, जिसे आरंभिक आवेदन की तिथि (1 अप्रैल, 2019) को मान्यता प्रदान की गई है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक सूचना का पुन: उल्लेख नहीं किया है. इसकी बजाए, इस मानदंड की आरंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव में 1 अप्रैल 2019 को बरकरार आय के ओपनिंग बैलेंस में समायोजन के तौर पर मान्यता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2019 को रू 247.14 लाख के कर्रों की बरकरार निवल आय के समायोजन से (रू 67.93 लाख के आस्थगित कर सृजन के प्रभाव सहित) रू 1769.79 लाख की परिसंपत्ति के राइट ऑफ यूज तथा रू 2010.89 लाख की तरल्यानी लीज देनदारी की पहचान की गई है। चालू अवधि के लिये लाभ और हानि खाते में ऑपरेटिंग लीजों के संबंध में खर्चों की प्रकृति पूर्व की अवधियों में लीज किराये से राइट टू यूज परिसंपत्ति के लिये अवमूल्यन लागत और लीज देनदारियों पर अर्जित ब्याज के लिये वित्तीय लागत में परिवर्तित की गई है।
5. 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान आईपीओ आय का नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के निकट कार्यालय परिसरों की सज्जा तथा सामान्य निगमित उद्देश्य के लिये क्रमश: रू 259.71 लाख तथा रू 818.69 लाख की राशि के रूप में उपयोग किया गया है। 31 दिसंबर, 2019 तक आईपीओ की शुद्ध आय का पूरा उपयोग किया गया है।
6. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिये वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र बीएसई और एनएसई की स्टॉक एक्सचेंजों पर क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है तथा यह हमारी वेबसाइट: www.newgensoft.com के निवेशक संबंध खण्ड के अधीन भी उपलब्ध है।

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
सीआईएन: L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालय: ए-6, सत्संग विहार मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, नई दिल्ली -110067
टेली: (+91)-11-40770100, 26964733, 26963571, फैक्स: (+91)-11- 26856936
ई-मेल/यूआरएल: investors@newgensoft.com / https://newgensoft.com
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 21.01.2020

मंडल के लिये और उसकी ओर से
हस्ता/-
दिवाकर निगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00263222

सवेरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN: L51909DL1990PLC040761
पंजी. कार्यालय: 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38
वेबसाईट:www.savaretrade.com, ईमेल: narendermakkar@yahoo.com

सूचना

स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13.08.2019 को 4.00 बजे अप. में 3 रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

सवेरे ट्रेड एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
नरेन्दर कुमार मक्कर
(DIN:00026857)
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.08.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
ग्रेटर कैलाश- II शाखा
एम-82, मैन मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.11.2019 जारी कर ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों मै. फोकस टेक्नोलॉजीज (यहां के बाद 'ऋणधारक' वर्णित) पता: डी-83, 2रा तल, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.10.2019 को रु. 1,12,69,262.98/- (रुपए एक करोड़ बारह लाख उन्हत्तर हजार दो सौ बासठ एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 जनवरी, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद पुनर्भुगतान यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 1,12,69,262.98/- (रुपए एक करोड़ बारह लाख उन्हत्तर हजार दो सौ बासठ एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) की राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 1,14,80,739.98- (रुपये एक करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार सात सौ उन्तालिस एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

कुल 254.18 वर्ग मी. के प्लॉट एरिया में निर्मित बेस्मेन्ट के साथ तीन मंजिला मकान में प्लॉट नं. डी-83, दूसरे तल के फ्रान्ट पोर्शन, ब्लॉक-डी, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में स्थित श्री अतुल छाबड़ा, पुत्र रमेश छाबड़ा तथा श्रीमती प्रिया छाबड़ा, पत्नी अतुल छाबड़ा के नाम में 92.90 वर्ग मी. की माप में आवासीय सम्पत्ति का ई/एम। चौहद्दी: उत्तर: सम्पत्ति सं. डी-84, दक्षिण: 30' चौड़ा रोड, पूर्व: सीढ़ी/ सम्पत्ति सं. डी-83 का शेष भाग/ सर्विस लेन, पश्चिम: मैन रोड।

तिथि: 18.01.2020
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामगंगा विहार, मुरादाबाद
क्षेत्रीय कार्यालय: 18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर गाजियाबाद (उ0प्र0) फोन-8192805245, 8192805246
फैक्स नं0- 0120-2783333 E-Mail : rmgzb@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना (चल सम्पत्ति)

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहां है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुबंध 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

शाखा का नाम	ऋणी (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	कब्जा की तारीख	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	ऋणी: श्री आशीष कुमार पुत्र श्री ऋषि पाल गारन्टर: श्री कल्याण सैन (9134NC3117)	फ्लैट नं0 302 ग्राउण्ड फ्लोर, न्याय खण्ड I, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 24.65 वर्ग मीटर है। उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 31347 पृष्ठ सं0 249-300 क्र0 सं0 5804 दिनांक 01.04.2016 पर दर्ज है।	रू. 1271845/- + देय ब्याज + देय अन्य खर्च	Rs. 940000/-	Rs. 94000/-	15-11-19	दिनांक: 25.02.2020, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, इन्दिरापुरम। पता: 1031, नीति खण्ड-1, ऑरेन्ज काउन्टी के सामने इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियों सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) के रूप में शाखा प्रबन्धक इन्दिरापुरम दूरभाष क्रमशः 8860870262 के पास दि0 24.02.2020 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एम0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स /बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा।

ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 21.01.2020 स्थान: गाजियाबाद
प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खाते के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/ गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
मनोज कुमार, श्रीमती पुष्पा रानी (खाता सं.) LSRPD5616-70515149 (L9001060101012101)	19 दिसम्बर 2019 ₹1031875/- रु. दस लाख इकत्तीस हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	एसआरएस 196, खसरा नं. 487, पुराना लाल डोरा ग्राम-पीरा घड़ी, नई दिल्ली, दिल्ली
संजीव आनंद, श्रीमती निधी आनंद (खाता सं.) L9001060116252912	19 दिसम्बर 2019 ₹2344886/- रु. तेईस लाख चवालीस हजार आठ सौ छियासी मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	खसरा नं. 1010 560, प्लॉट नं. पी 164, आबादी गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी, ग्राम-चन्द्रावली उर्फ शाहदारा, दिल्ली
उसमान सलमानी, श्रीमती उजमा सलमानी (खाता सं.) L9001060113358514	19 दिसम्बर 2019 ₹1709962/- रु. सत्रह लाख नौ हजार नौ सौ बासठ मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	डब्ल्यू जेड 55 प्लॉट नं. 35, नं. 10 एवं किल्ला नं. 11 ग्राम चौहांडी राम नगर एक्सटेन्शन, दिल्ली
नन्दन वैध, मीता वैध (खाता सं.) L9001060115727311	19 दिसम्बर 2019 ₹747613/- रु. सात लाख सैंतालीस हजार छः सौ तेरह मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	व्यवसायिक सम्पत्ति खसरा नं. 93, नन्दन की शॉप, ग्राउण्ड फ्लोर, मुनसीपल नं. 1647, पीवीटी.नं. 02, गोविन्दपुरी, गली नं. 15, नई दिल्ली
मुकेश कुमार, श्रीमती संगीता देवी (खाता सं.) L9001060115728261	19 दिसम्बर 2019 ₹2662647/- रु. छब्बीस लाख बासठ हजार छः सौ सैंतालीस मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	खसरा नं.66/8, प्लॉट नं. 52, ब्लॉक-जी, फेस 5, ओम विहार, नई दिल्ली
विजय शंकर, श्रीमती दुलारी देवी, श्रीमती विमलेश, विजय शैक्षिक संस्था जरिये मैनेजर विजय शंकर, भूप सिंह (खाता सं.) L9001060713779699	23 दिसम्बर 2019 ₹2452019/- रु. चौबीस लाख बावन हजार उन्नीस मात्र दिनांक 23 दिसम्बर 2019 तक	म.नं. 1012, विजय पब्लिक स्कूल चित्रकुट कॉलोनी, अरथला गली नं. 04, मोहन नगर, जिला-गाजियाबाद 201007, उ.प्र.
सोम दत्त कौशिक, मीनाक्षी रावत (खाता सं.) LSGUR02714-50273649 (L9001060100959293) & LSRPD02715-60360026 (L9001060100992603)	23 दिसम्बर 2019 ₹556392/- रु. पांच लाख छप्पन हजार तीन सौ बानवे मात्र दिनांक 19 दिसम्बर 2019 तक व ₹182609/- रु. एक लाख बयासी हजार छः सौ नौ मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	प्लॉट नं. बी 6, ग्राम-नरीरपुर, सागरपुर, जिला-दिल्ली, दिल्ली
जुनबीर सिंह तोमर, श्रीमती रेनू तोमर (खाता सं.) LSRPD05716-70486613 (L9001060701018215)	27 दिसम्बर 2019 ₹1554406/- रु. पंद्रह लाख चौपन हजार चार सौ छः मात्र दिनांक 27 दिसम्बर 2019 तक	शॉप नं. बी-2, फ्रीट प्लॉट नं. 44-ए, पुष्पा अपार्टमेन्ट-3, सेक्टर 5, आवासीय कॉलोनी राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
पुनित वर्मा, मुकेश वर्मा, श्रीमती हेमा (खाता सं.) L9001060115092302	19 दिसम्बर 2019 ₹1033511/- रु. दस लाख तैंतीस हजार पांच सौ ग्यारह मात्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 तक	शॉप नं. 181, ग्राम-सैयदवाड़ा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा

स्थान: जयपुर दिनांक: 21-1-2020 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

POLYCAB

POLYCAB INDIA LIMITED
(formerly known as 'Polycab Wires Limited')
Registered office: E-554, Greater Kailash - II, New Delhi 110 048
Corporate office: Polycab House, 771, Mogul Lane, Mahim (West), Mumbai 400 016
CIN: L31300DL1996PLC266483; Tel: +91 22 2432 7074; Fax: +91 22 2432 7075; E-mail: shares@polycab.com

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2019

(₹ Million, except per share data)

Particulars	Quarter ended			Nine months ended	
	31 Dec 19 Unaudited	30 Sep 19 Unaudited	31 Dec 18 Unaudited	31 Dec 19 Unaudited	31 Dec 18 Audited
Total Income from Operations	25,076.53	22,543.73	20,486.62	67,469.09	55,639.94
Net profit for the period before tax	2,899.71	2,302.88	2,903.65	7,268.45	5,490.94
Net profit for the period after tax	2,214.02	1,937.95	1,936.24	5,504.70	3,601.35
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	2,318.03	1,848.18	1,921.12	5,492.54	3,592.70
Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	1,488.30	1,486.46	1,412.06	1,488.30	1,412.06
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)#					
a) Basic	14.73	12.92	13.69	36.78	25.45
b) Diluted	14.67	12.90	13.69	36.69	25.45

not annualised for quarters and nine months

Notes

1) The above consolidated financials results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on 21 January 2020.
2) The Company completed the Initial Public Offering (IPO) including fresh issue of 74,40,067 equity shares of face value ₹ 10 each of the Company for a cash at a price of ₹ 538 per equity share (₹ 485 per equity shares for employee quota) through an offer for sale, by the selling shareholders aggregating upto ₹ 4,000 million and the equity shares of the Company were listed on the BSE Ltd and the National Stock Exchange Limited on 16 April 2019. Expenses incurred by the Company in connection with the IPO have been recovered from selling shareholders.
3) Additional information of standalone financial results is as follows: (₹ Million)

Particulars	Quarter ended			Nine months ended	
	31 Dec 19 Unaudited	30 Sep 19 Unaudited	31 Dec 18 Unaudited	31 Dec 19 Unaudited	31 Dec 18 Audited
Total Income from Operations	25,040.51	22,525.98	20,150.31	67,298.98	55,322.78
Net profit for the period before tax	2,845.76	2,277.28	2,872.37	7,164.27	5,513.52
Net profit for the period after tax	2,161.61	1,921.57	1,907.57	5,418.27	3,630.60

4) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company website (www.polycab.com) or scan the QR code.

For and on behalf of the Board
Sd/-
In

कंपनियों के सुस्त तिमाही नतीजों से सूचकांक व निफ्टी फिसले

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा अनुमान में भारत की वृद्धि दर कम होने और कंपनियों के सुस्त तिमाही नतीजों से सूचकांक में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 205.10 अंक घटकर 41,323.81 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54.70 अंक गिरकर 12,169.85 अंक पर बंद हुआ। चीन में खतरनाक विषाणु का प्रकोप फैलने के बाद वैश्विक बाजारों में सुस्ती से भारतीय शेयर बाजारों पर भी दबाव रहा।

सूचकांक में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील में सबसे ज्यादा 3.01 फीसद की गिरावट रही। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एशियन पेंट्स, पावरग्रिड, आइटीसी और एक्सिस बैंक के शेयर भी नीचे रहे। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी, कोटक बैंक, भारती एअरटेल, ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक के शेयर लाभ में रहे।

कारोबारियों के मुताबिक वैश्विक बाजारों से नकरात्मक रुख और कंपनियों के तिमाही नतीजे कमजोर रहने के बीच घरेलू निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोमवार को 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम कर 4.8 फीसद कर दिया। इससे भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई।

फेयर डील सप्लायर्स की 107 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मंगलवार को बताया कि यह कुर्की मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है।

ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई कोलकाता की फेयर डील सप्लायर्स के निदेशकों के खिलाफ की गई। इसमें कंपनी की कोयंबटूर की भूमि और इमारत, अमदाबाद में एक कार्यालय इमारत, एक फार्म हाउस, बंगला और सात सावधि जमा खातों को कुर्क किया गया है। इस पूरी संपत्ति का कुल मूल्य 107.73 करोड़ रुपए है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी और उसके निदेशक राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सौरभ झुनझुनवाला और अन्य के खिलाफ सीबीआइ ने आरोपपत्र दायर किया है। सीबीआइ के आरोपपत्र का अध्ययन करने के बाद ही ईडी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी और निदेशकों पर कोलकाता में यूको बैंक की कॉरपोरेट शाखा में शेयर बाजारों के फर्जी दस्तावेजों या उन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हुए विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं लेने और विदेश में ऋण के लिए गारंटी पत्र लेकर कथित धोखाधड़ी का आरोप है।

बैंक धोखाधड़ी में फ्रॉस्ट इंटरनेशनल व उसके निदेशकों पर मामला दर्ज

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय जांच एजंसी सीबीआइ ने 14 बैंकों के समूह के साथ 3,592 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में मुंबई की कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल, उसके निदेशकों उदय देसाई और सुजय देसाई के अलावा 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर जोन कार्यालय की शिकायत पर की गई है। बैंक का आरोप है कि निदेशकों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं है फिर भी उन्होंने कर्ज लेने के लिए व्यापारिक गतिविधियों की आड़ ली। अधिकारियों ने कहा कि बैंक का आरोप है कि निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अगुआई वाले ऋणदाता बैंकों के समूह को भुगतान करने में चूक की है।

उन्होंने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों, जमानतदारों और अन्य अज्ञात लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा किए और बैंक से ली गई पूंजी की हेराफेरी कर उसे दूसरी जगह भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक के साथ 3,592.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

जोमैटो ने किया भारत में उबर ईट्स का अधिग्रहण

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

जोमैटो ने मंगलवार को कहा कि उसने उबर ईट्स के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया है। यह सौदा पूरी तरह से शेयर पर आधारित है। सौदे के तहत उबर को जोमैटो में 9.99 फीसद हिस्सेदारी मिलेगी।

जोमैटो ने बयान में कहा कि उबर ईट्स भारत में परिचालन बंद करेगी और रेस्तरां, आपूर्ति भागीदारों और उबर ईट्स के ग्राहकों को मंगलवार से जोमैटो प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इन्फो एड्ज (इंडिया) ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि लेन-देन पूरा होने पर उसकी जोमैटो में शेयर हिस्सेदारी घटकर 22.71 फीसद रह जाएगी। इन्फो एड्ज, जोमैटो में शेयरधारक है।

जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि हमें भारत के 500 से ज्यादा शहरों में ऑनलाइन खाने की डिलीवरी करने वाला व्यवसाय बनाने पर गर्व है। यह अधिग्रहण इस श्रेणी में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा। उबर ईट्स के 41 शहरों में 26,000 रेस्तरां हैं। उसने भारत में 2017 में परिचालन शुरू किया था।

उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही ने एक बयान में कहा कि उबर के लिए भारत एक महत्त्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। हम अपनी कैब सेवा कारोबार में निवेश करना जारी रखेंगे। हम जोमैटो की बेहतर पूंजी प्रबंधन के साथ

वोडाफोन एम-पैसा का कामकाज बंद

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा)।

वोडाफोन ने अपनी पेमेंट बैंक इकाई 'एम-पैसा' का कामकाज बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक ने वोडाफोन एम-पैसा को आबंटित अधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) रद्द कर दिया है। कंपनी के स्वेच्छा से प्रमाणपत्र सौंपे जाने के बाद इसे रद्द किया गया है।

आरबीआइ ने मंगलवार को कहा कि सीओए रद्द होने के बाद कंपनी प्रीपेड भुगतान से जुड़े कार्य नहीं कर सकेगी। हालांकि ग्राहकों या व्यापारियों का भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के रूप में कंपनी के ऊपर कोई वैध दावा है तो वे सीओए रद्द होने के तीन साल के भीतर यानी 30 सितंबर 2022 तक दावा कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वोडाफोन एम-पैसा ने स्वेच्छा से अधिकार पत्र लौटा दिया है।

तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता से काफी प्रभावित हैं और आशा करते हैं कि वह सफलता हासिल करती रहे।

सरकार ने भारती एअरटेल में सौ फीसद एफडीआइ की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

दूरसंचार विभाग ने भारती एअरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) 49 फीसद से बढ़ाकर 100 फीसद करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने मंगलवार को इस संबंध में शेयर बाजार को सूचित किया। भारती एअरटेल को रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशकों को 74 फीसद तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है।

शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार, ''भारती एअरटेल लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से 20 जनवरी 2020 को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कंपनी की चुकता पूंजी के 100 फीसद तक करने की मंजूरी मिल गई है।''

सार्वजनिक सूचना

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमें, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमें, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
और
एनकिन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका CIN. U74999DL2015PLC278584 और जिसका पंजीकृत कार्यालय सी 39/96 ए, जनक पुरी नई दिल्ली पश्चिमी दिल्ली-110058 के विषय में
याचिकाकर्ता
साधारण जनता को एतद्द्वारा सूचित दी जाती है कि कंपनी द्वारा "केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली" से "केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" में अपना पंजीकृत कार्यालय हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु 31 दिसंबर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली) को आवेदन करना प्रस्तावित है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी शिकायत इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या जमा कराए जाने का कारण या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।
हिते एवं कृते आवेदक,
कृते एनकिन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
ह./- (अमरजीत सिंह)
स्थान: दिल्ली DIN: 03194932
दिनांक: 18.01.2020 निदेशक

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. एसरी इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-2ए, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016 में है, के मामले में - आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 21.01.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।
कंपनी की स्थिति में इस प्रास्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), बी-2, विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
एसरी इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-2ए, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016
बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
एसरी इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
तिथि: 21.1.2020 अजेन्द्र कुमार
स्थान: नई दिल्ली पूर्ण कालिक निदेशक
DIN: 05117478

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. सं. 225/2019 के मामले में
पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स जगदम्बा इंजी. वर्क्स एण्ड एएनआर.
आवेदक प्रतिवादी
सेवा में,

डी-1	मैसर्स जगदम्बा इंजीनियरिंग वर्क्स एकमात्र प्रोपराइटरशिप फर्म इसके एकमात्र प्रोपराइटर निवासी प्लॉट सं. 39, खसरा नं. 30/7, ब्लॉक सं. ए, निकट 66 फुट रोड, गली नं. 4, इण्डस्ट्रियल एरिया, लिबासपुर, दिल्ली-110042 के माध्यम से
डी-2	श्री सनी चौहान पुत्र श्री रिछपाल सिंह एकमात्र प्रोपराइटर, मैसर्स जगदम्बा इंजीनियरिंग वर्क्स, निवासी 31, लुहार मोहल्ला, निकट पॉवर हाउस, ग्राम खेड़ा कलाँ, दिल्ली-110093

जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि अपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 09.03.2020 को 10.30 बजे प्रातः उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।
11 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।
अधिकरण, रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली के आदेशानुसार

सार्वजनिक सूचना
प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के विषय में तथा न्यूलैण्ड वेज प्राईवेट लिमिटेड (सिन: U74999DL2016PTC302345), जिसका पंजीकृत कार्यालय: एस-13, स्ट्रीट सोल्जर टावर पी.वी.आर सिनेमा कॉम्पलेक्स, विकासपुरी नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली-110018
भारत में स्थित है, के विषय में - आवेदक
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 8 जनवरी, 2020 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निदेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी-2, विंग द्वितीय तल पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के 14 दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक को भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को ऊपर लिखे गये पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।
कृते एवं हैले वर्ल्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
वैभव गुप्ता, निदेशक
तिथि : 22.01.2020 डीआईएन - 07560542
स्थान : दिल्ली 33, जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमें, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
और
ईओन एक्ससेंस प्राईवेट लिमिटेड, (CIN: U51909DL2012PTC233312) और जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-115, गणेश नगर, पांडव नगर काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110092 के विषय में
.....याचिकाकर्ता
सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित दी जाती है कि कंपनी द्वारा "दिल्ली राज्य" से "कर्नाटक राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु 20 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी शिकायत इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली स्थित बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या भेजे जाने का कारण या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:
पंजीकृत कार्यालय: डी-115, गणेश नगर, पांडव नगर काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110092
हिते एवं कृते आवेदक,
ईओन एक्ससेंस प्राईवेट लिमिटेड,
ह./- आनंद नायक
दिनांक: 21.01.2020 निदेशक,
स्थान: नई दिल्ली DIN: 05118769

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में
तथा
गैसर्स ग्लोबल लॉजिक इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 207, गुप्ता आर्केड, प्लॉट नंबर 5, एल.एस.सी. मयूर विहार फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 में स्थित है, के विषय में, आवेदक
एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के लिए 17 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उक्त नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए
207, गुप्ता आर्केड, प्लॉट नंबर 5, एल.एस.सी. मयूर विहार फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली- 110091
कृते एवं हिते आवेदक
ग्लोबल लॉजिक इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 21.01.2020 रजत कुमार मेहता
स्थान : नई दिल्ली पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00357228
पंजीकृत कार्यालय का पता : 207 गुप्ता आर्केड, प्लॉट नंबर 5, एल.एस.सी. मयूर विहार फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

PREMIER POLYFILM LTD.
Regd.Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi, 110048
CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone : 011-29246481
Email: compliance.officer@premierpoly.com, Website: www.premierpoly.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Friday,07th February,2020 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve standalone Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended 31st December,2019.
Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015 is closed from Wednesday, 01st January, 2020 to Sunday ,09th February,2020 (both days inclusive).
The notice is available on the Company's website www. premierpoly.com and also on www.bseindia.com and www.nseindia.com
Date : 16/01/2020 For PREMIER POLYFILM LTD.
Place : New Delhi Sd/-
COMPANY SECRETARY

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : 13-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दरियागंज, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 6.11.2019 जारी कर ऋणधारकों: मै. ऐश्वर्य फैशन्स (प्रॉप. श्रीमती सूजा किनट्टूकरायिल राजप्पन) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,53,60,765/- (रुपये एक करोड़ तिड़ेपन लाख साठ हजार सात सौ पैंसठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,53,60,765/- (रुपये एक करोड़ तिड़ेपन लाख साठ हजार सात सौ पैंसठ मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दरियागंज, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
सम्पत्ति का विवरण: श्रीमती सूजा किनट्टूकरायिल राजप्पन, पुत्री श्री वी.के. राजप्पन के नाम में चार मंजिल के भवन जिसके प्लिन्थ एरिया की माप 968.40 वर्ग फीट (लगभग) है, पॉकेट जे एवं के, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 में भूतल में शामिल एमआईजी फ्लैट नं. 374ए का इक्विटैबल मार्टगैज जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है:
उत्तर: कॉमन पैसेज/रोड
दक्षिण: अन्य फ्लैट पूर्व: सीढ़ी
पश्चिम: खुला स्थान
स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 16.01.2020 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
तथा
जॉर्नो मीडिया वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: भूतल, डी-390, सेक्टर-10, गौतम बुध नगर (उ.प्र.)-201301 में है, के मामले में
..... आवेदक
सूचना
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य" से "मध्य प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 20 जनवरी 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-ब्लॉक, 3रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय: भूतल, डी-390, सेक्टर-10, गौतम बुध नगर (उ.प्र.)-201301
कृते एवं के लिये
जॉर्नो मीडिया वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
विनोद शर्मा
(DIN: 06408422 के धारक)
तिथि: 21.01.2020 (निदेशक)
स्थान: नोएडा

एम एस टी सी लिमिटेड MSTC LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
जीवन विकास बिल्डिंग, 30/31ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन नं. : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713
कंडेन्स्ड प्रोड्यूसर गैस प्लांट की ई-नीलामी
बी.एच.ई.एल. हरिद्वार के कंडेन्स्ड प्रोड्यूसर गैस प्लांट तथा मशीनरी की बिक्री हेतु एमएसटीसी 31.01.2020 को ई-नीलामी संख्या-33691 आयोजित करेगा। निरीक्षण हेतु 01334-285857, 284176, 281847 पर संपर्क करें।
विस्तृत जानकारी
www.mstcecommerce.com एवं www.mstcindia.com.in देखें।

Paramount Communications Ltd. PARAMOUNT CABLES
CIN: L74899DL1994PLC061295
Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028
Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20
E-mail: pcl@paramountcables.com Website: www.paramountcables.com
NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on Wednesday, 29th January, 2020 at 02:30 P.M., to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2019.
The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)
For Paramount Communications Ltd.
Sd/-
Place : New Delhi (Rashi Goel)
Date : 21.01.2020 Compliance Officer & Company Secretary

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
CIN: L74899DL1987PLC030092
पंजी. कार्यालय: 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली.: (91-11) 25747696, 2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38
ईमेल: narendermakkar@yahoo.com
सूचना
स्टॉक एक्सचैंज के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 12.2.2020 को 5.00 बजे अप. में 3 रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, दिल्ली-110008 में पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के स्टैंडएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
पुनः कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये संहिता के अनुसार कम्पनी की शेयरों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक करने के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट http://www.phoenixindia.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।
फीनि

गोवा विश्वविद्यालय के पास अफगानी छात्र पर हमला

घायल छात्र मतिहुल्ला निजी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती

पणजी, 21 जनवरी (भाषा)।

गोवा विश्वविद्यालय में अफगानिस्तान के एक छात्र पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना विश्वविद्यालय परिसर के पास डोना पॉला इलाके में सोमवार दोपहर हुई और इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के 'गोवा बिजनेस स्कूल' में एम कॉम के छात्र मतिहुल्ला आरिया (24) हमले में घायल हो गए और वह डोना पॉला के एक निजी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती हैं।

पणजी पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र निवासी सतीश नीलकंठे को कथित तौर पर छात्र पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया है। गोवा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के निदेशक राहुल त्रिपाठी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी ने कहा, 'हमले का कारण पता नहीं चल पाया है। हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं।'

उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी अन्य तीन छात्रों की तलाश जारी है। इस बीच, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) के गोवा प्रमुख अहराज मुल्ला ने राज्यपाल सत्य पाल मलिक को पत्र लिख कर गोवा विश्वविद्यालय में 'जेएनयू जैसी स्थिति' उत्पन्न होने का डर जाहिर किया है।

मुल्ला ने कहा, 'यह (पत्र) गोवा में हाल ही में अफगानिस्तान के छात्र पर हुए हमले की जानकारी आपको देने के लिए है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था बिगड़ गई है और छात्रों को गोवा में जेएनयू जैसी स्थिति बन जाने का भय है।' कांग्रेस की छात्र शाखा ने कहा कि गोवा में अफगानी छात्र पर हमला दूसरे देशों से यहां पढ़ाई करने के लिए आने वाले छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है।

मुल्ला ने कहा कि इस घटना से पूरी दुनिया में देश के कानून एवं व्यवस्था को लेकर गलत संदेश जाएगा। उन्होंने गोवा विश्वविद्यालय में एकता भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और 'जेएनयू या जामिया' जैसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए राज्य के सभी कॉलेजों में पुलिस सुरक्षा की मांग की।

दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में कुछ दिन पहले कुछ नकाबपोशों ने परिसर में घुस कर छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला कर दिया था। बाद में प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा था। इसमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष सहित कई 35 लोग घायल हो गए थे और परिसर में संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर काफी हिंसा हुई थी।

नीरव मोदी के सामान की नीलामी अगले महीने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जब्त की गई महंगी घड़ियों, हैंडबैग, कारों और कलाकृतियों की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी का आयोजन सैफरनआर्ट करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने नीलामी की जिम्मेदारी सैफरनआर्ट नीलामी घर को दी है। पहली नीलामी मुंबई में 27 फरवरी को होगी। जबकि दूसरी नीलामी 3-4 मार्च को आनलाइन की जाएगी।

नीलामी के लिए रखे जाने वाले सामान में अमृता शेरगिल की 1935 की एक पेंटिंग, एमएफ हुसैन की 'महाभारत'शृंखला में से एक ऑयल पेंटिंग, वीएस गायतोंडे की 1972 की एक पेंटिंग और मनजीत बावा की 'कृष्ण' पेंटिंग शामिल है। इसमें शेरगिल और हुसैन की पेंटिंग की अनुमानित कीमत 12 से 18 करोड़ रुपए, गायतोंडे की पेंटिंग की कीमत सात से नौ करोड़ रुपए और बावा की पेंटिंग की कीमत तीन से पांच करोड़ रुपए है।

इसके अलावा नीलामी में रखी जाने वाली घड़ियों में एयगर-ला-कोट् मेन्स की 'रिवर्सो गिरोटोर्बिलन2' सीमित संस्करण, गेर्राड पेरेगॉक्स मेन्स की 'ओपेरा वन' शामिल है। साथ ही 80 से ज्यादा ब्रांडेड हैंडबैग को भी नीलामी में रखा जाएगा। इसमें अधिकतर हैंडबैग लक्जरी खुदरा ब्रांड 'हरम' के 'बिरकिन' और 'केली' संग्रह के हैं। इस बारे में सैफरनआर्ट के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश वजीरानी ने कहा कि नीलामी में एयगर-ला-कोट् की घड़ियां शामिल हैं। जो दुनिया की सबसे ज्यादा लक्जरी घड़ियों में से एक हैं। वहीं 'हरम' के 'बिरकिन' और 'केली' संग्रह के हैंडबैंग भी अंतरराष्ट्रीय लक्जरी सामान हैं।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: शिपिंग हाउस, 245 मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 वेबसाइट: www.shipindia.com
Twitter: @shippingcorp • सीआईएन: L63030MH1950GOI008033

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 और 47 के संदर्भ में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक **04.02.2020** को कंपनी के मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत कंपनी के दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय नतीजे अनुमोदित किये जाएंगे.

कम्पनी की वेबसाइट **www.shipindia.com** पर उक्त सूचना एक्सेस की जा सकती है तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उक्त सूचना एक्सेस की जा सकती है

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
दिपंकर हालदार
कार्यकारी निदेशक (विधिक कार्य) एवं कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22/01/2020

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए, जीवन को राह दिखाए.

रिश्वत न दी तो चार साल के बच्चे की उम्र 104 साल कर दी

बरेली (उप्र), 21 जनवरी (भाषा)।

बरेली की एक अदालत ने कथित रूप से रिश्वत नहीं देने पर चार साल के बच्चे और उसके छोटे भाई के जन्म प्रमाणपत्रों में उनकी उम्र 100 साल बढ़ाकर लिखने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

वादी पक्ष के अधिवक्ता राजीव सक्सेना ने मंगलवार बताया कि बेला गांव के पवन कुमार ने करीब दो माह पहले अपने भतीजे शुभ (चार वर्ष) और संकेत (दो वर्ष) का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) सुशील चंद्र अग्निहोत्री और ग्राम प्रधान प्रवीण मिश्र ने आवेदक से प्रति जन्म प्रमाण पत्र 500 रुपए रिश्वत मांगी। पवन ने इनकार किया तो दोनों ने मिलकर गड़बड़ी की।

सक्सेना ने बताया कि दोनों बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र तो बना लेकिन शुभ की जन्मतिथि 13 जून 2016 के स्थान पर 13 जून 1916 लिख दी गई। वहीं, संकेत की जन्म तिथि 6 जनवरी 2018 की जगह 6 जनवरी 1918 दर्ज करके प्रमाण-पत्र जारी कर दिए। अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रशासन से कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने उनके माध्यम से बरेली की विशेष अदालत में अर्जी दी थी।

कड़कनाथ घोटाले में पैसा गंवाने के बाद किसान ने की आत्महत्या

कोल्हापुर, 21 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करोड़ों रुपए के कड़कनाथ मुर्गीपालन घोटाले में पैसा गंवाने के बाद 29 वर्षीय किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कई किसानों ने पश्चिमी महाराष्ट्र में अधिक लाभ देने का वादा करने वाली कंपनियों में निवेश किया था। कंपनियों ने किसानों को कड़कनाथ चूजों के पालन में महारत दिलाने का भी वादा किया था, लेकिन योजना पिछले साल बंद हो गई। चिकन की यह प्रजाति अपने पोषक तत्त्वों और चिकित्सीय गुणों के कारण मध्य भारत के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। कड़कनाथ चिकन नौ सौ रुपए प्रति किलोग्राम तक मिलता है।

एक अधिकारी ने बताया कि जिले के पन्हाला तालुका के मसूद माले गांव के निवासी किसान प्रमोद सरजेराव जमदाड़े ने 18 जनवरी को कीटनाशक दवाई खा ली, जिसके कारण मंगलवार सुबह अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शाहूपुरी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि उसने कड़कनाथ चिकन के पालन के लिए एक महाजन से दो लाख रुपए का कर्ज लिया था।

जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला

ब्रह्मपुर, 21 जनवरी (भाषा)

ओडिशा के गंजाम जिले में एक जंगल के पास एक जंगली हाथी ने मंगलवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला।मंडल वन अधिकारी (डीएफओ), ब्रह्मपुर, अमलान नायक नेयह जानकारी दी।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. सं. 935/2017 के मामले में
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मोहम्मद तहसीन जमाल एवं एएनआर
आवेदक प्रतिवादी
सेवा में,
डी-2 मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्रा.लि. प्लॉट सं. जीएच-05/बी, सेक्टर-137, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश साथ ही : ए-80, सेक्टर-2, नोएडा-201301
जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि अपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है। अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 27.02.2020 को 10.30 बजे प्रातः उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।
03 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।
अधिकरण सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली के आदेशानुसार

अनुसूची II- प्रपत्र बी
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]
अर्थ आइकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अर्थ आइकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	13.09.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2011PTC225002
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	बी-100, दूसरी मंजिल नारायणा फेस-1, नई दिल्ली-110028
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	10.01.2020
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	11.01.2020 (माननीय एनसीएलटी, आदेश दिनांक 10.01.2020 के 21.01.2020 को प्राप्त हुए)
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण नंबर	हरीश चंद्र मनचंदा पता: का पंजीकृत नंबर 3, एसओआई एनक्लेव, एच-3 कॉलोनी, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 मोबाईल: 9891918955 ईमेल: ramhanshmanchanda@gmail.com आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/IPA/002/IP/N00659/2018-19/12109
9.	पत्राचार के लिए ई-मेल	earthiconicliquidation@gmail.com
10.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	10.02.2020

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी लॉ अधिकरण (प्रधान पीठ, नई दिल्ली) ने इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोड, 2016 की धारा 33 के अन्तर्गत 11 जनवरी, 2020 को अर्थ आइकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन का आदेश दिया है।
अर्थ आइकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा 10 फरवरी 2020 को या उससे पहले साक्ष्य के साथ अपने दावे परिसमापक के पता पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे की मद संख्या 9 के समक्ष उल्लेख किया गया है।
वित्तीय लेनदार अपने दावे के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही पेश करेंगे। अन्य सभी लेनदारों अपने दावे के प्रमाण व्यक्तिगत या द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा पेश कर सकते हैं।
असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।
हस्ता/-
दिनांक : 21.01.2020 परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर – हरीश चंद्र मनचंदा
स्थान : नई दिल्ली आईबीबीआई पंजी. सं. : IBBI/IPA/002/IP/N00659/2018-19/12109

MEGA CORPORATION LTD.
CIN L65100DL1985PLC092375
Regd. Office: G-155 (Basement), Kalkaji, New Delhi-110019
Ph: +91 11 40531616
email: info@megacorp.ltd,
Website: www.megacorpltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 13.02.2020 at 4:00 PM at the registered office of the company inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter and nine months ending 31.12.2019.

By order of the Board
For Mega Corporation Limited
Sd/-
(SURENDRA CHHALANI)
Director and CFO
Din: 00002747
Place: New Delhi
Date: 21/01/2020

ORIENT BELL LIMITED
Regd. Off.: 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203 205 (U.P.)
Corp. Off.: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi - 110 046
CIN : L14101UP1977PLC021546, Tel.: +91-11-47119100
Email: customercare@orientbell.com, Website: www.orientbell.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 30th day of January, 2020 at New Delhi, Io Interalia, consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter & nine months ended 31.12.2019.

Further, details of this notice are available on Website of the Company at www.orientbell.com and also on the Websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Orient Bell Limited
Sd/-
Yogesh Mendiratta
Company Secretary
Place : New Delhi
Date : 21.01.2020
orientbell tiles

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
(One Family One Bank)
दिल्ली अंचल कार्यालय: 15, एन बी सी सी टॉवर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
फोन: 011-26164817/26197769, फैक्स: 011-26171554
ई-मेल: legal_del@mahabank.co.in

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

यतः (Whereas) अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (12) के सपठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए एक मांग सूचना पत्र दिनांक 26.06.2019 को जारी किया एवं अखबार फाईनेंशियल एक्सप्रेस/जनसत्ता में दिनांक 27.06.2019 को प्रकाशित किया गया, जिसमें 1. मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडर्स प्रोप:- श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (ऋणी) को रुपये 20,22,394/- (रुपये बीस लाख बाईस हजार तीन सौ चौरानवे मात्र) + दिनांक 26.06.2019 से दण्डात्मक ब्याज शामिल करते हुए मासिक अंतरण के साथ ब्याज इस नोटिस की पावती से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु कहा गया। (यह सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई एवं अखबार फाईनेंशियल एक्सप्रेस/जनसत्ता में दिनांक 27.06.2019 को प्रकाशित की गई थी।)
ऋणी एवं जमानतदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणी एवं जमानतदारों और आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति को दिनांक 16 जनवरी 2020 को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है।
ऋणी एवं जमानतदारों को विशेषतया तथा जनसाधारण को सामान्यतया सम्पत्ति में व्यवहार ना करने हेतु सावधान किया जाता है एवं सम्पत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उपरोक्त वर्णित राशि के साथ अध्यधीन होगा।
ऋणियों एवं जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री जय चंद शर्मा के नाम से मकान/खेत नं. 765, गांव बिसरख जलालपुर, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश में स्थित जिसका क्षेत्रफल 315.27 वर्गगज अथवा 263.70 वर्गमीटर।
दिनांक: 16.01.2020, कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
स्थान: गौतमबुद्ध नगर सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

जवान पर महिला आइपीएस से हाथापाई और छेड़छाड़ का आरोप

इम्फल, 21 जनवरी (भाषा)।

एक महिला आइपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि असम राइफल्स के एक राइफलमैन ने मणिपुर के तेंगनुपाल जिले के मोरेह कस्बे के निकट एक जांच चौकी में उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की।

पुलिस ने बताया कि आइपीएस अधिकारी की लिखित शिकायत पर राइफलमैन पीके पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और संबद्ध पुलिस थाने में पेशी के लिए समन जारी किया गया है। मणिपुर के डीजीपी एलएम खोटे ने संवाददाताओं को सोमवार को बताया, 'हमने असम राइफल्स के प्राधिकारियों से संपर्क किया है। अधिकारी ने शिकायत दर्ज करवाई है।' आइपीएस अधिकारी ने शिकायत में कहा कि रविवार दोपहर खुदेंगताबी जांच चौकी पर पहुंचने पर उनके साथ सामान्य कपड़ों में आए सुरक्षाकर्मी ने असम राइफल्स के दल से उनके प्रवेश की सूचना दर्ज करने को कहा।उन्होंने कहा कि पहचान पत्र दिखाने के बावजूद राइफलमैन ने कथित तौर पर उन्हें हिरासत में ले लिया। आइपीएस अधिकारी ने कहा, 'हमने कहा कि वह हमारी और वाहन की तलाशी ले सकते हैं लेकिन इसमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी।' उन्होंने आगे बताया, 'राइफलमैन आधिकारिक वाहन पर मारने लगा और उसने 'मुझसे और मेरे साथ आए सुरक्षाकर्मियों के साथ दुव्यर्वहार किया, अपमानित, प्रताड़ित किया और मारपीट की।'

आइपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि राइफलमैन ने उनके साथ छेड़छाड़ की और जब उनके सुरक्षाकर्मियों ने दखल देने की कोशिश की तो उसने उन्हें भी खदेड़ा। महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि राइफलमैन ने उनके खिलाफ अश्लील टिप्पणी की, गालीगलौज की और जब उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन छीनने का प्रयास भी किया। पुलिस ने बताया कि 26वीं असम राइफल्स के ब्रिगेडियर और 12वीं एआर की डी-कंपनी के मेजर को मामले की सूचना दी गई है।

पांच हजार करोड़ के सैन्य साजो-सामान खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्रोतों से 5,100 करोड़ रुपए के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही महत्वाकांक्षी रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत नौसेना के लिए भारत में छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को भी हरी झंडी प्रदान कर दी गई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में ये निर्णय किए गए जिसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'डीएएसी ने स्वदेशी स्रोतों से 5,100 करोड़ रुपए के सैन्य साजो-सामान की खरीद को स्वीकृति प्रदान कर दी।'

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO COMPULSORY DELISTING ORDER PASSED BY BSE LIMITED ("BSE") VIDE NOTICE NO. 20180820-6 DATED AUGUST 20, 2018 UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS 2009,
FROM MR. NISHANT BAGLA ("OFFEROR")
TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF
M/S. ASSOCIATED MARMO AND GRANITES LIMITED
CIN: U14101RJ1980PLC001989 | Email: nbagla1@hotmail.com
Registered Office: National Highway No. 8, Pasoond Rajsamand - 313326, Rajasthan, India.

This public announcement is being issued pursuant to the Compulsory Delisting Order passed by the BSE Ltd ("BSE") vide Notice No. 20180820-6 dated August 20, 2018 under the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 to the Public Equity Shareholders of M/s. Associated Marmo and Granites Limited ("Company") requesting the Public Equity Shareholders of the Company to tender the Equity Shares held by them to the Offeror pursuant to Delisting of Equity Shares of the Company at a price of ₹ 5.06 ("Exit Price"), in terms of the Exit Offer Letter dated January 21, 2020 and hereby informing the dispatch of Exit Offer Letter to all Public Equity Shareholders of the Company. The offer shall remain open from January 24, 2020 to February 24, 2020.

Sd/-
Place: Rajsamand NISHANT BAGLA
Date: January 21, 2020 OFFEROR

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,
1. बाबू लाल गुप्ता, एल-61बी, तीसरी मंजिल, कालका जी, दिल्ली-110019, साथ ही : दुकान नं. 23, भूतल, सीएससी मार्केट नं. 2, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019
2. बबीता गुप्ता पत्नी बाबू लाल गुप्ता, एल-61बी, तीसरी मंजिल, कालका जी, दिल्ली-110019, साथ ही : दुकान नं. 23, भूतल, सीएससी मार्केट नं. 2, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019
3. मैसर्स एन.के. बिल्डर्स इसके पार्टनर के माध्यम से, दुकान नं. 6/121, भूतल, तिलक खण्ड गिरि नगर बालाजी, दिल्ली-110019. साथ ही : दुकान नं. 23, भूतल, सीएससी मार्केट नं. 2, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019

प्रिय श्रीमान/मैडम,
ऋण खाता सं. 7890915 में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (इसके पश्चात टीसीएफएसएल कहा जायेगा) द्वारा आपको स्वीकृत 28.09.2017 को लैन 7890915 में होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत 13 जनवरी, 2020 तक भावी ब्याज सहित रु. 1,50,28,046/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख अट्ठाईस हजार छियालीस मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपकी चूक के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 9 जनवरी, 2020 को एनपीए खाता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं प्रतिभूति हित अधिनियम की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के शक्तियों के उपभोग में 13 जनवरी, 2020 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत ऋण खाता सं. 7890915 में कथित ऋण राशि रु. 1,50,28,046/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख अट्ठाईस हजार छियालीस मात्र) का भावी ब्याज एवं लागतों सहित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी जिसमें असफल होने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

सम्पत्तियों का विवरण
सम्पत्ति :
सम्पत्ति सं. 1 : सीएससी चितरंजन पार्क, मार्केट सं. 2, नई दिल्ली-110019 पर भूतल पर फ्रीहोल्ड डीडीए दुकान नं. 23 (माप क्षेत्रफल 9.35 वर्ग मीटर) जो कि विक्रय विलेख दिनांक 22.06.2009 में अधिक वर्णित है।
सम्पत्ति सं. 2 : कालकाजी, दिल्ली-110019 पर स्थित भूमि माप 248.29 वर्ग मीटर के प्लॉट पर निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. I-61 का तृतीय तल (सम्पत्ति सं. I-62, कालकाजी से संलग्न एक्सक्लूसिव टेरेस अधिकारों सहित बायें ओर का भाग) जो विक्रयविलेख दिनांक 04.12.2008 में अधिक वर्णित है। इस 04.12.2008 को अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 वॉल्यूम सं. 89, पृष्ठ सं. 1 से 9 में पंजीकरण सं. 162के माध्यम से बबीता गुप्ता के पक्ष में। चूंकि 13 जनवरी, 2020 को सूचना आपके उस पते पर भेजी गयी जिसमें आप लाभ के लिए मूल रूप से निवास करते हैं/व्यापार/व्यक्तिगत कार्य संचालित करते हैं, किन्तु इसे ग्रहण नहीं किया गया अतः इस कारण हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अन्तरण विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।
स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : जनवरी, 2020 टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

उ.प्र. पावर ट्रॉसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अल्प कालीन ई-निविदा सूचना

इलेक्ट्रानिक निविदा निम्नलिखित कार्यों हेतु दो भागों में अलग-अलग ई-टेण्डर इच्छुक, ख्याति प्राप्त, जी.एस.टी. रजिस्टर्ड, अनुभव युक्त एवम् पैनकार्ड धारक जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो तथा आयकर अदेय प्रमाण पत्र रखते हों, फर्मो से निम्नांकित विवरणानुसार धरोहर राशि व निविदा लागत सहित आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से संबंधित समस्त अभिलेख एवम् शर्तें ई-टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दिनांक 30.01.2020 से 06.02.2020 को 17.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकेंगे। बिड दिनांक 06.02.2020 के 17.00 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा कर दी जानी चाहिए एवम् ऑनलाइन समस्त ई-टेण्डर दिनांक 07.02.2020 को 13.00 बजे कार्यालय की सक्षम ई-टेण्डर कमेटी विद्युत प्रेषण खण्ड फतेहपुर द्वारा खोली जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में अनुभव प्रमाण पत्र एवं शर्तें संलग्न, धरोहर राशि निविदा के समक्ष अंकित धनराशि जो कि इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी.) के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, 220 के.वी. विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपुर के चालू खाते में देय तथा द्वितीय भाग में कार्य/आपूर्ति विवरण एवम् दरें होनी चाहिए। यदि निविदा खुलने का दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। क्र.सं. 1. निविदा संख्या E-T-17/19-20 132 के.वी./उपकेन्द्र बिन्दकी में आग बुझाने वाले सिलेण्डर की रिफिलिंग, पेंटिंग एवं होस पाइप की प्रतिस्थापना का कार्य। धरोहर राशि 1000/- निविदा अपलोड करने का दिनांक कब से 30.01.2020 कब तक 06.02.2020 निविदा खुलने का दिनांक 07.02.2020 "राष्ट्र हित में बिजली बचायें।" हस्ता/- अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपुर
पत्रांक: 157/वि.प.ख.(फ.)/टेन्डर नोटिस दिनांक 21.01.2020

खबर कोना

आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मंगलवार को आस्ट्रेलिया ओपन के पहले राउंड के दौरान नार्वे के कैस्पर रुड।

भारत ने अंडर-19 विश्व कप में जापान को दस विकेट से हराया

ब्लोमफोंटेन, 21 जनवरी (भाषा)।

मौजूदा चैंपियन भारत ने आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के अपने दूसरे मैच में मंगलवार को यहां पहली बार प्रतियोगिता में भाग ले रहे जापान को दस विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और जापान को 22.5 ओवर में 41 रन पर आउट कर दिया। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने चार विकेट लिए। भारत ने केवल 4.5 ओवर में जीत की औपचारिकता पूरी की। यशस्वी जायसवाल 29 और कुमार कुशाग्र 13 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के पहले मैच में रविवार को श्रीलंका को 90 रन से हराया था।

भारतीय मुक्केबाजों ने नेशंस कप में चार रजत पदक जीते

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

अनुभवी एम मीना कुमारी (54 किलो)समेत चार भारतीय मुक्केबाजों ने सर्बिया में चल रहे नौवें नेशंस कप महिला मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। चारों भारतीयों में से कोई भी फाइनल में जीत दर्ज नहीं कर सका। मोनिका (48 किलो), रितु ग्रेवाल (51 किलो) और भाग्यवती कचारी (75 किलो) को भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पवित्रा (60 किलो) और प्विलाओ बासुमतारी (64 किलो) को कांस्य पदक मिले। पिछले साल कोलोन में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली मीना को इटली की जियोरदाना सोरेंतिनो ने 4-1 से हराया। मोनिका को रूस की लूलिया सी ने बंटे हुए फैसले पर मात दी जबकि रितु को चीन की केइ यान ने 4-0 से हराया। राष्ट्रीय चैंपियन कचारी को मोरक्को की खदीजा मार्डी ने 4-1 से हराया।

दिव्यांश, अपूर्वी ने मेयटन कप में स्वर्ण जीता

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार और अपूर्वी चंदेला ने आस्ट्रिया में आयोजित निजी टूर्नामेंट मेयटन कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। दिव्यांश ने पुरूषों के 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में 249.7 अंक के साथ स्वर्ण हासिल किया जबकि अपूर्वी ने इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में 251.4 अंक के साथ पीला तमगा अपने नाम किया। मेयटन कप निजी टूर्नामेंट है जहां निशानेबाज अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने के लिए अपने खर्चे पर जाते है।

धवन न्यूजीलैंड दौरे से बाहर, सैमसन और साव टीम में

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान कंधे में लगी चोट के कारण न्यूजीलैंड में होने वाली टी20 और एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए। धवन के स्थान पर पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए संजू सैमसन को जबकि उसके बाद होने वाली तीन वनडे मैचों के लिए पृथ्वी साव को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज आस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को बंगलुरु में तीसरे वनडे मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय चोटिल हो गया था। उनके बाएं कंधे में चोट लगी है।

टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), संजू सैमसन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर

भारत की वनडे टीम

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, केदार जाधव।

टखने में चोट के कारण इशांत टेस्ट श्रृंखला से बाहर

ईशांत शर्मा के टखने में चोट के कारण न्यूजीलैंड के आगामी दौरे से टीम से बाहर हो गए हैं। ईशांत को यह चोट सोमवार को रणजी ट्राफी मैच में दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते हुए लगी। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के महासचिव विनोद तिहाड़ा ने बताया, 'इशांत के टखने में तीसरे ग्रेड की चोट है जो गंभीर है। उन्हें छह सप्ताह के लिए आराम और रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है। यह बड़ा झटका है।' बीसीसीआइ ने इस मामले में अभी कोई बयान जारी नहीं किया है।

बीसीसीआइ ने बयान में कहा, 'उनके कंधे का एमआरआइ किया गया जिससे उनके कंधे में ग्रेड दो की चोट की पुष्टि हुई। उनके हाथ पर पट्टी लगी होगी ओर उन्हें कुछ समय विश्राम करने की सलाह दी गई है। वे फरवरी के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे।'

इसमें कहा गया है, 'अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने धवन की जगह टी20 श्रृंखला के लिए संजू सैमसन और वनडे श्रृंखला के लिए पृथ्वी साव को टीम में शामिल किया है।'

आस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस

नडाल दूसरे दौर में, शारापोवा बाहर

मेलबर्न, 21 जनवरी (एएफपी)।

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रफेल नडाल ने एकतरफा मुकाबले में बोलिविया के हुजो डेलियेन को हराकर आस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया हालांकि पांच बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन मारिया शारापोवा हारकर बाहर हो गईं।

नडाल ने दो घंटे के भीतर यह मुकाबला 6-2, 6-3, 6-0 से जीता। तीन अलग अलग दशकों में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रह चुके नडाल की नजरें 20वें ग्रैंडस्लैम खिताब पर हैं। इसके साथ ही वह ओपन युग में कम से कम दो बार सभी चारों ग्रैंडस्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनना भी चाहते हैं ।उन्होंने कहा, 'यह सकारात्मक शुरुआत है। पहले दौर में सीधे सेटों में जीत दर्ज करना अच्छा है।'

अब नडाल का सामना अर्जेंटीना के फेडरिको डेलबोनिस या पुर्तगाल के जोओ साउसा से होगा। फेडरर और गत चैंपियन नोवाक जोकोविच भी दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर शारापोवा पहले दौर में सीधे सेटों में हारकर बाहर हो गईं। दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी शारापोवा को क्रोएशिया की 19वीं वरीयता प्राप्त डोन्ना वेकिच ने 6-3, 6-4 से हराया। यहां 2008 की चैंपियन रहीं शारापोवा को वाइल्डकार्ड मिला था। वह प्रतिबंधित दवा के सेवन के आरोप में लगे प्रतिबंध से लौटने के बाद लगातार फार्म और फिटनेस के लिए जूझ रही हैं। पिछले साल कंधे की चोट के कारण वह अधिकांश टूर्नामेंट नहीं खेल सकी थीं। वह लगातार तीन ग्रैंडस्लैम में पहले दौर से बाहर हो चुकी हैं।

ब्रिटेन की जोहाना कोंटा को भी पहले दौर में ट्यूनीशिया की गैर वरीय ओंस जाबेउर ने 6-4, 6-2 से हराया। इटली के 18 वर्षीय जानिक सिनेर ने आस्ट्रेलिया के मैक्स परसेल को 7-6, 6-2, 6-4 से मात दी।

प्रजनेश लगातार पांचवीं बार किसी ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रा में पहुंचे थे। वह बेहतर रैंकिग के कारण विम्बलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन खेल चुके हैं।

उनके हारने के साथ ही एकल वर्ग में भारत की चुनौती खत्म हो गई।

पुरुष युगल में भारत के दिविज शरण और न्यूजीलैंड के अर्टेम सिटाक का सामना स्पेन के पाब्लो कारेनो बस्टा और पुर्तगाल के जोओ सोउसा से होगा।

रोहन बोपन्ना और जापान के यासुकाता उचियामा की टक्कर अमेरिका के 13वीं वरीयता प्राप्त बाब और माइक ब्रायन से होगी ।

महिला युगल में सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नादिया किचेनोक का सामना चीन की शियुन हान और लिन झू से होगा ।

दो साल बाद कोर्ट लौटीं सानिया ने हाल ही में किचेनोक के साथ होबार्ट इंटरनेशनल खिताब जीता।

पहले दौर में हारे प्रजनेश

मेलबर्न, 21 जनवरी (भाषा)

भारत के शीर्ष रैंकिग वाले खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन आस्ट्रेलियाई ओपन पुरूष एकल के पहले दौर में हारकर बाहर हो गए और उन्होंने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से खेलने का मौका गंवा दिया। दुनिया के 122वें नंबर के खिलाड़ी प्रजनेश क्वालीफायर में 'लकी लूजर' के तौर पर मुख्य ड्रा में पहुंचे थे। वह पहले दौर में अपने से 22 रैंकिग नीचे वाले खिलाड़ी जापानी वाइल्ड कार्डधारी तत्सुमा इतो से दो घंटे तक चले मुकाबले में 4- 6, 2- 6, 5-7 से हार गए। प्रजनेश ने, 'इतो को हराया जा सकता था। मेरे लिए यह अच्छा ड्रा था। मैंने मुख्य ड्रा से पहले तीन मैच और खेले थे तो मैं बेहतर तैयारी से आया था लेकिन दबाव नहीं झेल सका।' उन्होंने कहा, 'मैं शांतचित्त होकर खेल ही नहीं सका जिसका असर मेरे प्रदर्शन पर पड़ा। उन्होंने अच्छा खेला और वह सब किया जो जीत के लिए जरूरी था।'

खेलों के पुनर्गठित सरकारी पैनल में योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक शामिल

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और शतरंज के महारथी विश्वनाथन आनंद को 'सक्रिय' नहीं रहने के कारण हटाए जाने के बाद मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त और परालंपियन दीपा मलिक को अखिल भारतीय खेल परिषद (एआइसीएस) में शामिल किया गया है। एआइसीएस खेल मंत्रालय की सलाहकार संस्था है जिसका गठन 2015 में तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। इसका कार्यकाल तीन साल बढ़ा दिया गया है और अनुभवी खेल प्रशासक विजय कुमार मल्होत्रा इसके अध्यक्ष बने रहेंगे।

परिषद में जिन अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, फुटबालर रेनेडी सिंह और पर्वतारोही बछेंद्री पाल भी शामिल हैं। भारतीय आफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी परिषद में शामिल किया गया है।

एआइसीए के अध्यक्ष मल्होत्रा ने कहा, 'मंत्रालय ने कुछ नामों को हटाने का फैसला किया जो सक्रिय नहीं थे और कुछ नए नाम जोड़े। मुझे अभी आदेश मिला है और आने वाले दिनों में मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा करूंगा।' पिछली परिषद से जिन अन्य खिलाड़ियों को हटाया गया है उनमें भारोत्तोलक एन कुंजारानी देवी, फुटबालर आइएम विजयन और बाईचुंग भूटिया, राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और स्टार इंडिया के सीईओ उदय शंकर शामिल हैं जिन्हें खेल विशेषज्ञ के रूप में परिषद में रखा गया था।

युवा ओलंपिक स्विटजरलैंड में मंगलवार को शीतकालीन युवा ओलंपिक के दौरान फ्रीस्टाइल स्कीइंग प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया के जैवोन हौंग।

खेलो इंडिया अंडर 21 हॉकी में चमके यूपी और हरियाणा

गुवाहाटी, 21 जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने खेलो इंडिया युवा खेल 2020 में मंगलवार को क्रमशः लड़कों के अंडर-21 और लड़कियों के अंडर-21 का स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश ने लड़कों के अंडर-21 वर्ग के फाइनल में हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। इससे पहले दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही थी। ओड़ीशा ने पेनल्टी शूटआउट चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता।

लड़कियों के अंडर-21 वर्ग में झारखंड ने अंतिम नौ मिनट में दो गोल गंवाए जिससे हरियाणा ने 5-3 से जीत दर्ज करके सोने का तमगा जीता। महाराष्ट्र ने मिजोरम को एकमात्र गोल से हराकर कांसे तमगे से जीता।

अपेक्षाओं से दबाव नहीं पड़ता, कड़ी मेहनत करती हूं : सिंधू

चेन्नई, 21 जनवरी (भाषा)।

ओलंपिक में दूसरा पदक जीतने के लिए तैयारियों में लगी विश्व चैंपियन पी वी सिंधू ने कहा कि उनसे लगाई जा रही उम्मीदों से उन्हें अधिक कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। पीबीएल में हैदराबाद हंटर्स की तरफ से खेलने के लिए यहां पहुंची सिंधू ने कहा, 'रियो से लेकर यहां तक मेरी जिंदगी काफी बदल गई है। मैंने कई मैच जीते और कुछ में मुझे हार मिली। जब मैं रियो गई तो तब मुझसे इतनी अधिक उम्मीदें नहीं थी लेकिन अब लोग मुझसे स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'जब हर कोई मुझसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करता है तो मैं इसे सकारात्मक तौर पर देखती हूं। मैं इसे

अतिरिक्त दबाव के रूप में नहीं देखती और इससे मुझे अधिक कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। यह आसान नहीं होगा लेकिन मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं।' विश्व में नंबर छह खिलाड़ी ने कहा कि ओलंपिक वर्ष में पीबीएल में खेलना अच्छा है क्योंकि यहां शीर्ष खिलाड़ियों से खेलने का मौका मिलेगा जो मददगार साबित होगा।

आज से शुरू होगा मुकाबला | **थाईलैंड मास्टर्स** | **लंबे समय से दोनों कर रहे हैं तैयारी**

ओलंपिक की उम्मीदें बरकरार रखने उतरेंगे साइना-श्रीकांत

बैंकाक, 21 जनवरी (भाषा)।

भारत के अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत आज से शुरू हो रहे थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में उतरेंगे। उनकी नजरें बेहतर प्रदर्शन करके ओलंपिक खेलने की उम्मीदें जीवित रखने पर लगी होंगी।

पिछले साल खराब फार्म में जूझते रहे साइना और श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ रेस टू तोक्यो रैंकिंग में क्रमशः 22वें और 23वें स्थान पर हैं। बीडब्ल्यूएफ ओलंपिक क्वालीफिकेशन नियमों के तहत हर एकल वर्ग से सिर्फ दो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं बशर्ते उनकी रैंकिंग 26 अप्रैल तक शीर्ष 16 में हो। विश्व चैंपियन पी वी सिंधू इस समय छठे और बी साइ प्रणीत 11वें स्थान पर हैं। पुरूष युगल में सात्विक रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी आठवें स्थान पर हैं। इन सभी का तोक्यो ओलंपिक खेलना लगभग तय है।

पिछले साल खराब फार्म में जूझते रहे साइना और श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ रेस टू तोक्यो रैंकिंग में क्रमशः 22वें और 23वें स्थान पर हैं।

बीडब्ल्यूएफ ओलंपिक क्वालीफिकेशन नियमों के तहत हर एकल वर्ग से सिर्फ दो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं बशर्ते उनकी रैंकिंग 26 अप्रैल तक शीर्ष 16 में हो।

विश्व चैंपियन पी वी सिंधू इस समय छठे और बी साइ प्रणीत 11वें स्थान पर हैं। पुरूष युगल में सात्विक रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी आठवें स्थान पर हैं। इन सभी का तोक्यो ओलंपिक खेलना लगभग तय है।

पिछले साल कई टूर्नामेंटों में शुरूआती दौर से बाहर होने के बाद साइना और श्रीकांत ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग से नाम वापिस ले लिया ताकि क्वालीफिकेशन पर फोकस कर सकें। श्रीकांत की शुरूआत अच्छी नहीं रही जो मलेशिया में पहले ही दौर में चीनी ताइपे के चोउ तियेन चेन से और इंडोनेशिया में स्थानीय खिलाड़ी शेसार हिरेन आर से हारकर बाहर हो गए।

लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना मलेशिया में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची लेकिन इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब बरकरार नहीं रख पाई। उन्हें पहले ही दौर में जापान की सयाका तकाहाशी ने हराया।

ओलंपिक क्वालीफिकेशन कट आफ तारीख से पहले सिर्फ आठ टूर्नामेंट खेले जाने हैं। ऐसे में साइना और श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। साइना यहां डेनमार्क की लाइन होजमार्क के खिलाफ अभियान का आगाज करेंगी जिसके विरूद्ध उनका रेकार्ड 4.0 का है। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना शेसार से होगा। भारत के समीर वर्मा मलेशिया के ली जी जिया से खेलेंगे जबकि एच एस प्रणय की टक्कर मलेशिया के ही ल्यू डारेन से होगी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 66, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com